एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़
AI AIRPORT SERVICES

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

Words & Worth

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज़

AI AIRPORT SERVICES

MINISTRY OF
CIVIL AVIATION
GOVERNMENT OF
MEGHALAYA
SEAPLANE DEMO LAUNCH
14th November 2024
UMIAM LAKE, WATERSPORTS COMPLEX, SHILLONG

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संबोधन	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	13
4.	प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट	27
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	69
6.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	70
7.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र	89
8.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण	90
9.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	91
10.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण	92
11.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	93

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (दिनांक 26 मार्च 2025 को)

श्री अमित कुमार अध्यक्ष*

श्री पदम लाल नेगी

श्री शोभित गुप्ता

श्री मनोज कुमार

श्रीमती नयोनिका दत्ता

(*श्री असंगबा चुबा आओ, 01.01.2024 से 11.03.2025 तकअध्यक्ष.
श्री अमित कुमार, 13.03.2025 से अध्यक्ष)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री रामबाबू सीएच

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री संदीप मल्होत्रा

कंपनी सचिव
श्रीमती शशि भदूला

लेखापरीक्षक
मेसर्स बंसल एंड कंपनी एलएलपी.,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली

बैंकर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग,

एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली– 110037

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग,
विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083.

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2023–24 की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (''कंपनी'') (एआईएएसएल) भारत का एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और यह पेन भारत स्तर पर प्रचालन कर रही है।

एआईएएसएल ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 से अपना स्वायत्त प्रचालन आरंभ किया। तब से एआईएएसएल ने अपने स्टैंडएलोन प्रचालन से पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया, केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 को छोडकर। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के आगमन के कारण कंपनी का प्रचालन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। हालाँकि, कंपनी अगले वित्त वर्ष 2021–22 से लाभ अर्जित करने की स्थिति में आ गई और उसने अपनी लाभप्रदता जारी रखी, और वित्त वर्ष 2023–24 में कंपनी ने 771.05 मिलियन रुपये का लाभ अर्जित किया है।

एआईएएसएल के पास भारत के लगभग 150 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी और व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग उपस्थिति है। एआईएएसएल द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले हवाईअड्डों में लेह और थोइस में सबसे अधिक ऊंचाई वाले और बर्फ से ढके हवाईअड्डे, जैसलमेर में रेगिस्तानी हवाई क्षेत्र, अगाती और पोर्ट ब्लेयर में द्वीप हवाईअड्डे और कोझीकोड और कन्नूर में टेबल–टॉप हवाईअड्डे शामिल हैं, जो देशभर में विविध क्षेत्रों और मांग वाले वातावरण में संचालन करने की एआईएएसएल की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। यह व्यापक नेटवर्क भारत के सबसे विविध और मांग वाले इलाकों में विश्वसनीय ग्राउंड हैंडलिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की एआईएएसएल की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो सबसे दूरस्थ स्थानों में भी निर्बाध सम्पर्कता सुनिश्चित करता है।

एआईएएसएल के पास ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) की सबसे बड़ी इन्वेंट्री है, जो ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में व्यापक विशेषज्ञता वाले अत्यधिक कुशल कर्मचारियों द्वारा पूरित है। हमारी क्षमताएँ सभी प्रकार के कॉर्पोरेट जेट के साथ–साथ ए380, ए350 और बी777 मैक्स सहित यात्री और मालवाहक विमानों को संभालने तक फैली हुई हैं, जो सभी विमान श्रेणियों में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करती हैं।

अवलोकन – नागर विमानन उद्योग

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और उम्मीद है कि यह ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। आशा है कि भारत अगले दस वर्षों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। भारतीय विमानन क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे लाखों नौकरियाँ सृजित हुई हैं। विमानन उद्योग की सबसे तेज वृद्धि कई शहरों में हवाईअड्डों के विकास, उदार एफडीआई नीति, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में वृद्धि और क्षेत्रीय संपर्क पर जोर देने से प्रेरित हो रही है।

भारत का नागरिक विमानन उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुँच गया है, जिसने दुनिया के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ किया है। वित्त वर्ष 2024 में, घरेलू यात्री यातायात 306.79 मिलियन तक पहुँच गया, जो कि 13.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात 69.64 मिलियन तक बढ़ गया, जो कि 22.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। यह प्रभावशाली वृद्धि इस क्षेत्र की लचीलापन और भारत की वैश्विक संपर्क को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। जैसे–जैसे उद्योग विकसित होता जा रहा है, इसके आगे विस्तार की संभावनाएँ असीम बनी हुई हैं।

भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जून 2016 में शुरू की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने पूरे भारत में क्षेत्रीय संपर्क का विस्तार किया है, जिसमें 13 ऑपरेटरों द्वारा संचालित 86 हवाईअड्डे और 617 आरसीएस मार्ग हैं, जिनमें वार्शिक आधार पर लगभग 4.5 लाख उड़ानें प्रचालित होती हैं। वर्श 2026 तक जारी रहने वाली इस पहल ने विमानन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है, यात्रियों और एयरलाइनों दोनों को सशक्त बनाया है, जबकि कम सेवा वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।

सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्श 2024 तक 1,000 उड़ान मार्गों को चालू करना और 100 असेवित और अल्प कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को पुनर्जीवित या विकसित करना है, जो क्षेत्रीय संपर्क में एक महत्वपूर्ण छलांग है। आरसीएस–उड़ान योजना के तहत, दो जल हवाई अड्डों का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है, जो दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा के विमानन नेटवर्क से जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल न केवल दूरदराज के इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में भारत के अभियान को भी रेखांकित करती है।

अवलोकन– ग्राउंड हैंडलिंग

भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में वित्त वर्ष 2019–2026 के दौरान सकारात्मक दोहरे अंकों की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) वृद्धि होने की आशा है। इस वृद्धि में ग्राउंड हैंडलिंग और विमानन क्षेत्र में अनुकूल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर में वृद्धि प्रमुख योगदानकर्ता होगी। भविष्य के उत्प्रेरक हवाईअड्डे के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में नए घरेलू और विदेशी पक्षों का प्रवेश होगा, जिसमें एयरलाइन अपने बेड़े के आकार में वृद्धि और नए हवाईअड्डों के निर्माण कार्य को पूरा करना शामिल है।

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार सुदृढ हो रहा है और अधिकांश हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा संचालकों द्वारा बड़ी संख्या में जीएचए नियुक्त किए जा रहे हैं और वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में प्रसार, हैंडलिंग और राजस्व के मामले में अग्रणी कंपनी है। एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज, बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज, सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इंडो–थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अन्य प्रमुख जीएचए हैं।

हवाई यात्री और माल यातायात में वृद्धि से प्रेरित होकर भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। एयरलाइन बेड़े का विस्तार, साथ ही अकासा एयर जैसी नई एयरलाइन्स और एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख कंपनियों के उदय के कारण ग्राउंड सेवाओं में वृद्धि की मांग बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और विस्तार इस क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देगा। भारतीय एयरलाइन्स द्वारा 1,250 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए जाने के साथ, ग्राउंड–हैंडलिंग सेवा बाजार एक मजबूत परिवर्तन के लिए तैयार है। यह ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र भारत में अधिक गतिशील और कुशल विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का वादा करता है।

विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन उद्योग में मजबूत स्थिति

भारतीय विमानन बाजार, कोविड के बाद अपने निरंतर पुनरूत्थान पथ और उच्च विकास पथ पर अग्रसर है, जिसका निम्नलिखित लक्ष्यों की उपलब्धियों के साथ एआईएएसएल के व्यापार की मात्रा पर सीधा असर पड़ता है, –

- वित्त वर्ष 2023–24 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात 154 मिलियन (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार) होने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2019–20 के वित्तीय वर्ष में दर्ज किए गए 142 मिलियन घरेलू हवाई यात्रियों के कोविड–पूर्व आंकड़े को पार करता है। घरेलू हवाई यात्री यातायात में पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- वित्त वर्ष 2023–24 में एयर कैरियर्स ने स्थानीय मार्गों पर लगभग 15.40 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवा प्रदान की।
- भारत का विमानन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि दिनांक 12 नवंबर 2024 को टाटा के बैनर तले एअर इंडिया और विस्तारा का विलय हो रहा हैं, जो देश के एकमात्र पूर्ण–सेवा वाहक के रूप में लग्जरी और कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
- टाटा समूह की एअर इंडिया एक्सप्रेस ने आधिकारिक तौर पर एआईएक्स कनेक्ट के साथ विलय कर दिया है, जिससे दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से एअर इंडिया एक्सप्रेस के तहत अपने बजट एयरलाइन संचालन को एकीकृत कर दिया गया है, जो रणनीतिक बोली प्रक्रिया के अंतर्गत स्थायी लाभप्रदता को बढ़ावा देने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा में वृद्वि ने वर्श 2023–24 में घरेलू विमानन विकास को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 69.7 मिलियन यात्री आसमान में उड़ान भर रहे हैं, जो वर्श–दर–वर्श 22.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत में, 400 से अधिक हवाईअड्डे और हवाई पट्टियाँ थीं, जबकि लगभग 150 प्रचालनिक थीं। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत भर के हवाईअड्डों पर यात्री यातायात 376 मिलियन से अधिक था, जिसमें से लगभग 69.7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे।
- भारत, जो पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक विमानन बाजार है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। यह तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बनने के लिए तैयार है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों शामिल हैं, जबकि विश्व के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते विमानन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। यह उत्कृश्ट वृद्धि वैश्विक विमानन गतिशीलता को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- भारत में लगभग 838 विमान क्षमता है और लगभग सभी प्रमुख घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों द्वारा दृढ विमान ऑर्डरों के साथ अगले कुछ वर्षों में लगभग 1000 विमान जुड़ने की संभावना है, क्योंकि उनमें से कुछ मौजूदा विमानों की जगह लेंगे जिन्हें या तो चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है या जिनका पट्टा समाप्त कर दिया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार, भारत को वर्श 2044 तक लगभग 2,840 नए वाणिज्यिक विमानों की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, भारत में एनएसओपी, सरकारी, निजी स्वामित्व वाले और प्रशिक्षण संस्थानों आदि द्वारा लगभग 1175 विमान संचालित किए जा रहे हैं।
- भारत में लगभग 15 पैसेंजर एयरलाइंस और 4 कार्गो एयरलाइंस लगभग 838 विमानों का संचालन करती हैं, जिनमें 60 से अधिक वाइड–बॉडी विमान, 80 से अधिक टर्बो प्रॉप्स विमान और शेष विमान नैरो–बॉडी विमान हैं।
- भारत में 71 घरेलू एनएसओपी ऑपरेटरों सहित लगभग 116 एनएएसओपी हैं, जो 388 विमानों का संचालन करते हैं। शीर्ष 15 एनएसओपी ऑपरेटरों का वर्ष 2023–24 में संचालित कुल घरेलू एनएसओपी उड़ानों का 61 प्रतिशत से अधिक भाग है।
- भारत में विभिन्न हवाईअड्डों पर लगभग 25 से अधिक ग्राउंड हैंडलर कार्य कर रहे हैं।

- सामान्य विमानन ऑपरेटरों की ओर से, 150 से अधिक बिजनेस जेट, 30 से अधिक टर्बो प्रॉप्स और 320 से अधिक हेलीकॉप्टर, जो भारत में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए निजी चार्टर और बिजनेस चार्टर उड़ानों के संचालन में लगे हुए हैं, जो एआईएएसएल के लिए एक संभावित व्यवसाय है।
- एअर इंडिया लगभग 570 विमान अर्थात नैरो–बॉडी विमान और वाइड–बॉडी विमान खरीद रही है।
- इंडिगो करीब 530 विमान यानी नैरो–बॉडी विमान और वाइड–बॉडी विमान खरीद रही है।
- अकासा एयर लगभग 150 विमान अर्थात नैरो–बॉडी विमान खरीद रही है।
- भारत की योजना 2025 तक परिचालन हवाईअड्डों की संख्या बढ़ाकर 220 और वर्श 2047 तक 350 करने की है।
- नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने कहा कि विमानन में वृद्धि से हवाई अड्डों, एयरलाइंस, एफटीओ, एमआरओ और जीएच में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ने की संभावना है।

भारत में विमानन क्षेत्र के विकास से ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों को सीधे लाभ मिलता है, क्योंकि उड़ानों की संख्या में वृद्धि से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और राजस्व का स्रोत भी बढ़ता है। जैसे–जैसे हवाई यातायात बढ़ता है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियाँ अधिक परिचालन माँगों और बढ़े हुए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहती हैं।

उड़ान योजना 5.2 के आरंभ होने के साथ, नए पहचाने गए मार्गों के तहत, आज तक 600 से अधिक आरसीएस रूट चालू हो गए हैं। एआईएएसएल अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति के आधार पर अपनी बाजार नेतृत्व स्थिति को और मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालाँकि, ऐसी क्षेत्रीय सम्पर्कता सेवा उड़ानों को बनाए रखना और जारी रखना, एयरलाइंस के लिए एक चुनौती है, और इस प्रकार एआईएएसएल और इन उडान हवाईअड्डों पर संचालित होने वाले अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए एक चुनौती है।

ग्राउंड हैंडलिंग विनियमन, 2018

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ) विनियमन, 2018 जारी किया, जो 30 अक्टूबर 2018 को लागू हुआ और इसने भारत के ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र या तीसरे पक्ष के ग्राउंड हैंडलिंग और सेल्फ हैंडलिंग के आकार और संरचना को विनियमित किया है। यह पहली बार था कि भारत के पास विमानन क्षेत्र के लिए एकल–दस्तावेज दृष्टिकोण था और यह एक स्वागत योग्य पहल थी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) संशोधन विनियम, 2023 जारी किया, ताकि वर्ष 2019 और 2020 में पहले से संशोधित विनियमों के क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) विनियम 2018 में और संशोधन किया जा सके।

<u>निजी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजीसीए एआई परिपत्र, 2022</u>:

डीजीसीए ने दिनांक 25 फरवरी 2022 को एआईसी एस. सं 03/2022 जारी किया था, अर्थात "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित हवाईअड्डों के अलावा अन्य हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करना" अर्थात उन सभी हवाईअड्डों के लिए जीएच नीति जो निजी प्रचालकों द्वारा प्रबंधित हैं। इसने जीएच नीति के संदर्भ में निजी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को समान रूप से विनियमित किया है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण– एईआरए

- एईआरए, एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक है, जिसका उद्देश्य समान अवसर पैदा करना, सभी प्रमुख हवाईअड्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हवाईअड्डे की सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना और वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों को विनियमित करना है।

- एईआरए अधिनियम, 2008 के रूप में एईआरए के वैधानिक कार्यों में से एक, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के विशिष्ट संदर्भ में, हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना है।
- सभी हितधारकों के लिए हानिकारक एकाधिकारवादी प्रथाओं को हटाकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

कंपनी का निष्पादन

<u>वित्तीय</u>

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 8,759.78 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल राजस्व 9,322.98 मिलियन रुपये था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 8,350.01 मिलियन रुपये के व्यय की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय 7,988.73 मिलियन रुपये था। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कर से पहले अर्जित लाभ 771.05 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कर से पहले लाभ का आंकड़ा 972.97 मिलियन रुपये था। इस अवधि के दौरान अर्जित कर के बाद शुद्ध लाभ 404.26 मिलियन रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कर के बाद पुनर्कथित शुद्ध लाभ 623.27 मिलियन रुपये बताया गया था।

प्रमुख वित्तीय उपलब्धियाँ

- एआईएएसएल ने कंपनी के परिचालन के बाद से वित्त वर्ष 2023–24 में 8,759.78 मिलियन रुपये का दूसरा सबसे अधिक अर्जित राजस्व दर्ज किया है। (इस प्रकार वित्त वर्ष 2022–23 में इसने 9322.98 मिलियन रुपये का अब तक का सबसे अधिक अर्जित राजस्व दर्ज किया था)
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (कोविड अवधि) को छोड़कर, एआईएएसएल, अपने परिचालन के बाद से ही लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही है। उस कोविड वर्ष के तुरंत बाद, कंपनी की लाभप्रदता के क्रम को बहाल कर दिया गया है और कंपनी प्रत्येक वर्श लाभ अर्जित कर रही है।
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कर पूर्व लाभ अर्थात 771.05 मिलियन रुपये पिछले वर्ष की तुलना में एक सम्मानजनक लाभ है।
- एआईएएसएल ने अपने परिचालन के बाद से गैर–अनुसूचित परिचालन से 458.97 मिलियन रुपये का उच्चतम राजस्व दर्ज किया है।
- एआईएएसएल को लगातार तीसरे वर्ष बिना किसी प्रमुख आपत्ति के ''निल क्वालिफिकेभान'' के साथ वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अपनी स्थापना के लगभग 10 वर्षों के बाद ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- एआईएएसएल, अपनी स्थापना के बाद से ही सफलतापूर्वक ऋण–मुक्त कंपनी बनी हुई है।
- वर्ष के दौरान सभी वैधानिक अनुपालनों का अनुपालन किया गया है।
- कंपनी की कुल संपत्ति 4070.82 मिलियन रुपये से बढ़कर 4601.64 मिलियन रुपये हो गई है।
- आंतरिक रूप से सृजित और प्रतिधारित आय का उपयोग, इसके सभी व्ययों के लिए किया जाता है, जिसमें मूल कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) या भारत सरकार से धन सहायता मांगे बिना, पुराने ग्राउंड सपोर्ट उपकरण को बदलने के लिए सबसे आवश्यक कैपेक्स आवश्यकताएं भी शामिल हैं। बैंकों से कर्ज लेने का विकल्प अभी भी खुला है।

- किसी भी कंपनी की अच्छी स्थिति, उसके वित्तीय अनुपात से निर्धारित होता है। एआईएएसएल अपने बहुत ही स्वस्थ वित्तीय अनुपात के साथ, पेशेवर ढंग से, गर्व से अपना व्यवसाय चला रहा है।

- एआईएएसएल अपनी आंतरिक रूप से सृजित आय का समर्थन करके, न्यूनतम वेतन अनुपालन को पूरा करने में सक्षम है। गैर–अनुपालन वर्षों का बकाया भी आंतरिक आय से पूरा किया जा रहा है।

- पिछले कुछ वर्षों में इंड एएस आवश्यकताओं और विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुपालन में लेखों का पूर्ण समायोजन और समाधान किया गया है।

- निरंतर दूसरी बार, एआईएएसएल के इतिहास में पहली बार, एआईएएसएल के परिवर्तन और छवि बदलाव की प्रक्रिया में कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए स्वीकृति देते हुए प्रत्येक कर्मचारी को बोनस का भुगतान किया जा रहा है।

प्रचालनिक

- एआईएएसएल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1,19,343 उड़ानें (एआई समूह उड़ानें और एलायंस एयर उड़ानें) संभालीं, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,09,024 उड़ानें संभाली थीं।

- इसी तरह, एआईएएसएल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अनुसूचित क्लाइंट एयरलाइंस की 56,123 उड़ानें संभाली हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 95,112 उड़ानें संभाली थीं।

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गैर–अनुसूचित ऑपरेटरों की 21,983 उड़ानें हैंडल कीं हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 16,471 उड़ानें संभाली।

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 441 हज उड़ानें संभाली थीं।

- एआईएएसएल भारत और क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है, जिसकी भारत में लगभग 150 हवाईअड्डों पर उपस्थिति है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की उपस्थिति एआईएएसएल की उपस्थिति की तुलना में केवल लगभग 18 हवाईअड्डों पर है। एआईएएसएल में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ग्राहक एयरलाइंस का विविध मिश्रण है, जिसमें कार्गो मालवाहकों के अलावा अनुसूचित और गैर–अनुसूचित उड़ान संचालन हैं।

- एआईएएसएल के पास 01 अप्रैल 2024 तक – 47% प्रतिशत की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है (35 हवाईअड्डों पर विचार करते हुए जहां तीसरे पक्ष की एयरलाइंस प्रतिस्पर्धियों के साथ काम करती हैं)।

- एआईएएसएल के पास एचएएल हवाईअड्डे पर मेसर्स एचएएल, बीएलआर के सहयोग से उस हवाईअड्डे पर सभी रक्षा विमानों को संभालने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की व्यवस्था है। एआईएएसएल पूरे नेटवर्क में रक्षा कर्मियों के परिवहन के लिए हाल ही में डीआरडीओ/आईएएफ द्वारा एअर इंडिया से खरीदे गए ए–321 विमान की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है।

मुंबई और चेन्नई में कार्गो गोदाम प्रबंधन :

  - एआईएएसएल भारतीय सीमा शुल्क की ओर से मुंबई और चेन्नई दोनों हवाईअड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भंडारणों का प्रबंधन और संचालन करता है। निरंतर प्रयासों से, एआईएएसएल ने अपने चेन्नई कार्गो वेयरहाउस के लिए बीसीएएस से विनियमित एजेंट (आरए) का स्तर प्राप्त कर लिया है और इसके अलावा, मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए बीसीएएस से समान आरए स्थिति प्राप्त करने के लिए दस्तावेज भी बीसीएएस के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

- इसके अलावा, एआईएएसएल, चेन्नई और मुंबई दोनों कार्गो भंडारणों के लिए आरए–3 का स्तर प्राप्त कर लिया है, जिससे स्क्रीनिंग के बाद यहां से सीधे यूके, यूरोप और अन्य यूरोपीय संघ के देशों में माल प्रेषण की सुविधा होगी।

- एआईएएसएल, भारत के लगभग सभी घरेलू हवाईअड्डों पर, जहां भी अधिकृत है, कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

- एआईएएसएल ने चेन्नई (एमएए) में दिनांक 01 दिसंबर 2024 से और मुंबई (बीओएम) में 01 जनवरी 2025 से एअर इंडिया लिमिटेड से एआईएएसएल कार्गो वेयरहाउस के लिए सुरक्षा सेवाएं सफलतापूर्वक संभाल ली हैं।

इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल एअर इंडिया समूह की कंपनियों, एलाइंस एयर और अन्य ग्राहक एयरलाइनों के लिए केबिन सफाई, गहन सफाई और केबिन ड्रेसिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

वीवीआईपी/एसईएसएफ/रक्षा उड़ानें

एआईएएसएल को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने और भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था कराने का विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि एआईएएसएल को एसईएसएफ /वीवीआईपी के संचालन के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा सभी भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों (सिविल एन्क्लेव और रक्षा एन्क्लेव हवाईअड्डों सहित) पर वीवीआईपी उड़ानों की व्यवस्था हेतु एकमात्र ग्राउंड हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आईएएफ, बीएसएफ, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, एचएएल, एनएसजी आदि जैसे सभी भारतीय हवाईअड्डों पर रक्षा बलों की ओर से सभी उड़ानों की भी व्यवस्था करता हैं। एआईएएसएल की नियुक्ति के बाद, एआईएएसएल एअर इंडिया से सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने के बाद सभी विदेशी हवाईअड्डों (विदेशी) पर एसईएसएफ/वीवीआईपी उड़ानों के समन्वय, व्यवस्था और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा एकमात्र ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में जीएच कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

एअर इंडिया और उनके समूह की कंपनियों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया और विस्तारा (अब टाटा द्वारा प्रबंधित), और अन्य प्रमुख ग्राहक एयरलाइंस के अलावा विभिन्न हवाईअड्डा ऑपरेटरों की लंबे समय से लंबित मांग के अनुरूप, एआईएएसएल ने पुराने ग्राउंड हैंडलिंग सहायता उपकरण (जीएसई) को अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया है। एआईएएसएल अंततः दो वर्षों में एक बड़ी राशि खर्च करके बड़ी संख्या में ब्रांडेड और पूर्णतः नए जीएसई सहित मौजूदा जीएसई को नया रूप देने की प्रक्रिया में है।

एआईएएसएल को एक मूल्यवान सदस्य के रूप में भी मान्यता दी गई है और वर्ष 2024 के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। एआईएएसएल ने ग्राउंड हैंडलिंग में वैश्विक पद्धतियों के बराबर विशेषज्ञता प्राप्त करने के अलावा आयटा पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करना जारी रखा है।

परिचालन संबंधी प्रमुख उपलब्धियाँ

- एआईएएसएल ने पूरे भारत में अब तक के सबसे अधिक और रिकॉर्ड संख्या में हवाईअड्डों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे नीचे दिए गए मानचित्र में देखा जा सकता है:

- एआईएएसएल के पास उपलब्ध ग्राउंड सपोर्ट उपकरण का उच्चतम (इष्टतम से अधिक) उपयोग है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एआईएएसएल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक उड़ानें अर्थात 2,20,722 उड़ानों की व्यवस्था की गईं।
- वित्त वर्ष 2023–24 में एआईएएसएल द्वारा संचालित उड़ानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

एअर इंडिया समूह और एलाइंस एयर	तीसरे पक्ष की एयरलाइनें	एनएसओपी (हज सहित)	सकल योग
116,567	56,861	21,515	194,943

अन्य उपलब्धियां (अप्रैल 2023–मार्च 2024)

- एआईएएसएल को एआईएएसएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई हवाईअड्डे के एनएस10 पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल पर एक विनियमित एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए बीसीएएस द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- एआईएएसएल को दिनांक 25 अगस्त 2023 को कैथे कार्गो द्वारा "भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन" के लिए सम्मानित किया गया है।
- दिनांक 15 अगस्त 2023 को रंगून–म्यांमार में म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल (एमएआई) की 30वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर, एआईएएसएल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है और कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डे पर म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल को प्रदान की गई समर्पित जीएच सेवाओं के लिए प्रशंसा के प्रतीक के साथ सम्मानित किया गया है।
- नागर विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, विंग्स इंडिया 2024, दिनांक 18 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाईअड्डे पर आयोजित किया गया था। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए एआईएएसएल को आधिकारिक ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनर नियुक्त किया गया था।
- एआईएएसएल को विंग्स इंडिया 2024 में एफआइसीसीआइ द्वारा "सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता" के रूप में प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया।
- एआईएएसएल ने सरकार, नागर विमानन मंत्री और एआई के साथ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अयोध्या हवाईअड्डे का उद्घाटन किए जाने पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की।
- एआईएएसएल को एसएफ एयरलाइंस द्वारा चेन्नई हवाईअड्डे पर उत्कृष्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में चुना गया और चेन्नई हवाईअड्डों पर एक समारोह में "सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड हैंडलर" से सम्मानित किया गया।
- सीईओ–एआईएएसएल को मुंबई में आयोजित विश्व एचआरडी सम्मेलन में "सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है और उच्च प्रभाव, संधारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से सीएसआर नीति निर्धारित की है। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किसी भी नए सीएसआर योगदान को खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

हालाँकि, वित्त वर्ष 2023–24 में, अप्रयुक्त सीएसआर निधि (अर्थात, पिछले वर्षों की अप्रयुक्त राशि अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक) का उपयोग दिनांक 22 मार्च 2024 को बोर्ड की 103वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है।

चालू सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त सीएसआर निधियों के विवरण सहित सीएसआर गतिविधियों पर एक विस्तृत रिर्पोट जो निदेशकों की रिर्पोट का हिस्सा है, **अनुबंध– II** के रूप में संलग्न है।

निगमित शासन

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वर्ष के दौरान जहां भी लागू हो, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए ''उत्कृष्ट'' ग्रेड के अंतर्गत आती है। डीपीई ने 2021–22 के दौरान डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईएएसएल को 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग भी प्रदान की है और वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए डीपीई ग्रेडिंग का इंतजार है।

आभारोक्ति :

मैं, इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशक और विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और भारत में सभी निजी हवाईअड्डा संचालकों (जीएमआर, अडानी एयरपोर्ट्स, सीआईएएल, एमआईएएल इत्यादि), बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि हम एआईएएसएल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सीईओ एआईएएसएल और अन्य केएमपी को कंपनी के कायाकल्प, कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने और सभी हितधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं, एआईएएसएल के सभी कर्मचारियों को भी इस अवसर पर अग्रणी भूमिका निभाने और कंपनी के कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यक्तिगत योगदान हेतु अपने अनुकरणीय प्रयासों को निष्पादित करने और एआईएएसएल की छवि को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं एआईएएसएल और एआईएएचएल के बोर्ड की ओर से उनके नियमित मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2023

दृष्टि / विजन :

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढ़ाना।

मिशनः

– **ग्राहक**

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयबद्ध सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाईअड्डों पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

– **प्रकिया**

- सुरक्षा एवं सक्षमता के स्तर में निंरतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निंरतर आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

– **कार्यदल**

- उर्जावान, योग्य एंव उच्च प्रेरित कर्मिकों की टीम बनाए रखना।
- कार्य नीति का उच्च स्तर बनाए रखना।

निदेशकों की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की इक्कीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

वित्तीय निष्पादन

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**2023-24**	**2022-23 (पुनर्कथित)**
कुल राजस्व	8759.78	9322.98
कुल व्यय	7988.73	8350.01
असाधारण मद और कर पूर्व लाभ (हानि)	**771.05**	**972.97**
कर पूर्व लाभ (हानि)	**771.05**	**972.97**
चालू कर	187.09	235.77
कर के लिए अल्प प्रावधान	0	0
आस्थगित कर परिसंपत्ति	179.70	113.93
कर पूर्व निवल लाभ (हानि)	**404.26**	**623.27**

अन्य वित्तीय सूचनाएं

शेयर पूंजीः

वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1000,00,00,000/– रुपये (एक हजार करोड़ रुपये) थी।
वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 138,42,42,000/– रुपये (प्रत्येक 10/– रुपये के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) थी।
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पूरी शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और इसके नामितियों के पास है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई है

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लिखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है। हालाँकि, इस वर्ष की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

कर्मचारियों की संख्या

विभिन्न भारतीय हवाईअड्डों पर गैर–अनुसूचित प्रचालक उड़ानों सहित एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं अन्य ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार हैः

विवरण	संख्या
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	1
जीएम–जीएच	3
कंपनी सचिव	1
डीजीएम	5
मुख्य वित्तीय अधिकारी	1
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1
एमएमडी प्रमुख	1
उप सीओएफ और एजीएम (ओ)–वित्त	1
एसआर. एजीएम/एजीएम/एजीएम–जीएच/एजीएम–एचआर	24
उप प्रमुख आईटी	1
वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक	17
प्रबंधक सेवा इंजीनियर, वरिष्ठ अधीक्षक सेवा इंजीनियर, वरिष्ठ सेवा इंजीनियर अधीक्षक सेवा इंजीनियर कनिष्ठ सेवा इंजीनियर	61
टर्मिनल प्रबंधक/उपप्रबंधक टर्मिनल/सहायक प्रबंधक टर्मिनल/क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक/सहायक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक/कार्यपालक क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वयक/सहायक कार्यकारी कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस/सहायक कार्यकारी सुरक्षा/सहायक कार्यकारी वित्त/सहायक कार्यपालक वाणिज्यिक/सहायक अधिकारी/एमएमडी/मुख्य ऑपरेटर/कार्यपालक समन्वयक/कार्यपालक गुणवत्ता अनुपालन एवं प्रशिक्षण/कार्यपालक सुरक्षा/कार्यपालक कार्गो/कार्यपालक कार्गो संचालन/ कार्यपालक सिविल/कार्यपालक वाणिज्यिक कार्य/प्रशिक्षण/कार्यपालक कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस/कार्यकारी दृ आईआर/एचआर/कार्मिक/कार्यकारी यात्री हैंडलिंग/ कार्यपालक रैंप/ कार्यपालक – रैंप/रखरखाव/कार्यपालक – एसईएसएफ और हज चार्टर/ कार्यपालक –आईआर/ कार्यपालक हवाईअड्डा और कार्गो संचालन/ कार्यपालक एचएएल–एआईएएसएल–जेडब्ल्यूजी/ कार्यपालक सेवा वितरण/ कार्यपालक समय कार्यालय उपस्थिति एवं प्रबंधन/रैंप ऑपरेटर/वरिष्ठ कार्यपालक ग्राउंड हैंडलिंग/वरिष्ठ ऑपरेटर/सहायक कार्यकारी सतर्कता/कार्यपालक एमएमडी/अधिकारी कार्मिक/प्रबंधक–रैंप/अनुरक्षण/उप प्रबंधक रैंप/अनुरक्षण/ ड्यूटी प्रबंधक/ड्यूटी अधिकारी/ कार्यवाहक ड्यूटी प्रबंधक/ कार्यवाहक ड्यूटी अधिकारी	232
वरिश्ठ प्रधान एयरक्राफ्ट उपकरण ऑपरेटर, वरिश्ठ एयरक्राफ्ट उपकरण ऑपरेटर, वरिश्ठ एयरक्राफ्ट उपकरण ऑपरेटर, एयरक्राफ्ट उपकरण ऑपरेटर, कनिश्ठ एयरक्राफ्ट उपकरण ऑपरेटर	119
सीनियर ड्राइवर, एप्रन पर्यवेक्षक, सीनियर चीफ असिस्टेंट, सीनियर लीड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट, असिस्टेंट I, असिस्टेंट II	426
अधिकारी मानव संसाधन/अधिकारी लेखा/अधिकारी–मानव संसाधन/आईआर/अधिकारी–आईटी/अधिकारी–क्यूएमएस/अधिकारी– एसएमएस/अधिकारी सुरक्षा/कार्यवाहक अधिकारी वित्त	33
प्रबंधक–वित्त/कार्यवाहक वित्त प्रबंधक/प्रबंधक– मानव संसाधन/कार्यवाहक प्रबंधक–आईटी/प्रबंधक–क्यूएमएस/प्रबंधक–एसएमएस/प्रबंधक सेवा आश्वासन/प्रबंधक तकनीकी	17
सहायक प्रबंधक–तकनीकी/कनिश्ठ अधिकारी–तकनीकी/उप प्रबंधक तकनीकी	168
वरिष्ठ पर्यवेक्षक रैंप/रखरखाव/पर्यवेक्षक रैंप रखरखाव/कनिश्ठ पर्यवेक्षक रैंप रखरखाव/जूनियर कार्यकारी रैंप/ कनिश्ठ कार्यपालक यात्री हैंडलिंग/ कनिश्ठ पर्यवेक्षक आईटी/ कनिश्ठ अधिकारी–मानव संसाधन/ कनिश्ठ अधिकारी–सुरक्षा/ कनिश्ठ अधिकारी–ग्राहक सेवा/ कनिश्ठ अधिकारी–कार्गो/ कनिश्ठ अधिकारी–केबिन सेवा/ कनिश्ठ अधिकारी–लेखा	846

ग्राहक एजेंट/पैरा मेडिकल एजेंट सह केबिन सेवा एजेंट/सहायक लेखा/सहायक –एचआर	3824
कनिश्ठ ग्राहक एजेंट	1006
वरिष्ठ ग्राहक एजेंट/वरिष्ठ सहायक लेखा/वरिष्ठ सहायक एचआर	498
आरएसए/आरएसए–1/आरएसए(एलजी)	333
वरिष्ठ आरएसए/वरिष्ठ आरएसए–1	137
सुरक्षा एजेंट	12
उपयोगिता एजेंट	395
उपयोगिता एजेंट सह रैंप ड्राइवर	1488
हैंडी मैन/सफाई कामगार/अर्धकुशल	8772
उपयोगिता सेवा एजेंट	25
कुल	**18448**

आरक्षण नीति का कियान्वयनः

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	ओ.बी.सी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओ.बी.सी कर्मचारियों का प्रतिशत
18848	4153	22.51	820	4.44	3545	23.55

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की गतिविधियाँ

एआईएएसएल, भारत के विभिन्न हवाईअड्डों पर एआई ग्रुप (एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड), एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (ग्रुप कंपनी), और कई घरेलू और विदेशी एयरलाइंस, कार्गो चार्टर्स प्रचालकों और गैर–आनुसूचित प्रचालकों को व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है। एआईएएसएल, मुंबई और चेन्नई में एक–एक कार्गो गोदाम भी संचालित करता है।

एआईएएसएल भारत में एक अग्रणी ग्राउंड–हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और भारत में लगभग 150 से अधिक हवाई अड्डों (सिविल हवाई अड्डों और सिविल एन्क्लेव सहित) पर ग्राउंड–हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है। एआईएएसएल की वर्तमान में 85 हवाई अड्डों पर उपस्थिति है और अनुरोध पर शेष हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था करता है। इसके अलावा, एआईएएसएल सभी रक्षा विमानों के लिए रक्षा एन्क्लेव (हवाईअड्डों) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

इन सेवाओं को प्रमुख रूप से इस प्रकार चिन्हित किया जा सकता हैः

सेवाओं की पहचान मुख्य रूप से इस प्रकार की जा सकती हैः

- यात्री हैंडलिंग / रैंप हैंडलिंग / कार्गो हैंडलिंग / केबिन सेवाएँ / स्टेशन प्रबंधन
- वर्तमान में मुंबई और चेन्नई पर भविष्य में किसी भी अन्य हवाईअड्डे पर कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग।
- सहायक कंपनियों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड।

- गैर–अनुसूचित उड़ानें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी चार्टर उड़ानों की हैंडलिंग – अखिल भारतीय आधार पर।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की विशेष अतिरिक्त खंड उड़ानें (एसईएसएफ) – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय।
- सरकारी एजेंसियों (भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी चार्टर) आदि की गैर–एसईएसएफ घरेलू हैंडलिंग।
- एयरोफ्लोट, महान एयर और बेलाविया एयरलाइंस के लिए आईजीआई टी–3 टर्मिनल पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ।
- चेन्नई और मुंबई कार्गो वेयरहाउस और एयरोफ्लोट के लिए आईजीआई टी–3 में सुरक्षा सेवाएँ।
- बेंगलुरु, एचएएल एयरपोर्ट पर एचएएल–एआईएएसएल संयुक्त कार्य समूह।
- एआईएएसएल में आज की तारीख तक कार्मिकों की आउटसोर्सिंग शून्य है।

नगर विमानान मंत्रालय के निर्देशानुसार, एआईएएसएल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, दिल्ली टर्मिनल–3 पर एयरोफ्लोट, महान एयर और बेलाविया एयरलाइंस के लिए व्यापक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कीं हैं। इसके अलावा, उसी टर्मिनल पर एयरोफ्लोट के लिए विशेष रूप से सुरक्षा सेवाएं प्रदान की गईं, जिससे निर्बाध संचालन और उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा–4 के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा–22 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में दायर यौन उत्पीड़न के मामलों का विवरण, यदि कोई हो, निम्नानुसार है:

- वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : 1
- वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : 1
- नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या : शून्य
- यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या : एनएएचआरडी द्वारा आयोजित पीओएसएच पर प्रशिक्षण विभिन्न स्टेशनों पर तैनात अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने अखिल भारतीय स्तर पर एचआर कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया, जिसमें प्रशासन और एचआर से संबंधित प्रोफाइल में लगे सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें 'पीओएसएच जागरूकता' विषय कॉन्क्लेव का एक अभिन्न अंग था। इसके अलावा, एआईएएसएल के सभी कार्यालयों में आंतरिक परिपत्रों के माध्यम से सामान्य जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

- कंपनी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय : कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया गया है और समय–समय पर परामर्श सुविधा प्रदान की जाती है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एआईएएसएल ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एआईएएसएल ने दिनांक 18 फरवरी 2014 से आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों/अपील से निपटने के लिए अपनी संरचना को विकेंद्रीकृत कर दिया है, और आवेदनों/अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए। 05 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), 05 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 01 नोडल अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, 31 आरटीआई अनुरोध और 04 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण कर दिया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है।

लाभांश

निदेशकों द्वारा इस वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों में कोई अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश नहीं था, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं हुए।

आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपनी आरक्षित निधि में शून्य राशि रखने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

एमएसई अनुपालन

एआईएएसएल का सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने का प्रयास रहता है। एआईएएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक प्रापण नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 213.48 मिलियन रुपये थी।

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों संबंधी सूचना

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है।

भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

दिनांक 31 मार्च, 2024 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

प्रबंधन

निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के निदेशकों और केएमपी के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति का माध्यम
1.	**श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	निदेशक (01–03–2023 से 01–01–2024 तक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)	02-02-2017	01-01-2024	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया
2.	***श्री असंगबा चुबा आओ	निदेशक (01–01–2024 से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित)	01-01-2024	-	
3.	*श्रीमती परमा सेन	महिला निदेशक	11-02-2022	12-12-2023	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया
4.	*श्री राहुल जैन	निदेशक	12-12-2023	14-05-2024	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया
5.	श्रीमती नयोनिका दत्ता	महिला निदेशक	12-02-2024	-	.

*नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी दिनांक 12–12–2023 की फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में, श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (जेएस), डीआईपीएएम, को दिनांक 12–12–2023 से श्रीमती परमा सेन के स्थान पर एआईएएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्रीमती परमा सेन दिनांक 12–12–2023 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गईं और श्री राहुल जैन को दिनांक 12–12–2023 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

**इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 02–02–2024 के अनुसार, श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव (जेएस), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01–01–2024 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर एआईएएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा दिनांक 01–01–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में पदमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईएएसएल बोर्ड ने संकल्प के परिपत्रण द्वारा संदर्भ संख्या एपीपी–60 दिनांक 05–02–2024 के अनुसार श्री असंगबा चुबा आओ को दिनांक 01–01–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया गया और दिनांक 05–02–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया गया जब तक कि नागर विमानन मंत्रालय/होल्डिंग कंपनी से कोई और निर्देश न आ जाए।

***इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 14–05–2024 के अनुसार, जिसे दिनांक 08–02–2024 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पढ़ा गया और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 26–02–2024 के आदेश के अनुसार, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री राहुल जैन 14–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईएएसएल बोर्ड ने अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से दिनांक 30–05–2024 के संदर्भ संख्या एपीपी–61 द्वारा श्री शोभित गुप्ता को दिनांक 25–05–2024 से नियुक्त किया गया और डॉ. आलोक पांडे को 16–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में (अर्थात जिस तारीख से उन्होंने अपने–अपने निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की है) नियुक्त किया और दिनांक 30–05–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी–एआईएएचएल (दिनांक 14–05–2024 के ओएम के अनुसार 26–02–2024 के ओएम के साथ पठित) होने के नाते, दिनांक 14–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पदधारित हैं और एमओसीए/एआईएएचएल से किसी भी आगे के पत्राचार तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहेंगे।

बोर्ड ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में अध्यक्ष के रूप में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, नामित निदेशकों के रूप में श्रीमती परमा सेन और श्री राहुल जैन द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक केएमपी

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति का माध्यम
1.	श्री रामबाबू सीएच.	सीईओ	31.07.2021	-	-
2.	श्री संदीप मल्होत्रा	सीएफओ	09.02.2023	-	-
3.	श्रीमती शशि भदूला	सीएस	11.06.2020	-	-

निदेशक मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के तहत अपेक्षित अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 6 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से चार बोर्ड बैठकें वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं और दो बोर्ड बैठकें भौतिक रूप से आयोजित की गईं। इसके अलावा, दो बैठकों के बीच समय अंतराल पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशक मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	26 जून, 2023	3	3
2	19 जुलाई 2023	3	2
3	15 सितंबर, 2023	3	2
4	03 नवंबर, 2023	3	3
5	16 फरवरी, 2024	4	4
6	22 मार्च, 2024	4	4

बोर्ड समितियाँ

कंपनी की बोर्ड समितियाँ निम्नलिखित हैं :

1. लेखापरीक्षा समिति

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

1. लेखापरीक्षा समिति

कॉर्पोरेट प्रशासन के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने आरंभ में नवंबर 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया और दिनांक 13 दिसंबर 2017 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अपने कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और परिणामस्वरूप बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, लेखापरीक्षा समिति के सदस्य पदेन क्षमता में निम्नलिखित थे :

क्र.सं.	निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
1.	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री असंगबा चुबा आओ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एआईएएचएल, संयुक्त सचिव–नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

बोर्ड ने ऑडिट समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बोर्ड ने आरंभ में दिनांक 23 मई 2016 को एक सीएसआर समिति का गठन किया था। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अपने कई ओएम के माध्यम से एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, सीएसआर समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

क्र.सं.	निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
1.	श्री असंगबा चुबा आओ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–एआईएएचएल, संयुक्त सचिव – नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

ऑडिट समिति और सीएसआर समिति से संबंधित अन्य विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।
2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2024 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स बंसल एंड कंपनी एलएलपी., सनदी लेखाकार, दिल्ली को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर संलग्न हैं। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं और किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शून्य टिप्पणियां, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर/टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षा

मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को दिनांक 15 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखे और रिकॉर्ड बनाए रखती है और लागत लेखा परीक्षकों द्वारा उनका लेखाजोखा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 07 अक्टूबर 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर की गई थी।

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दीवान कुंवरिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।

ऋण, गारंटी और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था, और इसलिए, धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया / ऋणों का कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–134(3)(एम) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

हालांकि, कंपनी ने ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

अर्जन	26.07 अमरीकी डॉलर
व्यय	1.81 अमरीकी डॉलर

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर के लिए प्रावधान उस कंपनी के लिए लागू किया जाता है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो और यह पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष के दौरान हो। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नया सीएसआर योगदान खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एआईएएसएल ने अपने अप्रयुक्त सीएसआर निधि (पिछले वर्षों से अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक संचित अप्रयुक्त राशि/निधि) जिसकी राशि रु.6,25,07,941.86/– [5,38,90,383 + 86,17,558.86 (ब्याज),] का उपयोग, समय–समय पर आयोजित बोर्ड की बैठकों में और अंततः 22.03.2024 को आयोजित 103वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित तरीके से और इसे एआईएएसएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है **(सीएसआर फंड उपयोग पर सीएफओ का प्रमाणन अनुलग्नक–II ए के रूप में संलग्न है)** ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न है।

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट शासन

कंपनी ने कॉरपोरेट शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट पृथक रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेशण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन विचारविमर्श और विशलेशण रिपोर्ट पृथक रूप से प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3) के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2024 के नियम 12(1) के अनुपालन में, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट अर्थात https://www-aiasl-in/Annualreturn-aspx पर उपलब्ध होगा।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी लंबित प्रक्रिया का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत, कंपनी के नाम पर कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

कर्मचारियों का विवरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ई के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा–197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5(1)/(2) के साथ पठित धारा–197 (12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआईएएसएल, सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक एवं घोषणा

एआईएएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद–97 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रतिशासनिक मंत्रालय/एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो कि भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

एआईएएसएल, एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के प्रावधान से छूट दी गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–178 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में दिनांक 13.07.2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 880 (ई) के तहत गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छूट प्रदान की गई है। एआईएएसएल को एआई एसेट्स हाल्डिंग लिमिटेड की गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यपालक निदेशकों एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप हो।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

मैसर्स दीवान कुंवरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, दिल्ली को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए व्यापार प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की समीक्षा की जा सके, जिससे कि सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग और कंपनी की संपत्ति की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटीकरण –

लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

ग्राउंड हैंडलिंग में गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन

समर्पित सुरक्षा और गुणवत्ता दल का कार्यान्वयन परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक एयरलाइनों के लिए उच्च सेवा मानकों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसमें सक्रिय जोखिम रिपोर्टिंग, व्यापक जोखिम प्रबंधन और क्षेत्र–विशिष्ट जोखिम आकलन शामिल हैं। ऑडिट, प्रशिक्षण और फीडबैक के माध्यम से निरंतर सुधार सभी स्टेशनों पर लगातार सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, साथ ही अपडेट और सुधारों पर एयरलाइनों को स्पष्ट संदेश भी देता है।

जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने से कर्मचारियों को संभावित जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करने और अवसरों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जिससे संगठनात्मक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए प्रभावी, समय पर प्रतिक्रिया मिलती है।

जोखिमों की प्रभावी रूप से पहचान करना, उनका आकलन करना और उनका प्रबंधन करना कंपनी की मानवीय, भौतिक और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर, व्यवसाय व्यवधानों को कम कर सकते हैं और लागतों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह सक्रिय जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करता है।

सभी क्षेत्रों में आंतरिक और पाक्षिक ऑडिट परिचालन मानकों की गहन समीक्षा और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रक्रियाओं में उच्चतम गुणवत्ता बेंचमार्क को बनाए रखते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बनाने की प्रक्रिया में है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- एक ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
- कंपनी के मानव, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तथा समन्वित रूप से, न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ, मौजूदा और नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।

सतर्कता तंत्र

होल्डिंग कंपनी अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का सतर्कता विभाग एआईएएसएल सहित एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्य को कवर करता है।
कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति को निदेशक मंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

संबंधित पक्ष संव्यवहार

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हैं, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने दिनांक 19 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी 99वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2023–24 के दौरान लगभग 56.77 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और अन्य सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ अनुबंध/व्यवस्था करने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर ली है। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पक्ष संव्यवहार का विवरण **अनुबंध–III** में संलग्न है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन नहीं था, जो संभावित रूप में कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो सकता था।

आभारोक्ति

बोर्ड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज़
AI AIRPORT SERVICES
FICCI
WINGS INDIA AWARDS 2024
Best Service Provider-Ground Services
AI Airport Services Limited
AIASL
AI AIRPORT SERVICES

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज
AI AIRPORT SERVICES
From Tarmac to Takeoff:
Our Team, Your Reliable Partner.

A1
TG 348
THAI
Suvarnabhumi
A2
TG 348
A3
TG 348
THAI
Bangkok
A4
A5
THAI
Smooth as silk
thaiairways.com

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

- वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व 8759.78 मिलियन रूपए था जो कि वर्श 2022–23 की पुनर्घोषित राशि 9322.98 मिलियन रूपए था।

व्यय

- पिछले वर्ष के 8350.01 मिलियन रूपए की पुनर्घोषित राशि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल खर्च 79988.73 मिलियन रूपए था।

2. उद्योग संरचना और विकास

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और आशा है कि यह ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। भारतीय विमानन ने सकल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं। संभावना है कि भारत अगले दस वर्षों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। विमानन उद्योग की सबसे तेज वृद्धि कई शहरों में हवाईअड्डों के विकास, उदार एफडीआई नीति, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में वृद्धि और क्षेत्रीय संपर्क पर जोर देने से प्रेरित हो रही है।

भारत का नागर विमानन उद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिसने दुनिया के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वित्त वर्ष 2024 में, घरेलू यात्री यातायात 306.79 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात बढ़कर 69.64 मिलियन हो गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। यह प्रभावशाली वृद्धि इस क्षेत्र की लचीलापन और भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। जैसे–जैसे उद्योग विकसित होता जा रहा है, इसके आगे विस्तार की संभावना असीम बनी हुई है।

वर्श 2024 तक 1,000 उड़ान मार्गों को चालू करने और 100 असेवित और अल्प सेवित हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रमों का जीर्णोद्धार या विकसित करने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरसीएस–उड़ान योजना के तहत, दो वाटर एयरोड्रमों ने पहले ही परिचालन शुरू कर दिया है, जो दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा के विमानन नेटवर्क से जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल न केवल दूरदराज के इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में भारत के अभियान को भी रेखांकित करती है।

अवलोकन– ग्राउंड हैंडलिंग

भारत का ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार समेकित हो रहा है, क्योंकि हवाईअड्डा संचालकों द्वारा अधिकांश हवाईअड्डों पर बड़ी संख्या में जीएचए नियुक्त किए जा रहे हैं, तथा वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में प्रसार, हैंडलिंग तथा राजस्व के मामले में अग्रणी पक्ष है। एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज, बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज, सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडो–थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अन्य प्रमुख जीएचए हैं।

भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में वित्त वर्ष 2019 – वित्त वर्ष 2026 के दौरान सकारात्मक दोहरे अंकों की सीएजीआर से वृद्धि होने की उम्मीद है। ग्राउंड हैंडलिंग तथा विमानन क्षेत्र में अनुकूल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर में वृद्धि इस वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता होगी। भविष्य के उत्प्रेरक एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवा बाजार में नए घरेलू तथा विदेशी खिलाड़ियों का प्रवेश होगा, जिसमें एयरलाइनें अपने बेड़े का आकार बढ़ाएंगी तथा नए एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करेंगी।

भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का भविष्य हवाई यात्रियों और माल ढुलाई में वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। एयरलाइन बेड़े का विस्तार, अकासा एयर जैसे नए वाहकों और एअर इंडिया और इंडिगो जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के उदय के साथ, बेहतर ग्राउंड सेवाओं की मांग को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डे के टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और विस्तार इस क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देगा। भारतीय वाहकों द्वारा 1,250 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए जाने के साथ, ग्राउंड–हैंडलिंग सेवा बाजार एक मजबूत परिवर्तन के लिए तैयार है। यह ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र भारत में अधिक गतिशील और कुशल विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का वादा करता है।

स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

ताकत

- एआईएएसएल भारत में सबसे बड़ा ग्राउंड हैंडलर है, जिसकी मौजूदगी पूरे भारत में है, उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर और अगत्ती तक है।
- एआईएएसएल को सिविल एन्क्लेव, रक्षा हवाईअड्डों और भविष्य के हवाईअड्डों सहित भारत भर के सभी हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने का अधिकार है।
- ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों के उपलब्ध बेड़े के साथ, एआईएएसएल ए380 तक सभी प्रकार के यात्री और मालवाहक विमानों को कवर करते हुए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है।
- एआईएएसएल को भारत के सभी हवाई अड्डों पर सबसे कम रॉयल्टी का लाभ मिलता है।
- एआईएएसएल के पास एअर इंडिया से इसके विकास को देखते हुए पाँच दशकों से अधिक की विशेषज्ञता और अनुभव है।
- एआईएएसएल में एअर इंडिया से स्थानांतरित अनुभवी कर्मचारियों और बाजार से सीधे भर्ती किए गए युवा कर्मचारियों की मिश्रित ताकत है।
- एआईएएसएल में भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से लगभग 150 योग्य इंजीनियर (बीई/बी.टेक) हैं।
- एआईएएसएल ने आईएटीए ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनर बनने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे इसकी वैश्विक छवि और विश्वसनीयता मजबूत होगी।
- एआईएएसएल ने भारत में और विदेशों में विदेशी स्टेशनों पर विशेष अतिरिक्त सेक्शन उड़ानों (एसाईएसएफ) को संभालने के लिए एआईएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एआईएएसएल ने सभी भारतीय हवाई अड्डों पर आईएएफ की अन्य सभी उड़ानों (गैर–एसईएसएफ, ए321 कूरियर, आदि) को संभालने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- लचीलापन दिखाते हुए, एआईएएसएल ने 2021 में गैर–इकाई ग्राउंड हैंडलर की समाप्ति के कारण कम समय सीमा के भीतर विभिन्न हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग को सफलतापूर्वक संभाला, न्यूनतम शिकायतों के साथ संचालन बनाए रखा।
- एआईएएसएल ने दो बार गैर–इकाई जीएचए के बाहर निकलने पर (दिनांक 01 जनवरी 2021 और 15 जुलाई 2021) मौके का फायदा उठाया और न्यूनतम शिकायतों के साथ सभी उड़ानों को सफलतापूर्वक संभाल रहा है।

- एआईएएसएल ने विशेष अधिकारों के रूप में, बेगमपेट हवाई अड्डों पर विभिन्न विमान निर्माताओं (बोइंग बी777एक्स सहित) द्वारा नवीनतम अत्याधुनिक जीएसई के साथ नए विमानों के प्रदर्शन के साथ विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम को संभाला।

- आईएएसएल एक ऋण मुक्त कंपनी के रूप में काम करती है और पिछले पांच वर्षों में अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से अत्याधुनिक जीएसई में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, आज की तारीख तक इसका कोई वैधानिक बकाया नहीं है।

- एआईएएसएल ने भारत में कोविड महामारी के दौरान पीपीई किट, जीवन रक्षक दवाओं और टीकों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

- चेन्नई और मुंबई में एआईएएसएल के गोदामों को आरए, आरए3 यूके और आरए3 ईयू अनुपालन के लिए प्रमाणित किया गया है।

<u>कमियां</u>

- एआईएएसएल की गतिविधियाँ मुख्य रूप से मैन्युअल सिस्टम पर की जाती हैं, जिससे अकुशलताएँ पैदा होती हैं। स्वचालन की अनुपस्थिति परिचालन प्रभावशीलता में बाधा डालती है, जिससे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और देरी को खत्म करने के लिए ईआरपी/एसएपी सिस्टम का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है।

- उपयोग में आने वाले जीएसई की औसत आयु 15.2 वर्ष है, जो नए, अधिक कुशल उपकरणों वाले निजी प्रतिस्पर्धियों से काफी पीछे है। आधुनिक जीएसई की कमी सेवा की गुणवत्ता और प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

- आईटी अवसंरचना, भूमि, स्थान और विनियामक प्रशिक्षण के लिए एअर इंडिया पर निर्भरता परिचालन स्वतंत्रता को सीमित करती है और संसाधन प्रबंधन में जटिलता की परतें जोड़ती है।

- प्रतिस्पर्धी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों (जीएचए) द्वारा लगातार अवैध शिकार के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जो कार्यबल स्थिरता को कमजोर करती है और प्रशिक्षण लागत बढ़ाती है।

- लंबित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी) और अन्य कानूनी मामले परिचालन और वित्तीय अनिश्चितताएँ पैदा करते हैं, संसाधनों को हटाते हैं जिन्हें अन्यथा रणनीतिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

<u>अवसर</u>

- एआईएएसएल के पास मुंबई (बीओएम) और चेन्नई (एमएए) में मौजूदा परिचालन को छोड़कर, पूरे भारत में हवाईअड्डों पर कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

- मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए आरए (विनियमित एजेंट) अनुपालन प्राप्त करने का काम चल रहा है, जो आगे के व्यावसायिक विस्तार और साझेदारी के लिए दरवाजे खोलेगा।

- एआईएएसएल भारत भर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा संचालित सभी भारतीय वायु सेना (आईएएफ) उड़ानों का प्रबंधन करने के लिए तैयार है।

- आईएएफ द्वारा प्रदान किए गए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) का लाभ उठाते हुए, 20 रक्षा हवाई क्षेत्रों में आईएएफ की बी777 और बीबीजे उड़ानों को संभालने का विशेष अवसर, रक्षा विमानन सहायता में एआईएएसएल की स्थिति को बढ़ाता है।
- एआईएएसएल में विशेष विमानन प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने वाले प्रमाणित आईएटीए/डीजीसीए–मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की क्षमता है।
- एआईएएसएल का प्रशिक्षण प्रभाग अन्य एजेंसियों का प्रशिक्षण आयोजित करके लाभ कमाने वाली इकाई बन सकता है।
- एआईएएसएल अपने गैर–अनुसूचित परिचालन (एनएसओपी) व्यवसाय को अखिल भारतीय स्तर पर आगे बढ़ा सकता है।
- आरसीएस उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई पट्टियों से अधिक से अधिक वाणिज्यिक हवाईअड्डों को चालू करने की सरकार की योजना के साथ, एआईएएसएल के पास इन हवाईअड्डों पर विस्तार करने का अवसर है।
- एआईएएसएल के पास पड़ोसी देशों में परिचालन का विस्तार करने, अपने क्षेत्रीय पदचिह्न को व्यापक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर कब्जा करने के अवसर हैं।
- भारत भर में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, एआईएएसएल अपने परिचालन पैमाने और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए अधिक ग्राहक एयरलाइनों को आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

<u>जेखिम</u>

- भारत भर के विभिन्न हवाईअड्डों पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों (जीएचए) की बढ़ती उपस्थिति, जिससे बाजार हिस्सेदारी और प्रतिधारण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
- निश्चित अवधि के अनुबंधित कर्मचारियों के बीच उच्च एट्रिशन दर, साथ ही अनुभवी स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, परिचालन निरंतरता और विशेषज्ञता को प्रभावित कर रही है।
- वर्तमान ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) नीति के तहत एयरपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा लगाई गई सीमाएँ, नए विकसित एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में एआईएएसएल की नियुक्ति को प्रतिबंधित करती हैं।
- एयरपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा नई नीतियों के कारण ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) का अनिवार्य प्रतिस्थापन, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता है।
- 3.5 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष (एमपीए) और उससे अधिक क्षमता वाले एयरपोर्ट पर हरित पहलों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीएसई खरीदने की तत्काल आवश्यकता है।
- निजी एयरपोर्ट पर प्रतिस्पर्धी जीएचए द्वारा उद्धृत उच्च रॉयल्टी प्रतिशत, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता को बनाए रखने में चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- परिचालन दक्षता और लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए कार्यबल को 20,000 कर्मचारियों तक बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का प्रबंधन करना।
- असंगठित यूनियनों के कारण समय–समय पर होने वाले व्यवधान, सुचारू संचालन और कर्मचारी मनोबल को प्रभावित करते हैं।

4. भविष्य का दृष्टिकोण

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) को दिनांक 01 फरवरी 2013 को चालू किया गया था और इसने अप्रैल 2014 से अपना स्वतंत्र संचालन शुरू किया। वर्तमान में, एआईएएसएल भारत में लगभग 150 हवाईअड्डों (85 हवाईअड्डों पर, एआईएएसएल पूरी तरह से कार्यरत है, और 31 हवाईअड्डों पर एआईएएसएल व्यवसाय के विकास के अनुसार स्थापित कर रहा है) पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है।

वर्तमान परिदृश्य में, ग्राउंड हैंडलिंग (यात्री, रैंप और कार्गो) 6 भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों (एआई समूह – एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानों सहित) को प्रदान की जाती है; 4 क्षेत्रीय एयरलाइंस (एलायंस एयर उड़ानों सहित); 01 घरेलू कार्गो एयरलाइन; 65 विदेशी अनुसूचित एयरलाइंस, 4 मौसमी चार्टर एयरलाइंस और 22 विदेशी एयरलाइंस गैर–अनुसूचित हैंडलिंग के अलावा (एपीईडीए) खराब होने वाले कार्गो हैंडलिंग सेवा का लाभ उठा रही हैं। इसके अतिरिक्त, एआईएएसएल एअर इंडिया समूह, एलायंस एयर और अन्य क्लाइंट एयरलाइंस को केबिन क्लीनिंग और केबिन ड्रेसिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

एआईएएसएल, भविष्य के दृष्टिकोण को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है;

- एआईएएसएल ने वैश्विक सुरक्षा और परिचालन मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आईएसएजीओ (आयटा सेफ्टी ऑडिट फॉर ग्राउंड ऑपरेशंस) प्रमाणन का अनुपालन करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- एआईएएसएल ने एअर इंडिया से चेन्नई (एमएए) में कार्गो वेयरहाउसिंग कस्टोडियनशिप को सफलतापूर्वक अपने हाथ में ले लिया है, जिससे राजस्व सृजन के अवसरों में वृद्धि हुई है।
- एआईएएसएल ने अपने चेन्नई कार्गो वेयरहाउस के लिए आरए, आरए3 ईयू और आरए3 ईयू प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई कार्गो वेयरहाउस ने आरए3 यूके और आरए3 ईयू प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।मुंबई के लिए आरए निरीक्षण समाप्त हो चुका है, और प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है। ये उपलब्धियाँ कार्गो संचालन में उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए एआईएएसएल के समर्पण को दर्शाती हैं।
- एआईएएसएल चेन्नई कार्गो वेयरहाउस में अंतर्राष्ट्रीय कूरियर व्यवसाय की हैंडलिंग शुरू करके अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए नई सेवाएँ शुरू कर रहा है।
- एआईएएसएल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसईएसएफ संचालन की सुविधा प्रदान करना जारी रखता है, जिससे इसकी वैश्विक परिचालन उपस्थिति मजबूत होती है।
- एआईएएसएल भारतीय रक्षा बलों द्वारा संचालित सभी विमानों के लिए समर्पित हैंडलर बना हुआ है, जिसमें भारत भर में रक्षा परिक्षेत्र भी शामिल हैं।
- एआईएएसएल आईएटीए ग्राउंड हैंडलर्स पार्टनरशिप (आईएटीए जीएचपी) में शामिल हो गया है, जो विश्व एयरलाइनों और गैर–अनुसूचित ऑपरेटरों के बीच दृश्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक मंच के साथ जुड़ रहा है।
- एआईएएसएल सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड हैंडलिंग सम्मेलनों में भाग लेता है, नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है।
- एआईएएसएल परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए पेशेवरों की भर्ती करके अपने सुरक्षा, मानव संसाधन, एमएमडी और आईटी विभागों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- एआईएएसएल ग्राउंड हैंडलिंग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए भारत भर के प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

- एआईएएसएल अपने क्लाइंट एयरलाइंस के लिए सेवा स्तर समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे लगातार और उच्च–गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।
- ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव का उद्देश्य एआईएएसएल की सेवाओं को क्लाइंट एयरलाइंस की उभरती जरूरतों के साथ जोड़ना, परिचालन दक्षता को बढ़ाना और विश्व स्तरीय सेवा मानकों को सुनिश्चित करना है।
- एआईएएसएल कर्मचारियों के लिए वर्दी की शुरूआत पेशेवर रूप से सुसज्जित रहने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, अनुशासन, एकता और संगठन में एक सुसंगत पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एआईएएसएल एक सुरक्षा–प्रथम संस्कृति को विकसित करने के लिए समर्पित है, जिसका लक्ष्य ग्राउंड हैंडलिंग घटनाओं को कम करना और विमान को होने वाले नुकसान को रोकना है।
- कार्यात्मक प्रशिक्षण और निरंतर कौशल विकास पर जोर कार्यबल के सभी स्तरों पर परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- एआईएएसएल अपने क्लाइंट एयरलाइंस को बेहतर सेवा देने के लिए तकनीकी सहायता और लाइन रखरखाव सहित अपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का विस्तार करने के अवसरों की खोज कर रहा है।
- एआईएएसएल परिचालन को सुव्यवस्थित करने और कार्यबल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ईआरपी सिस्टम, बायोमेट्रिक उपस्थिति और कर्मचारी स्व–सेवा (ईएसएस) पोर्टल जैसे नए आईटी उत्पादों को लागू कर रहा है।
- संगठन अपने नए ईआरपी सिस्टम के भीतर एकीकृत गैर–अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए भुगतान गेटवे के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रहा है।
- एआईएएसएल प्रमुख बेस स्टेशनों (बीओएम, एमएए, सीसीयू, सीओके, जीओआई, पीएनक्यू, एटीक्यू) पर स्थित अपनी कार्यशालाओं का अनुकूलन कर रहा है, रखरखाव लागत को कम करने के लिए अपने कुशल कर्मचारियों का लाभ उठा रहा है।
- एआईएएसएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कैपेक्स योजनाओं के अनुरूप अपने पुराने ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन की योजना बना रहा है।
- एआईएएसएल बोर्ड की मंजूरी के अनुरूप हवाई अड्डों पर पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के लिए सरकार के अभियान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एआईएएसएल आंतरिक राजस्व का उपयोग करके एआईएएचएल से चेन्नई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया यूनिटी कॉम्प्लेक्स का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

5. गोइंग कंसर्न

कंपनी ने 2012–13 से शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो 2012–13 के दौरान 5.06 मिलियन रुपये से बढ़कर 2019–20 के दौरान 504.82 मिलियन रुपये (पुनः घोषित) हो गया है। हालांकि, कोविड–19 की स्थिति के कारण, कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 1,900.28 मिलियन रुपये का घाटा हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर पश्चात 771.05 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

6. मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 31 मार्च 2024 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत शामिल कर्मचारियों की संख्या 18448 थी।

7. जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ

कंपनी लगातार जोखिम धारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों के शमन के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

मेसर्स दीवान कुंवरिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने, सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सुविधा प्रदान करने और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की समीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

9. पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी ने हमेशा ऊर्जा बचत और प्रौद्योगिकी अवशोषण को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण खरीदते समय, कंपनी ने हमेशा हरित पहल करने की कोशिश की, जहाँ भी संभव हो। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा से संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर के लिए प्रावधान उस कंपनी के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिसकी नेटवर्थ की सीमा 500 करोड़ रूपए या टर्नओवर 1,000 करोड़ रूपए या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक हो, किसी भी तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान। कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नया सीएसआर योगदान खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एआईएएसएल ने अपनी अप्रयुक्त अव्ययित सीएसआर निधि (पिछले वर्षों की अव्ययित राशि/फंड अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक) का उपयोग रु. 6,25,07,941.86/– [रु 5,38,90,383+86,17,558.86 (ब्याज)] समय–समय पर आयोजित बोर्ड की बैठकों में और अंततः 22.03.2024 की 103वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित तरीके से और इसे एआईएएसएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है (सीएसआर फंड उपयोग पर सीएफओ का प्रमाणन अनुलग्नक–II ए के रूप में संलग्न है)। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है।

11. अभिरक्षण कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिए गए कथन भविष्योन्मुखी कथन हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी भिन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण और उद्योग परिदृश्य के साथ–साथ भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा, जहाँ भी उल्लेख किया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी और विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और प्रबंधन द्वारा भरोसा किए जाने पर आधारित है। जो महत्वपूर्ण कारक स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कही गई कथन में अंतर ला सकते हैं, उनमें आर्थिक स्थितियाँ, घरेलू और वैश्विक जैसे बाजार में कार्यरत माँग और आपूर्ति शक्तियाँ, कर कानून और अन्य कानूनों सहित समय–समय पर संशोधित सरकार की नीतियाँ, नियम और विनियमन तथा साथ ही व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाले अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

बोर्ड के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता पर कंपनी का दर्शन

कंपनी, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दृढ़ विश्वास रखती है और लगातार इसका अनुसरण करती रही है। कंपनी के प्रमुख चरित्र को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों द्वारा आकार दिया गया है। कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन, अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रकटीकरण करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है।

2. निदेशक मंडल

एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर एआईएएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था।

तदनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक बोर्ड की संरचना नीचे दी गई है :

दिनांक 31 मार्च 2024 तक निदेशक मंडल

क.सं	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री असंगबा चुबा आओ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और संयुक्त सचिव (जेएस), नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2.	श्री पदम लाल नेगी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
3.	श्री राहुल जैन संयुक्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	नामित निदेशक
4.	श्रीमती नयोनिका दत्ता संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 12–12–2023 के अनुसरण में, श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (जेएस), डीआईपीएएम को दिनांक 12–12–2023 से श्रीमती परमा सेन के स्थान पर एआईएएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्रीमती परमा सेन दिनांक 12–12–2023 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गईं और श्री राहुल जैन को 12–12–2023 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 02–02–2024 के अनुसार, श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव (जेएस), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01–01–2024 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर एआईएएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा दिनांक 01–01–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कार्यमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईएएसएल बोर्ड ने अपने संचलन प्रस्ताव के तहत संदर्भ संख्या एपीपी 60 दिनांक 05–02–2024 के अनुसार श्री असंगबा चुबा आओ को दिनांक 01–01–2024 को एआईएएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था। दिनांक 05–02–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया गया जब तक कि एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से कोई और निर्देश प्राप्त न हो जाए।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 08.02.2024 को एआईएएसएल और एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में, कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक की आवश्यकता पर विचार करते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड के कामकाज के लिए कोरम उपलब्ध है, एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और एआईएएसएल के बोर्ड में नीचे दिया गया परिवर्तन हुआः

श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तारीख अर्थात दिनांक 12.02.2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 14–05–2024 को ओएम दिनांक 08–02–2024 और एमओसीए द्वारा जारी आदेश दिनांक 26–02–2024 के अंतर्गत, एआईएएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

श्री राहुल जैन 14–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गए। इसके अलावा, एआईएएसएल बोर्ड ने अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से दिनांक 30–05–2024 के संदर्भ संख्या एपीपी–61 द्वारा श्री शोभित गुप्ता को दिनांक 25–05–2024 से नियुक्त किया गया और डॉ. आलोक पांडे को 16–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में (अर्थात जिस तारीख से उन्होंने अपने–अपने निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की है) नियुक्त किया और दिनांक 30–05–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी–एआईएएचएल (दिनांक 14–05–2024 के ओएम के अनुसार 26–02–2024 के ओएम के साथ पठित) होने के नाते, दिनांक 14–05–2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पदधारित हैं और एमओसीए/एआईएएचएल से किसी भी आगे के पत्राचार तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहेंगे।

बोर्ड ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में अध्यक्ष के रूप में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, नामित निदेशकों के रूप में श्रीमती परमा सेन और श्री राहुल जैन द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की।

3. बोर्ड की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उसमें निदेशकों की उपस्थिति, निदेशक पद और निदेशकों द्वारा धारण की गई समिति की स्थिति के बारे में विवरण :

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईः

26 जून, 2023 (98वीं बैठक)

19 जुलाई 2023 (99वीं बैठक)

15 सितंबर, 2023 (100वीं बैठक)

03 नवंबर, 2023 (101वीं बैठक)

16 फरवरी, 2024 (102वीं बैठक)

22 मार्च, 2024 (103वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति सहित उनका विवरण :

निदेशक का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं	वर्ष के दौरान आयोजित 6 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित डायरेक्टरशिप	समितियों में धारित सदस्यता
श्री एस.के.मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – नामिती निदेशक (02.02.2017 से 01.01.2024)	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम.ए.(पब्लिक पालिसी), आईआरएस (आईटी :1990)	4 (केवल 4 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड – 01.03.2023 से **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड – 01.03.2023 से, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड – 01.03.2023 से, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – 01.03.2023 से & एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड – 01.03.2023 से **निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड – 02.02.2017 से, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड – 02.02.2017 से एआई एसेट्स, होल्डिंग लिमिटेड – 22.01.2018 से	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष *कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखापरीक्षा समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (*श्री एस.के. मिश्रा 14.03.2023 से पहले सीएसआर समिति के सदस्य थे) **एआई इंजीनियर्स सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष मानव संसाधन समिति उड़ान सुरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

श्रीमती परमा सेन, अपर सचिव, डीआईपीएएम (11 फरवरी 2022 से 12 दिसंबर 2023 तक)	एमएससी भौतिकी, आईए एंड एएस (1994)	2 (केवल 4 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और नेशनल फाइनांयिल होल्डिंग लिमिटेड	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य लेखा परीक्षा समिति सीएसआर समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य लेखापरीक्षा समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति
श्री पदम लाल नेगी (18 जनवरी 2023 से)	आईडीएएस 1992	6	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अंशकालीन निदेशक)	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड**, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति
श्री राहुल जैन (12 दिसंबर 2023 से 14 मई 2024 तक)	सीए, एम.कॉम आईएएस	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड,	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** **सदस्य** ऑडिट समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिती

			एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड	**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** सदस्य ऑडिट समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिय हितधारक संबंध समिति **नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड** सदस्य प्रशासक/सलाहकार मंडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का निकाय
श्री असंगबा चुबा आओ (1 जनवरी 2024 से)	एम.ए. (इंग्लिश लिट.) और एम. ए. (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन), आईएएस	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 01.01.2024 से अध्यक्ष एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 01.01.2024 से, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 01.01.2024 से, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड 01.01.2024 से, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 01.01.2024 से निदेशक एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** **अध्यक्ष** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड** अध्यक्ष

			लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (18.01.2023 से)	लेखा परीक्षा समिति सदस्य उड़ान सुरक्षा समिति मानव संसाधन समिति **एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड** सदस्य हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, **पवन हंस लिमिटेड** सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्रीमती नयोनिका दत्ता (12 फरवरी 2024 से)	अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)	**निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	शून्य

4. बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें, आम तौर पर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या होल्डिंग कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/भौतिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती थीं। बैठकें काफी पहले से निर्धारित होती हैं। आपात स्थिति या तात्कालिकता के मामले में, प्रस्ताव परिपत्रण द्वारा पारित किये जाते हैं। कंपनी के परिचालन निश्पादन की समीक्षा के लिए बोर्ड तिमाही के दौरान, कम से कम एक बार बैठक करता है। बैठकों की कार्यसूची को, संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और सीईओ और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के कागजात निदेशकों को पहले ही संवितरित कर दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को सभी जानकारियों तक पहुंच उपलब्ध होती है और वे चर्चा की कार्यसूची में, किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

5. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आरंभ में नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था और दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईएएसएल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और परिणामस्वरूप बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, निम्नलिखित पदेन क्षमता में लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में पद
श्री पदम लाल नेगी, जेएस एंड एफए, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं जेएस, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्री राहुल जैन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

इस समिति के संदर्भ की शर्तें हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यनिशपादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और साथ ही यह निर्धारित करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करना।
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना और वैधानिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी देना या बाद में कोई संशोधन करना।
- अंतर–निगमित ऋणों और निवेशों की जांच करना।
- जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- बोर्ड की इच्छानुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान 6 बार बैठक की थीं :

26 जून, 2023 (38वीं बैठक)

19 जुलाई, 2023 (39वीं बैठक)

15 सितंबर, 2023 (40वीं बैठक)

03 नवंबर, 2023 (41वीं बैठक)

16 फरवरी, 2024 (42वीं बैठक)

22 मार्च, 2024 (43वीं बैठक)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने आरंभ में दिनांक 23 मई 2016 को एक सीएसआर समिति का गठन किया था। इसके अलावा, एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के बाद, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के तहत एआईएएसएल बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, सीएसआर समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

निदेशक का विवरण	समिति में पद
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं जेएस, एमओसीए	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी, जेएस एंड एफए, एमओसीए	सदस्य
श्री राहुल जैन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

सीएसआर समिति की बैठकें

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान 4 बार बैठक हुईं :

26 जून, 2023 (18वीं बैठक)

15 सितंबर, 2023 (19वीं बैठक)

16 फरवरी, 2024 (20वीं बैठक)

22 मार्च, 2024 (21वीं बैठक)

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्शिक आम बैठक (एजीएम):

एजीएम/ईजीएम संख्या	बैठक की तिथि व समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
18वीं एजीएम	30 नवंबर, 2021 को 1130 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
18वीं (स्थगित) एजीएम	14 दिसंबर, 2021 को 1100 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	नहीं
3 ईजीएम	14 जनवरी, 2022	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
19वीं एजीएम	30 दिसंबर, 2022 को 1130 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां
20वीं एजीएम	12 दिसंबर, 2023 को 1200 बजे	दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037	हां

- मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) हैं।

7. प्रकटन और वैधानिक अनुपालन : –

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यहार, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें आवधि रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे उचित निर्णय ले सकें और बोर्ड व्यवसायिक विशयों की व्यवस्था के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण के लिए स्पश्ट नीति का अनुसरण करता है। प्रकटन, सूचना, दस्तावेजों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें कोई मामला लंबित नहीं है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट ग्रेड के अंतर्गत आती है। डीपीई ने वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईएएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए डीपीई से रेटिंग प्रतिक्षाधीन है।

8. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है, जिसे लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा गया था और यह इस रिपोर्ट का भाग है।

बोर्ड के निमित्त और उनकी ओर से

ह / –
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

आचार संहिता

घोषणापत्र

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(रामबाबू सीएच)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

हम, रामबाबू सीएच., मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संदीप मल्होत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (यहां इसे आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

1. हमने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है :

क) इन विवरणों में भौतिक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ नहीं गया है या इसमें ऐसे विवरण भाामिल नहीं हैं, जो भ्रामक हों।

ख) ये विवरण, कंपनी के मामलों की स्थिति और परिचालन और नकदी प्रवाह के परिणामों का सही और निष्पक्ष स्वरूप प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण, लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों सहित वर्तमान में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, सभी भौतिक मामलों में अनुरूपता में तैयार किए गए हैं।

2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कार्य करता है, और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट करता है।

महत्वपूर्ण कमियों और भौतिक कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराया जाता है।

4. हम निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षकों को सूचना प्रदान करते हैं :

क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

5. हम आगे घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

	ह/–	ह/–
	रामबाबू सीएच.	**संदीप मल्होत्रा**
दिनांक : 03.01.2025	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली	**पीएएन सं: AGVPC9371P**	**पीएएन सं: : AFWPM3559B**

अनुलग्नक –I

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

सीएसआर नीति

क. पृष्ठभूमि :

कंपनी अधिनियम, 2013 ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा पेश की। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, चाहे वह प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड, जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या कारोबार 1000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये है, को अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा। सीएसआर गतिविधियों को व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं किया जाना चाहिए और अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी गतिविधि के संबंध में होना चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 सीएसआर गतिविधियों को करने की रूपरेखा और कार्यविधि निर्धारित करते हैं।

ख. परिभाषाएँ :

इस नीति में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

1. **'अधिनियम'** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।

2. **'प्रशासनिक व्यय'** का अर्थ है कंपनी द्वारा कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए किए गए खर्च, किन्तु इसमें किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

3. **'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)'** का अर्थ है इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा–135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में किसी कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात

1) कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियाँ।
2) राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर कंपनी द्वारा की जाने वाली कोई गतिविधि।
3) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान।
4) वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली गतिविधियाँ।
5) अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ और
6) भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ।

4. **'सीएसआर समिति'** का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।

5. **'सीएसआर नीति'** का अर्थ उस कथन से है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए दृष्टिकोण और निर्देश शामिल हैं, और इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

6. **'शुद्ध लाभ'** का अर्थ है अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात –

1. कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से होने वाला कोई लाभ, चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा हो।

2 भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं और उनका अनुपालन करती हैं।

7) **'चालू परियोजना'** का अर्थ है कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व की पूर्ति में शुरू की गई एक बहु–वर्षीय परियोजना, जिसकी समय–सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं है, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल नहीं है जिसमें इसे शुरू किया गया था और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में बहु–वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है।

इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

ग. उद्देश्य और सीएसआर विजन :

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करना है, ताकि सीएसआर को ऐसे क्षेत्रों में से एक बनाया जा सके, जो उच्च प्रभाव वाले, संधारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस नीति को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (यदि कोई हो, मौजूदा और आगामी संशोधनों सहित, जैसा भी मामला हो) और ऐसे अन्य नियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं (सामूहिक रूप से 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुरूप पढ़ा जाएगा, जो लागू हो सकते हैं और समय–समय पर संशोधित किए जा सकते हैं और अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेंगे :

• सामाजिक परियोजनाओं / सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी के लाभ का एक निशिचत प्रतिशत समर्पित करने के लिए लागू प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक दिशानिर्देश स्थापित करना और

• उचित प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग के माध्यम से सीएसआर पहलों के अक्षरश कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

घ. सीएसआर गतिविधियों का दायरा :

यह नीति मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन नहीं है, यह अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निम्नलिखित ध्यानार्थ क्षेत्रों में से एक या अधिक द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है :

i. भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना शामिल है।

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं शामिल है।

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना वृद्धाश्रम, डे–केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।

iv. पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

v. ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास।

vi. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त कार्मिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

viii. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या किसी अन्य कोष में योगदान देना।

ix. (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान, और

(ख) सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ, और

xi. झुग्गी क्षेत्र विकास।

स्पष्टीकरण – इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'झुग्गी क्षेत्र' शब्द का अर्थ किसी भी कानून के तहत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित कोई क्षेत्र होगा।

xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

कंपनी समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में सूचीबद्ध विषयों में से सीएसआर गतिविधियों का चयन और संचालन करेगी। अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध विषयों के सार को समझने के लिए सीएसआर नीति के दायरे में विषयों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।

अधिनियम की अनुसूची VII में कोई भी संशोधन या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) या वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के निर्देश भी सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे परिवर्तन की तारीख से कंपनी की सीएसआर नीति के दायरे में शामिल किए गए माने जाएंगे (जहां भी यह अनिवार्य होगा)।

ड. सीएसआर समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया जाएगा, जो सीएसआर गतिविधियों और नीति पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। सीएसआर समिति का कोरम बैठक में उपस्थित दो सदस्यों से होगा।

च. सीएसआर समिति की जिम्मेदारी :

• अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में संशोधनों सहित बोर्ड को एक सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।

• समय–समय पर नीति की निगरानी करना और बोर्ड को बदलावों की सिफारिश करना।

• सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, और

• सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करना।

छ. सीएसआर कार्य समिति

सीएसआर कार्य समिति के सदस्य होंगे :

i. मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

ii. मुख्य वित्तीय अधिकारी/वित्त प्रमुख

iii. मुख्य मानव संसाधन अधिकारी/कार्मिक प्रमुख

iv. कंपनी सचिव

उपर्युक्त सीएसआर कार्य समिति का नेतृत्व कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेंगे।

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में शामिल हैं :

• विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रस्तावों की समीक्षा करना और उन्हें विचार–विमर्श, विचार–विमर्श और अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश के लिए सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

ज. निदेशक मंडल की जिम्मेदारी :

• सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर नीति को मंजूरी देना, बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों/संशोधनों के अधीन।

• यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ' का कम से कम 2 प्रतिशत (या एमसीए द्वारा निर्धारित कोई सीमा और उससे भी अधिक) खर्च करे।

'औसत शुद्ध लाभ' की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

• यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

• यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों से संबंधित हों।

• यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा शामिल की गई गतिविधियाँ सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक थीम पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

• अपने वार्षिक रिटर्न में सीएसआर समिति के सदस्यों के नाम, सीएसआर नीति की विषय–वस्तु का खुलासा करना और कंपनी की वेबसाइट पर अपनी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना तथा एमसीए और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) या वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किसी भी समय पेश किए जा सकने वाले किसी भी अन्य नियम का पालन करना।

• यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए इसके संचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। (हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अगस्त 2021 में जारी स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया था कि अधिनियम में स्थानीय को वरीयता केवल निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। इसलिए इस जिम्मेदारी की उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है)।

झ. वार्षिक /व्यय निधि का आवंटन :

क. कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करेगी। सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या उसे अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख. सीएसआर समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प् के अनुरूप एक वार्षिक सीएसआर योजना तैयार करेगी और कंपनी प्रत्येक वर्ष सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित अपनी वार्षिक सीएसआर योजना में शामिल सीएसआर गतिविधियों को निशपादित करेगी। समिति को मौजूदा वार्षिक सीएसआर योजना में किसी भी संशोधन को मंजूरी देने या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नए कार्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए अधिकृत किया गया है। अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात –

(i) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ii) नियम 4 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।

(iii) सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक थीम पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(iv) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन अनुसूचियों की कार्यविधि।

(v) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र, और

(vi) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव आकलन, यदि कोई हो, का विवरण।

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।

ट. सीएसआर परियोजनाओं का प्रशासन/कार्यान्वयन

1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियां कंपनी द्वारा स्वयं या इसके माध्यम से की जाएंः –

(क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया हो, या

(ख) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृ त सोसायटी, या

(ग) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई, या

(घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80जी के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, और इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड।

2) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल कर सकती है।

3) कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

4) कंपनी का बोर्ड इस बात से संतुष्ट होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।

5) चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समयसीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमोदित समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, यदि कोई हो, तो संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

ठ. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग

क. प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

ख. कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर कार्यक्रम की प्रगति पर रिपोर्ट नियमित आधार पर किए गए खर्च और प्राप्त परिणामों के पूर्ण विवरण के साथ सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाएगी।

ग. कार्य केंद्र क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

घ. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, कार्यान्वयन भागीदारों और व्यय का उचित दस्तावेजीकरण नियमित आधार पर किया जाएगा।

ड. कंपनी की सीएसआर पहलों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में रिपोर्ट किया जाएगा, और

च. कंपनी सीएसआर व्यय का उचित लेखा–जोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।

ड. निष्कर्ष : सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल अपनी नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है। सीएसआर नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों को समय–समय पर प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाने वाले विषय पर विनियमों के अनुसार संशोधन/संशोधन के अधीन किया जाएगा।

नीति के किसी भी प्रावधान के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में और यहां शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में, सीएसआर समिति को संदर्भ दिया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, समिति की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध– II

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2023–24

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

- एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) का लक्ष्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संबंधित विनियमों के अनुपालन में स्थायी और प्रभावशाली पहलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देना है। नीति सीएसआर गतिविधियों की उचित प्रक्रियाओं और पारदर्शी रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करती है।

- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जो यह मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन नहीं है, यह कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध विषयों के अनुरूप एक या अधिक फोकस क्षेत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है।

- प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

- कंपनी सीएसआर व्यय का उचित लेखा–जोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी

- कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiasl.in पर देखी जा सकती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क.सं	निदेशक का नाम	निदेशक का पद /प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	*श्री एस.के.मिश्रा	अध्यक्ष (01.01.2024 से अध्यक्ष पद से पदमुक्त हुए)	4	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)
2.	*श्री असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष (01.01.2024 से अध्यक्ष बने)	4	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)
3.	श्रीमती परमा सेन	सदस्य (11.02.2022 से 12.12.2023 तक सदस्य)	4	0 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)
4.	श्री राहुल जैन	सदस्य (12.12.2023 से सदस्य)	4	2 (केवल 2 बैठकों में भाग लेने के लिए पात्र)
5.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	4	4

* नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 02.02.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और लोक उद्यम विभाग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, परिपत्र संकल्प संख्या 60 पारित करके दिनांक 05 फरवरी 2024 को एआईएएसएल बोर्ड द्वारा एआईएएसएल की सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक और अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए और श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी–एआईएएचएल और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01.01.2024 से एआईएएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इसके अतिरिक्त वे दिनांक 01. 01.2024 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए हैं।

3. वेब–लिंक प्रदान करें, जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	वेबलिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.aiasl.in/csr.aspx
2.	सीएसआर नीति	https://www.aiasl.in/csr.aspx
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	https://www.aiasl.in/csr.aspx

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः शून्य

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : रु.86,17,558.86 / – (रु.5,38,90,383 / – (पिछले वर्षों के अप्रयुक्त सीएसआर निधि अर्थात वर्ष 2019–20 तक) पर अर्जित ब्याज, उक्त अप्रयुक्त सीएसआर निधि को दिनांक 28.03.2024 तक एफडी में रखने पर)।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग) : रू. 86,17,558 . 86 / –

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई / खर्च न की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रूपए में)	खर्च न की गई राशि (रूपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135 / 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची– VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरित की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरित की तिथि
	.	.	.	.	.

(1)* यह एक असाधारण मामला है, जहां वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एआईएएसएल ने अपने अप्रयुक्त सीएसआर निधि (पिछले वर्षों के संचित सीएसआर निधि अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक) की राशि 5,38,90,383/– रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हस्तांतरित की है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड के आगमन और अन्य अपरिहार्य कारणों से उक्त चल रही परियोजना में कोई प्रगति नहीं देखी गई। नतीजतन, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईजीआरयूए के अनुरोध के आधार पर दिनांक 02.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में उक्त परियोजना को संशोधित/संशोधित किया गया। संशोधित परियोजना के अनुसार, आईजीआरयूए को प्रशिक्षक विमान की खरीद के लिए उक्त सीएसआर निधि का उपयोग करना आवश्यक था, और इसके बदले मे आईजीआरयूए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7 उम्मीदवारों को मुफ्त सीपीएल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–2023 पूरा होने के बाद, सीएसआर निधि अभी भी आईजीआरयूए के पास अप्रयुक्त पड़े थे। एफडी के रूप में आईजीआरयूए खाते में पड़े अप्रयुक्त धन की पृष्ठभूमि पर, एआईएएसएल ने एक अप्रयुक्त सीएसआर खाता खोला और 29.04.2023 को आईजीआरयूए खाते से एआईएएसएल के अप्रयुक्त सीएसआर खाते में रु. 5,96,68,779/– (रु. 5,38,90,383 + रु. 57,78,396) की राशि के सीएसआर अप्रयुक्त धन (अधिशेष के साथ) को स्थानांतरित कर दिया।

(2) इसके अलावा, जैसा कि आईजीआरयूए ने सूचित किया, वे प्रशिक्षक विमान नहीं खरीद सके क्योंकि बोली में केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया था जिसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, आईएफडी अनुभाग से अनुमोदन की आवश्यकता थी और इतना ही नहीं बोली में भाग लेने वाले विमान निर्माता को हाल ही में कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। हालाँकि, आईजीआरयूए ने अगस्त 2023 से आईजीआरयूए द्वारा चुने गए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों में से 7 को पायलट प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और इस संवेदनशील मुद्दे को सामने रखा कि अगर इन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना जारी नहीं रखा जाता है, तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है।

(3) मामले को सीएसआर और बोर्ड मीटिंग के समक्ष रखा गया और तदनुसार बोर्ड ने दिनांक 22 मार्च, 2024 को अपनी 103वीं बोर्ड मीटिंग में निम्नलिखित निर्देश दिए:

(i) वर्तमान चल रही परियोजना को एक बार फिर से संशोधित करने के लिए एआईएएसएल सीएसआर फंड का उपयोग करके ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद (जिसके बदले में आईजीआरयूए को आईजीआरयूए के आंतरिक निधि का उपयोग करके 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण देना आवश्यक था) से अपने मूल/संशोधित अनुरोध में वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण (सीपीएल) और 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए टाइप रेटिंग प्रशिक्षण पूरा करने की कुल लागत को अवशोषित करना और आईजीआरयूए को मुफ्त में पूर्ण पायलट प्रशिक्षण (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग इत्यादि सहित) प्रदान करना जारी रखना, यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को अलग करके।

(ii) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय इत्यादि सहित 31.03.2024 को या उससे पहले आईजीआरयूए को रु.5,93,28,500/– हस्तांतरित करना।

(iii) सावधि जमा राशि (लगभग 29 लाख रु. तथा बैंक से प्राप्त राशि की कोई अन्य रसीद/वापसी, यदि कोई हो) में से शेष राशि को 30.04.2024 को या उससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित करना।

(4) बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(i) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत को अग्रिम शुल्क/छात्रवृत्ति (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय आदि सहित) के रूप में 28.03.2024 को आईजीआरयूए को रु.5,93,28,500/– हस्तांतरित करना।

(ii) सावधि जमा राशि में से शेष राशि अर्थात 31,79,441.86 रुपये को 28.03.2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित करना।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–vii में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	धारा 135/6 के अनुसार परियोजना के लिए अव्यय सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रूपए में)	क्रियान्यन का माध्यम	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.

(1) *यह एक असाधारण मामला है, जहां वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान एआईएएसएल ने अपने अप्रयुक्त सीएसआर निधि (पिछले वर्षों के संचित सीएसआर निधि अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक) की राशि 5,38,90,383/– रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हस्तांतरित की है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कोविड के आगमन और अन्य अपरिहार्य कारणों से उक्त चल रही परियोजना में कोई प्रगति नहीं देखी गई। नतीजतन, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईजीआरयूए के अनुरोध के आधार पर दिनांक 02.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में उक्त परियोजना को संशोधित/संशोधित किया गया। संशोधित परियोजना के अनुसार, आईजीआरयूए को प्रशिक्षक विमान की खरीद के लिए उक्त सीएसआर निधि का उपयोग करना आवश्यक था, और इसके बदले मे आईजीआरयूए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7 उम्मीदवारों को मुफ्त सीपीएल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–2023 पूरा होने के बाद, सीएसआर निधि अभी भी आईजीआरयूए के पास अप्रयुक्त पड़े थे। एफडी के रूप में आईजीआरयूए खाते में पड़े अप्रयुक्त धन की पृष्ठभूमि पर, एआईएएसएल ने एक अप्रयुक्त सीएसआर खाता खोला और 29.04.2023 को आईजीआरयूए खाते से एआईएएसएल के अप्रयुक्त सीएसआर खाते में रु. 5,96,68,779/– (रु. 5,38,90,383 + रु. 57,78,396) की राशि के सीएसआर अप्रयुक्त धन (अधिशेष के साथ) को स्थानांतरित कर दिया।

(2) इसके अलावा, जैसा कि आईजीआरयूए ने सूचित किया, वे प्रशिक्षक विमान नहीं खरीद सके क्योंकि बोली में केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया था जिसके लिए नागर विमानन मंत्रालय, आईएफडी अनुभाग से अनुमोदन की आवश्यकता थी और इतना ही नहीं बोली में भाग लेने वाले विमान निर्माता को हाल ही में कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। हालाँकि, आईजीआरयूए ने अगस्त 2023 से आईजीआरयूए द्वारा चुने गए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों में से 7 को पायलट प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और इस संवेदनशील मुद्दे को सामने रखा कि अगर इन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना जारी नहीं रखा जाता है, तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है।

(3) मामले को सीएसआर और बोर्ड मीटिंग के समक्ष रखा गया और तदनुसार बोर्ड ने दिनांक 22 मार्च, 2024 को अपनी 103वीं बोर्ड मीटिंग में निम्नलिखित निर्देश दिए:

(i) वर्तमान चल रही परियोजना को एक बार फिर से संशोधित करने के लिए एआईएएसएल सीएसआर फंड का उपयोग करके ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद (जिसके बदले में आईजीआरयूए को आईजीआरयूए के आंतरिक निधि का उपयोग करके 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण देना आवश्यक था) से अपने मूल/संशोधित अनुरोध में वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण (सीपीएल) और 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए टाइप रेटिंग प्रशिक्षण पूरा करने की कुल लागत को अवशोषित करना और आईजीआरयूए को मुफ्त में पूर्ण पायलट प्रशिक्षण (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग इत्यादि सहित) प्रदान करना जारी रखना, यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को अलग करके।

(ii) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय इत्यादि सहित 31.03.2024 को या उससे पहले आईजीआरयूए को रु.5,93,28,500/– हस्तांतरित करना।

(iii) सावधि जमा राशि (लगभग 29 लाख रु. तथा बैंक से प्राप्त राशि की कोई अन्य रसीद/वापसी, यदि कोई हो) में से शेष राशि को 30.04.2024 को या उससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित करना।

(4) बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(i) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत को अग्रिम शुल्क/छात्रवृत्ति (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय आदि सहित) के रूप में 28.03.2024 को आईजीआरयूए को रु. 5,93,28,500/– हस्तांतरित करना।

(ii) सावधि जमा राशि में से शेष राशि अर्थात 31,79,441.86 रुपये को 28.03.2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित करना।

ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–7 में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना पर खर्च की गई राशि (रूपए में)	क्रियान्यन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
							लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : पिछले वर्षों अर्थात वर्ष 2019–20 तक संचित 6,25,07,941.86 रुपये की राशि के अप्रयुक्त और अप्रयुक्त सीएसआर फंड का उपयोग वित्त वर्ष किया गया। 2023–24 के दौरान

(छ) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि/रूपए में
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	.
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	.
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(I)]	.
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियाँ, यदि कोई हों, से उत्पन्न अधिशेष या	86,17,558.86/-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	.

9 (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135/6 के अनुसार अव्यय सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपए में)	धारा 13 के अनुसार अनुसूची vii के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड के तहत हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो)			आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि
				निधि का नाम	राशि (रूपए में)	हस्तांतरित की तिथि	
1	2020-21	शून्य	-				5,38,90,383
2	2021-22	शून्य	-				5,96,68,779 (5,38,90,383 +5778396)
3	2022-23	शून्य	31,79,441.86	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	31,79,441.86	28.03.2024	

***पिछले वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक संचित 6,25,07,941.86 रुपये की राशि के अप्रयुक्त और अप्रयुक्त सीएसआर फंड का उपयोग बोर्ड की मंजूरी के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित तरीके से किया गया**

(i) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अग्रिम शुल्क /छात्रवृत्ति (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय आदि सहित) के रूप में पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत का हस्तांतरण, जो कि वित्त वर्ष 20–21 में शुरू की गई परियोजना के लिए 5,93,28,500 रुपये की राशि है, 28.03.2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) को हस्तांतरित किया।

(ii) सावधि जमा आय में से शेष राशि यानी 31,79,441.86 रुपये को दिनांक 28.03.2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित किया।

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षोंद्ध की चालू परियोजनाओंके लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (रुपये में)	परियोजना की स्थिति –पूरा हुआ/चालू
1.		आईजीआरयूए द्वारा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को निःशुल्क पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना	2020-21	3 वर्ष + 1 वर्ष (परियोजना प्रारंभ का वर्ष)	5,38,90,383	5,93,28,500	5,93,28,500	पूरी हो गई
	कुल				**5,38,90,383**	**5,93,28,500**	**5,93,28,500**	

पिछले वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019–20 तक संचित 6,25,07,941.86 रुपये की राशि के अप्रयुक्त और अप्रयुक्त सीएसआर फंड का उपयोग बोर्ड की मंजूरी के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित तरीके से किया गया

(i) 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अग्रिम शुल्क/छात्रवृत्ति (टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय आदि सहित) के रूप में पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत का हस्तांतरण, जो कि वित्त वर्ष 20–21 में शुरू की गई परियोजना के लिए 5,93,28,500 रुपये की राशि है, 28.03.2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) को हस्तांतरित किया।

(ii) सावधि जमा आय में से शेष राशि यानी 31,79,441.86 रुपये को दिनांक 28.03.2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित किया।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्च के माध्यम से बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण): लागू नहीं

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।
लागू नहीं

(ख) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, उनका पता आदि, जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है।

लागू नहीं

(ग) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

(घ) यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं,

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईएएसएल को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नया सीएसआर योगदान खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

ह/–
रामबाबू सीएच.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अनुलग्नक–II क

कंपनी सीएसआर नियमों के अंतर्गत सीएफओ प्रमाणपत्र

दिनांक : 4 जून 2024

सेवामें,

निदेशक मंडल,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय : कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 4 के नियम 4 (5) के तहत प्रमाण पत्र

प्रिय महोदय / महोदया,

1. मैं, संदीप मल्होत्रा, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में यह प्रमाणित करता हूं कि चालू एआईएएसएल–आईजीआरयूए सीएसआर परियोजना के लिए आवंटित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग एआईएएसएल के निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार सीएसआर नियमों और दिनांक 25.08.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित लागू विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए अग्रिम शुल्क के रूप में संवितरित किया गया है।

2. ईडब्ल्यूएस के 7 उम्मीदवारों के लिए टाइप रेटिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय आदि सहित पायलट प्रशिक्षण की पूरी लागत अर्थात 5,93,28,500/– रुपये [5,38,90,383 रुपये + 54,38,117 रुपये (ब्याज)] की राशि, दिनांक 22.03.2024 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित संशोधित परियोजना दायरे के अनुसार, दिनांक 28.03.2024 को आईजीआरयूए को हस्तांतरित कर दी गई थी और आईजीआरयूए को निर्देश दिया गया है कि वह एआईएएसएल को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित त्रैमासिक उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करे, जो उक्त परियोजना के अनुसार निर्धारित तरीके से उन्हें हस्तांतरित हमारे अग्रिम धन के उपयोग को प्रमाणित करता है और आईजीआरयूए द्वारा पुष्टि के अनुसार दिनांक 19 मार्च, 2024 के पत्र संदर्भ आईजीआरयूएःडीओः2024 के अनुसार उक्त सीएसआर फंड के उपयोग के साथ–साथ आईजीआरयूए द्वारा प्रतिबद्ध फंड उपयोग के लिए अनुमानित लागत ब्रेकअप के अनुरूप है।

3. सावधि जमा राशि से 31,79,441.86 रुपये की शेष राशि, सीएसआर समिति और बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 28.03.2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दी गई।

4. बोर्ड के निर्णय के अनुसार, सरकारी स्थापित उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) होने के नाते आईजीआरयूए ने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सभी मामलों में पायलट प्रशिक्षण पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा और तदनुसार पूरी अग्रिम फीस आईजीआरयूए को हस्तांतरित कर दी गई है और तदनुसार एआईएएसएल ने 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को पूर्ण पायलट प्रशिक्षण की अग्रिम फीस हस्तांतरित करने के बाद अपनी सीएसआर परियोजना पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, हालांकि प्रशिक्षण अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है इसलिए प्रशिक्षण पूरा करना सुनिश्चित करना आईजीआरयूए की जिम्मेदारी रहेगी। इस संबंध में, आईजीआरयूए से दिनांक [19 मार्च, 2024] का एक वचन प्राप्त हुआ

है, जिसमें उनके पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रकार से पायलट प्रशिक्षण पूरा करने और आईजीआरयूए द्वारा प्रतिबद्ध निधि उपयोग के लिए अनुमानित लागत ब्रेकअप के संदर्भ में उनकी जिम्मेदारी की पुष्टि की गई है।

5. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ₹ 6,25,07,941.86/– ₹(5,38,90,383 +₹8,617,558.86 (ब्याज)) की राशि के अप्रयुक्त सीएसआर फंड का उपयोग बोर्ड द्वारा समय–समय पर आयोजित उनकी बैठकों में और अंततः दिनांक 22.03.2024 की बैठक में अनुमोदित रूपे से किया गया है :

क्र.सं	विवरण	राशि	अंतरण की तिथि
1.	एआईएएसएल–सीएसआर–आईजीआरयूए–चालू परियोजना।	रु.5,93,28,500/– (रु.5,38,90,383 जमा रु. 54,38,117* (ब्याज)) *आईजीआरयूए और एआईएएसएल द्वारा दिनांक 28.03.2024 तक निधि को एफडी में रखकर रु. 5,38,90,383/– पर अर्जित ब्याज (भाग)।	28.03.2024
2.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरण (शेष अप्रयुक्त सीएसआर राशि)	*रु.31,79,441.86/– *आईजीआरयूए और एआईएएसएल द्वारा दिनांक 28.03.2024 तक निधि को एफडी में रखकर रु. 5,38,90,383/– पर अर्जित ब्याज (भाग)।	28.03.2024

इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सीएसआर निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, आईजीआरयूए *एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत प्रमाणित त्रैमासिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जो* आईजीआरयूए *पाठ्यक्रम के अनुसार पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए एआईएएसएल द्वारा हस्तांतरित अग्रिम शुल्क के उपयोग की पुष्टि करेगा। यह प्रमाणन प्रक्रिया अतिरिक्त जाँच प्रदान करेगी।*

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अनुबंध–III

फार्म सं. एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण संबंधी फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म लैंथ लेनदेन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन दर्ज नहीं किया गया था, आर्म लैंर्थ के आधार पर नहीं था।

2. आर्म लैंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन, व्यापार के सामान्य क्रम में एक आर्म लैंथ के आधार पर थे, जिन्हें दिनांक 19 जुलाई , 2023 को आयोजित कंपनी की 99वीं बोर्ड बैठक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन में
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी	प्रचालन से राजस्व	01.04.2023-31.03.2024		
	जनशक्ति सेवाएँ		राजस्व	1.02
	व्यय			
	लागत की प्रतिपूर्ति		व्यय	5.63
	बकाया देय राशि पर ब्याज		व्यय	39.07
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	प्रचालन से राजस्व	01.04.2023-31.03.2024		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व		राजस्व	269.97
	जनशक्ति सेवाओं की आपूर्ति		राजस्व	0.25
	बकाया पर ब्याज वसूली योग्य		राजस्व	114.95
	व्यय			
	एसओडी		व्यय	4.42

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि मिलियन में
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	प्रचालन से राजस्व	01.04.2023-31.03.2024		
	जनशक्ति सेवाएं/केबिन सफाई		राजस्व	139
	वसूली योग्य बकाया पर ब्याज		राजस्व	2.02
	व्यय			
	हेड सेट के लिए व्यय प्रावधान		व्यय	34.53
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)*	व्यय	01.04.2023-31.03.2024		
	स्टाफ होटल व्यय			5.68
	त्यौहार व्यय			0
	कार्यक्रम व्यय			0

कृते एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037
सीआईएन : U63090DL2003PLC120790

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड** (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञाता) (यहां आगे इसे ''कंपनी'' कहा जाएगा), द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा की है, जिसका कार्यालय, दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037 पर स्थित है। सचिवीय लेखापरीक्षा, इस प्रकार की गई है, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

कंपनी के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व विवरण

हमारा उत्तरदायित्व, केवल परीक्षण के आधार पर उन अनुपालनों की जांच और सत्यापन करना है और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, यह सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मत है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सीमितताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सीमाओं सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, चाहे लेखापरीक्षा उचित रूप से योजनाबद्ध हो और सचिवीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया, मानकों के अनुसार की गई हो, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त कायवृत्त, दस्तावेज, रजिस्टर, अन्य रिकॉर्ड और कंपनी पर लागू कानूनों से संबंधित रिटर्न आदि सहित सचिवीय रिकॉर्ड की जांच करके सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें सौंपे गए रिकॉर्ड सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी विभवास किया है, जिनके लिए अन्यथा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उन लेखापरीक्षा पद्धतियों, सचिवीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया मानकों और पद्धतियों का पालन किया गया है, जो लागू और उचित थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय रिकॉर्डों पर रिपोर्ट और उसका अनुपालन

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं, एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए, इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं प्रपत्र तथा कंपनी **एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम : **लागू नहीं;**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम **;**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक : **लागू नहीं;**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :– **लागू नहीं**

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011**;**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015**;**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षां) विनियम, 2018**;**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भोयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं];

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

(vi) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून :

क) डीपीई दिशानिर्देश।

ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

घ) वायु निगम अधिनियम, 1953

ड.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) बोर्ड और सामान्य बैठकों के संचालन के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन अनुपालन किया हैः

क. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार दो बोर्ड बैठकों के बीच का समय अंतर तीन महीनों से अधिक है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, तथा अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा अन्य बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यवृत्त पर विस्तृत नोट, कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए, आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकतर निर्णय, असहमत सदस्यों के विचारों को दर्ज करने और कार्यव्तत को नोट किए जाने के पभचात लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों के रखरखाव की, इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य नामित पेशेवरों द्वारा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कॉर्पोरेट कार्रवाई नहीं हुई।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता/–
सीएस अमित अग्रवाल
साझेदार
सीपी सं. 3647, सदस्यता सं. 5311
यूडीआईएन : F005311F000947703

दिनांकः 10.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को मेरे सम–तिथिक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो ***''अनुलग्नक–क''*** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में

सदस्य,
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
(पूर्व में एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
दूसरी मंजिल, जीएसडी बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037
सीआईएन : U63090DL2003PLC120790

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।

2. मैने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन मेरी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा परीक्षण, परीक्षण आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित है।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

दिनांक: 10.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/–
सीएस अमित अग्रवाल
साझेदार
सीपी सं. 3647, सदस्यता सं. 5311
यूडीआईएन : F005311F000947703

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
क	डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, दो बोर्ड बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक है।	यह तथ्यात्मक विवरण है। चौथी तिमाही (अर्थात जनवरी–मार्च, 2024) में दो बैठकों के बीच का समय अंतराल 3 महीने की अवधि से अधिक हो गया क्योंकि बैठक तीसरी तिमाही (अर्थात अक्टूबर–दिसंबर 2023) में 03.11.2023 को आयोजित की गई थी और उसके बाद की बैठक दिनांक 16.02.2024 को आयोजित की गई थी। एआईएएसएल के निदेशक मंडल की संरचना पर स्पष्टता न होने के कारण उक्त बैठक 3 महीने के समय के भीतर अर्थात दिनांक 01. 02.2024 को या उससे पहले आयोजित नहीं की जा सकी। इसके अलावा, बोर्ड की संरचना पर स्पष्टता दिनांक 02.02.2024 को प्राप्त हुई थी, और तदनुसार, बोर्ड की बैठक दिनांक 16.02.2024 को आयोजित की गई थी।

*****

Galaxy S22 Ultra
AVIATION SECURITY CULTURE WEEK 2024
SEE IT, SAY IT, SECURE IT

AI AIRPORT SERVICES

AIASL
DEHRADUN

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(बी) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 03.01.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ए) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक को प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

हस्ता/–

(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशक (अवसंरचना)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.03.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों हेतु
वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे दिनांक 31 मार्च 2024 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा–143 की उप–धारा (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को, आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्वं' खंड में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत ही वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं के रूप में प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (ओडीओओ) के कार्यान्वयनकर्ता मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूडीएसपीएल) ने दिनांक 15 जून, 2024 को ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एकतरफा रूप से निलंबित कर दिया है, जिसके विरूद्ध कंपनी ने मेसर्स यूडीएसपीएल के खिलाफ मुकदमा दायर (मामला विचाराधीन है) किया है। ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी ने समापन प्रविष्टियों को पारित करने के बाद दिनांक 8 जून, 2024 को उक्त ईआरपी से निकाले गए अकाउंटिंग डेटा से अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

2. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं 36 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा ए आई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 116.67 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. हम वित्तीय विवरणों में नोट 7 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास भंडार और पुर्जों सहित 22.50 मिलियन रूपए ऐसी इन्वेंटरी के समायोजन के लिए 2.95 मिलियन रूपए का प्रावधान किया गया है) राशि की इन्वेंटरी उपलबध हैं। इन इन्वेंटरी को एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से स्थानांतरित किया गया है, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक के लिए नहीं किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की इन्वेंटरी का मूल्य कम से कम बहियों में वहन मूल्य के समान है।

4. हम वित्तीय विवरणों के नोट 44 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने बकाया देय राशि के औसत पर एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को 9 प्रति ात प्रति वर्ष की दर से 39.07 मिलियन रुपये का ब्याज प्रदान किया है। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर वि वास किया है कि ऐसी ब्याज राशि वास्तव में एआईएएचएल द्वारा जारी किए गए चालान के बाद एआईएएचएल को देय है।

5. हम वित्तीय विवरणों के नोट 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां विभिन्न पक्षों से प्राप्य और उन्हें देय राशियां, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

6. हम वित्तीय विवरणों के नोट 30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने पूर्व वर्ष के लिए प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन आइटम को पुनः प्रस्तुत करके पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक कर दिया है।

इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

जब हम उपरोक्त दस्तावेजों में शामिल अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों को सूचित करना होगा और प्रासंगिक कानून और विनियमन के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य वृहत आय, रोकड प्रवाह, इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 133 में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।
कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुर्विवरण से मुक्त हैं, जालसाजी अथवा चूक ये मुक्त हैं, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे मत को प्रस्तुत करे। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक

दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैंः–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान लेना तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम ''**अनुबंध–क**'' के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखाबहियां अनुरक्षित रखी गई हैं, सिवाय कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2015 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर पैरा 2(एच)(vi) में वर्णित मामलों और "मामले पर जोर" के बिंदु संख्या 1 को छोड़कर।

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र, अन्य वृहत आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं। जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 52 में बताया गया है, प्रबंधन के पास उपलब्ध लेखा बहियों ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाली गई थीं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

   (ङ.) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक–बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 28 देखें।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv) क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस आ ाय के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ, चाहे वित्तपोशण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान रू‌प में प्रदान करना,

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोशण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोशण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें। अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।

ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए सुश्री यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जो उक्त ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए बैक–एंड आईटी सहायता को संभालने के लिए भी जिम्मेदार थी) द्वारा विकसित एक अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर ''ओडीओओ'' का उपयोग किया है।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पूरे वर्ष सक्षम और संचालित थी, हालांकि इस तथ्य के कारण कि उक्त ईआरपी सॉफ्टवेयर को वित्तीय विवरणों के नोट 52 में बताए अनुसार निलंबित कर दिया गया था और ऑडिट ट्रेल नियंत्रण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में हम यह सत्यापित करने और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष सक्षम और संचालित थी या क्या ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ के कोई मामले थे।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को अनुबंध–ग पर हमारी पृथक रपोर्ट देखें।

कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण संख्या 001113N/N500079

ह/–
सीए अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 532180
यूडीआईएन : 2532180BMIYVJ1477

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

(एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की समसंख्यक तिथि हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैरा–क का संदर्भ लें)

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए हम विसंगतियों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ङ.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। कंपनी द्वारा किए गए ऐसे भौतिक सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रति ात या उससे अधिक की विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3(ii)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii. कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को किए गए निवेश, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान करने या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान करने के संबंध मेंरू

(क) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, ऋण की प्रकृति में अग्रिम, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं दी है, सुरक्षा प्रदान नहीं की है और ऋण और अग्रिम नहीं दिए हैं। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम नहीं दिए हैं। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ड.) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ड.) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(च) वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (च) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

v. कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में, जहां तक लागू हो, जमा माना जाता हो। तदनुसार, उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (अ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi. लागत अभिलेखों के रखरखाव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी सामान्यतया भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, उपर्युक्त के संबंध में देय निर्विवाद राशियां दिनांक 31 मार्च, 2024 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थीं, जो इस प्रकार हैं:

विधान का नाम	देयों की प्रकृति	मिलियन में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	भुगतान की तिथि
भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविश्य निधि	35.38	वि.व 2022-23	भुगतान नहीं किया गया
कर्मचारी राज्य बीमा, 1948	ईएसआईसी	5.12	वि.व 2022-23	भुगतान नहीं किया गया
पेशेवर कर	पेशेवर कर	4.52	पूर्ववर्ती वर्ष और वित्तीय वर्ष 2022-23	भुगतान नहीं किया गया

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2023 तक उपरोक्त उप–खंड (क) में उल्लिखित कोई बकाया नहीं है, जिसे नीचे उल्लिखित को छोड़कर, किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है। रु

अधिनियम का नाम	इसकी प्रकृति	मिलियन में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	19.18	आ.व 2013-14	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	6.60	आ.व 2017-18	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	6.29	आ.व 2017-18	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	5.40	आ.व 2017-18	एनएफएसी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	80.76	आ.व 2018-19	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	200.25*	आ.व 2020-21	सीआईटी (अपील)
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (महाराष्ट्र)	माल और सेवा कर और ब्याज	526.89	वित्तीय वर्ष 2017–2020	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (राजस्थान)	माल और सेवा कर और ब्याज	1.40	वित्तीय वर्ष 2017–2020	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (गोवा)	माल और सेवा कर और ब्याज	13.24	वित्तीय वर्ष 2017–2018	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (केरल)	जुर्माना	5.71	वित्तीय वर्ष 2018–2019	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार)	माल और सेवा कर और ब्याज	1.95	वित्तीय वर्ष 2018–2019	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार)	माल और सेवा कर और ब्याज	1.14	वित्तीय वर्ष 2017–18	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार)	माल और सेवा कर और ब्याज	31.18	वित्तीय वर्ष 2020–21	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (दिल्ली)	माल और सेवा कर और ब्याज	7.96	वित्तीय वर्ष 2017–21	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (कर्नाटक)	माल और सेवा कर और ब्याज	0.40	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (पंजाब)	माल और सेवा कर और ब्याज	29.48	वित्त वर्ष 19–21	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (तमिलनाडु)	माल और सेवा कर और ब्याज	37.26	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (तमिलनाडु)	माल और सेवा कर और ब्याज	138.15	वित्त वर्ष 2019–20	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश)	माल और सेवा कर और ब्याज	51.49	वित्त वर्ष 2019–20	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (पश्चिम बंगाल)	माल और सेवा कर और ब्याज	1.12	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (पश्चिम बंगाल)	माल और सेवा कर और ब्याज	84.13	वित्त वर्ष 2019–20	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (असम)	माल और सेवा कर और ब्याज	5.45	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (चंडीगढ़)	माल और सेवा कर और ब्याज	0.001	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (छत्तीसगढ़)	माल और सेवा कर और ब्याज	0.22	वित्त वर्ष 2019–20	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (छत्तीसगढ़)	माल और सेवा कर और ब्याज	0.27	वित्त वर्ष 2020–21	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (ओडिशा)	माल और सेवा कर और ब्याज	11.50	वित्त वर्ष 2019–20	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (महाराष्ट्र)	माल और सेवा कर और ब्याज	6.73	वित्त वर्ष 2020–22	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

* 16 अक्टूबर 2021 को स्वःआकलन कर के रूप में 82.65 मिलियन रूपए की राशि जमा की गई है।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बही में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेन–देन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ix. (क) कंपनी पर वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता का कोई बकाया ऋण या उधार या उस पर ब्याज नहीं था। तदनुसार, आदेश के खंड ix(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण बकाया नहीं था, इसलिए आदेश के खंड ix(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निधि नहीं जुटाई, इसलिए आदेश के खंड ix(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 ix(ङ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 ix(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए, आदेश के खंड 3 ix(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए उक्त आदेश के पैराग्राफ 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 xii(क), 3 xii(ख) और 3 xii(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन के लिए, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है और संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है।

xiv. क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
ख) लेखा परीक्षा की अवधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर हमने विचार किया है।

xv. हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, इसलिए उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 (xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvi क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 (xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–। के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड (xvi) (ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (CIC) नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (ग) लागू नहीं होता है।

घ) समूह के भाग के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 (xviii) के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

xx. सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुए घाटे के कारण पिछले तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है।

xxi. कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए खातों का समेकन कंपनी पर लागू नहीं होता है, इसलिए उक्त आदेश का पैराग्राफ 3 (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण संख्या : 001113N/N500079

ह/–
सीए अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 532180
यूडीआईएन : 2532180BMIYVJ1477

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2024 को **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने सनदी लेखाकार संस्थानप द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गद िक नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैंः

(क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की कमियां :

(i) विस्तृत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्दे नोट द्वारा यथापेक्षित अभिलेखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विद्यमान नहीं हैं।

(ii) लेखांकन साफ्टवेयर में मेकर/चैकर नियंत्रणों जैसे प्राधिकार नियंत्रणों को और सुदृढ किए जाने की आव यकता है।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iv) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।

(ख) लेखा बहियों के साथ भौतिक सूची और अचल संपत्तियों के सामंजस्य के लिए नियंत्रण को और मजबूत किया जा सकता है।

(ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

(घ) कार्गो हैंडलिंग और एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) तथा ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एकीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) आईएटीए के लिए चालान बनाने के लिए एमबीएस सॉफ्टवेयर तथा ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एकीकृत नहीं किया गया है।

(च) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (रैंप उपकरण और अन्य) के संबंध में कोई स्क्रैप रजिस्टर नहीं रखा गया है।

(छ) एमएमडी द्वारा सामग्री की खरीद के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं और मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते हैं।

(ज) जारी किए गए रैंप सहायता फॉर्म (आरए फॉर्म) के रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं और मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते हैं।

(झ) ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के निलंबन के कारण, मूल्यह्रास की गणना एक्सेल में की जाती है।

(ञ) निलंबित ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बहाली न होने के कारण आईटी नियंत्रणों का परीक्षण नहीं किया जा सका।

''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।

कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण संख्या 001113N/N500079
ह/–
सीए अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या 532180
यूडीआईएन : 2532180BMIYVJ1477

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.01.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लेखों की जांच की है और हम अपनी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के आधार पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि निम्नानुसार, लेखा बिहयों और रिकॉर्डों की जांच से पता चलता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2023–24 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले निदेश।

क.सं	निर्देश	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, को उल्लेख करें।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से लेनदेन का लेखा करने की प्रणाली है। हालाँकि, 15.06.2024 को लेखांकन ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयनकर्ता मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूडीएसपीएल) ने ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर को निलंबित कर दिया था, जिसे ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने तक बहाल नहीं किया गया है। ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी ने 8 जून, 2024 को ईआरपी से निकाले गए ट्रायल बैलेंस में पूर्ण खाता बही के साथ समापन प्रविष्टियाँ पारित करने के बाद अपने वित्तीय तैयार किए हैं। यह देखा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रणों के डिजाइन की पर्याप्तता जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करने से रोकती है, को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम आगे के विवरण के लिए अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के खंड (i) के तहत उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी अलग रिपोर्ट "अनुलग्नक ख" में दी गई अपनी टिप्पणियों का संदर्भ देते हैं।

2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/कर्ज/ब्याज, आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह खंड कंपनी पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागू नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/राजसहायता, आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों का उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह खंड कंपनी पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागू नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क.सं	अर्हता के बिंदु	प्रबंधन के उत्तर
विषय पर बल		
1	हम वित्तीय विवरणों के नोट 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (ओडीओओ) के कार्यान्वयनकर्ता मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूडीएसपीएल) ने दिनांक 15 जून, 2024 को ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एकतरफा रूप से निलंबित कर दिया है, जिसके विरूद्ध कंपनी ने मेसर्स यूडीएसपीएल के खिलाफ मुकदमा दायर (मामला विचाराधीन है) किया है। ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी ने समापन प्रविष्टियों को पारित करने के बाद दिनांक 8 जून, 2024 को उक्त ईआरपी से निकाले गए अकाउंटिंग डेटा से अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2	हम वित्तीय विवरणों के नोट सं 36 पर ध्यान देते हैं, कंपनी समूह कंपनिया यथा ए आई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के संबंध में प्राप्तियों की अतिदेय शेष राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रही है। चालू वर्ष के दौरान, अतिदेय भुगतानों पर ब्याज रु 116.67 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है। हमने प्रबंधन के मत पर विश्वास किया है कि इस तरह की राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी और इसलिए, वर्तमान वर्ष के लिए कोई और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलाइंस एअर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से अतिदेय शेष पर वसूली योग्य ब्याज एमएसए के अनुसार है और पिछले वर्षों के लिए उक्त कंपनियों से पहले ही वसूल किया जा चुका है और लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए भी पूरी तरह से वसूल किया जा सकता है।
3	हम वित्तीय विवरण के नोट–7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के पास कुल 22.50 मिलियन रुपये मूल्य के भंडार और स्पेयर्स से युक्त इन्वेंटरी (ऐसी इन्वेंटरी के अप्रचलन के लिए 2.94 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है) उपलबध है। ये इन्वेंटरी एअर इंडिया लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से स्थानांतरित की गई हैं, जिनका उपयोग तीन वर्षों से अधिक समय से नहीं किया गया है। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर विश्वास किया है कि ऐसी	हमारे तकनीकी दल ने पुष्टि की है कि हमारे पास 3 वर्श से ज्यादा समय से पड़े स्टोर और स्पेयर्स इनवेंटरी के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है और इसलिए इनवेंटरी को उसी हिसाब से रखा जा रहा है जिस हिसाब से इसे एआई से हमें ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा हमने ऐसी इनवेंटरी के अप्रचलन के लिए भी प्रावधान किया है।

	इन्वेंटरी का उपयोग में मूल्य है और कंपनी के प्रयुक्त (तकनीकी) विभाग से प्राप्त पुष्टि के आधार पर बहियों में वहन मूल्य के समान है।	
4	हम वित्तीय विवरणों के नोट 44 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने बकाया देय राशि के औसत पर एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को 9 प्रतिशात प्रति वर्ष की दर से 39.07 मिलियन रुपये का ब्याज प्रदान किया है। हमने प्रबंधन के इस तर्क पर वि वास किया है कि ऐसी ब्याज राशि वास्तव में एआईएएचएल द्वारा जारी किए गए चालान के बाद एआईएएचएल को देय है।	यह ब्याज अन्य समूह कंपनियों के साथ हमारे एमएसए के अनुरूप प्रदान किया गया है।
5	हम वित्तीय विवरणों के नोट 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां विभिन्न पक्षों से प्राप्य और उन्हें देय राशियां, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।	हमने 31.03.2024 तक बैलेंस कन्फर्मेशन के लिए सभी थर्ड पार्टी एयरलाइंस को भेजा था, हालांकि, कुछ को छोड़कर, किसी भी एयरलाइंस ने बैलेंस कन्फर्म नहीं किया, हालांकि, बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर में यह उल्लेख किया गया था कि यदि निर्दिष्ट तिथि तक कन्फर्मेशन प्राप्त नहीं होता है, तो इसे बैलेंस कन्फर्म माना जाएगा। हमने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज, एलाइंस एअर और एआई एएचएल, एचसीएल से भोश पुश्टि प्राप्त किया है, जो हमारी ग्रुप कंपनियां हैं।
6	हम वित्तीय विवरणों के नोट 30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने पूर्व वर्ष के लिए प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन आइटम को पुनः प्रस्तुत करके पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक कर दिया है।	यह एक तथ्य का बयान है।

dun & bradstreet
PSU & GOVERNMENT
SUMMIT 2024
Presented by

ECONOMY

GROUND HANDLING OPERATIONS' CONCLAVE
Building A Strong Brand

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
28 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2024
VIGILANCE AWARENESS WEEK
28th October to 3rd November, 2024
"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र

रूपए मिलियन में जबतक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को (पुनर्कथन)
परिसंपत्ति			
1. गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
क. संपत्ति, संयत्र और उपकरण	2 (a)	3,086.50	2,934.47
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	2 (b)	2.12	-
ग. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2 (c)	14.54	2.15
घ. वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3	1,065.47	1,299.16
ड. आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	4	649.98	487.68
च. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	790.79	970.48
छ. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6	16.71	23.74
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**5,626.10**	**5,717.69**
2. चालू परिसंपत्तियां			
क. दरसूचियां	7	19.56	22.97
ख. वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	8	5,437.94	4,071.44
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	9	71.81	520.43
(iii) नकद और नकद समतुल्य उपर्युक्त–ii से इतर बैंक शेष	10	10.00	1.73
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपतितयां	11	48.73	100.96
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	181.94	144.75
कुल चालू परिसंपत्तियां		**5,769.97**	**4,862.28**
कुल परिसंपत्तियां		**11,396.06**	**10,579.97**
इक्विटी और देयता			
1. इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,384.24	1,384.24
(ख) अन्य इक्विटी	14	3,217.40	2,686.58
कुल इक्विटी		**4,601.64**	**4,070.82**
देयता			
2. गैर–चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	15	47.78	72.48
(ख) प्रावधान	16	2,384.43	2,413.54
कुल गैर चालू देयताएं		**2,432.21**	**2,486.02**
3. वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	17	10.56	2.30
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	17	2,328.28	1,619.33
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	18	710.29	1,185.56
(ख) प्रावधान	19	617.58	859.04
(ग) अन्य मौजूदा देनदारियों	20	695.50	356.89
कुल मौजूदा देनदारियाँ		**4,362.22**	**4,023.12**
कुल देनदारियों		**6,794.43**	**6,509.15**
कुल शेयर और देनदारियां		**11,396.06**	**10,579.97**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय 1
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 2-55
त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट–30 देखें

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001113N/N500079

ह/–
अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 532180
यूडीआईएन : 25532180BMIYVJ1477

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.01.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएन : 08086220

ह/–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुमोदित मातृत्व अवकाश पर
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लाभ और हानि विवरण

रूपए मिलियन में जबतक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 हेतु समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 हेतु समाप्त वर्ष हेतु (पुनर्कथन)#
1 आय			
प्रचालन से राजस्व	21	8,426.17	8,944.73
अन्य आय	22	333.61	378.25
कुल आय		**8,759.78**	**9,322.98**
2 व्यय :			
कर्मचारी लाभ व्यय	23	5,958.11	5,161.82
वित्तीय लागत	24	81.76	149.21
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	289.00	283.79
अन्य व्यय	26	1,659.86	2,755.19
कुल व्यय		**7,988.73**	**8,350.01**
3 कर पूर्व लाभ/हानि (1–2)		**771.05**	**972.97**
4 कर व्यय	43		
(i) चालू कर		187.09	235.77
(ii) पिछले वर्षों से संबंधित कर हेतु अल्प प्रावधान		-	-
(iii) आस्थगित कर		179.70	113.93
कुल कर व्यय		**366.79**	**349.70**
5 वर्ष के लिए कर के बाद लाभ/(हानि) (3–4)		**404.26**	**623.27**
6 अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)			
– कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन		126.55	(3.92)
कुल अन्य व्यापक आय		**126.55**	**(3.92)**
7 वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (5+6)		**530.81**	**619.35**
8 आय/(हानि) प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10/– प्रत्येक)			
(i) मूल	27	2.92	4.50
(ii) विलयित	27	2.92	4.50

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय	1
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें	2-55

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट–30 देखें

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079

ह/–
अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 532180
यूडीआईएन : 25532180BMIYVJ1477

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.01.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएन : 08086220

ह/–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुमोदित मातृत्व अवकाश पर
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का लेखापरीक्षित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए मिलियन में)**

1 अप्रैल 2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
1,384.24	-	1,384.24

1 अप्रैल 2022 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 को शेष
1,384.24	-	1,384.24

ख. अन्य इक्विटी **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय	कुल
	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	623.27	-	623.27
अंतर को पूर्णांकित करना	0.07	-	0.07
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	(3.92)	(3.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष/पुनर्कथन	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
1 अप्रैल, 2023 तक शेष	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	404.26	-	404.26
अंतर को पूर्णांकित करना	-	-	-
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	-	126.55	126.55
31 मार्च, 2024 तक शेष	**2,867.76**	**349.64**	**3,217.40**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित रोकड़ प्रवाह का विवरण

रूपए मिलियन में जबतक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर पूर्व वर्ष लाभ	771.05	972.97
समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	289.00	283.79
सावधि जमा पर ब्याज आय	(81.08)	(47.48)
वित्तीय खर्च	81.76	149.21
अंतर को पूर्णांकित करना	-	0.07
अपेक्षित ऋण हानि भत्ता/(उलट)	(527.40)	750.06
एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की बिक्री पर नुकसान	4.18	-
परिसंपत्ति पट्टा खाता	-	14.46
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	10.00	5.54
शुद्ध अवास्तविक विनिमय हानि/(लाभ)	24.39	(25.16)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	**571.90**	**2,103.46**
समायोजन		
सूची में (वृद्धि)/कमी	3.42	36.17
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(863.49)	(1,297.00)
अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	64.04	(68.20)
अन्य मौजूदा संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(47.18)	(111.72)
शुद्ध अवास्तविक विनिमय हानि/(लाभ)	7.03	(3.97)
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तीयोंमे वद्रि (कमी)	(144.02)	361.03
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	616.35	27.81
वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(499.97)	203.00
अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	338.61	61.07
गैर चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	-	
संचालन से उत्पन्न नकदी	**46.69**	**1,311.65**
आय कर (भुगतान)/वापसी	(349.39)	(273.34)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (क)	**(302.71)**	**1,038.32**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की खरीद	(398.73)	(54.32)
सावधि जमा पर ब्याज आय	65.09	15.85
बैंक जमा में निवेश	225.43	(1,230.07)
निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (ख)	**(108.21)**	**(1,268.54)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
वित्तीय खर्च	(37.71)	(25.52)
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (ग)	**(37.71)**	**(25.52)**
नकद और नकद समतुल्य (एबीसी) में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ ख + ग)	**(448.62)**	**(255.75)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	520.43	776.18
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नोट 9 देखें)	**71.81**	**520.43**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय 1
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 2-55

रोकड प्रवाह विवरण के नोट :

1. रोकड प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि " के तहत तैयार किया गया है, जैसा कि इंड एएस 7 "रोकड प्रवाह विवरण" में निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक हो, पुनर्समूहित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समतुल्य में ग्रहणाधिकार के अंतर्गत 2.05 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1.93 मिलियन रुपये) की सावधि जमा राशि शामिल है।

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

बसल एड कपनी एलएलपी
चाटंडे अकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001113N/N500079

ह/–
अमित कुमार सिंह
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 532180
यूडीआईएन : 25532180BMIYVJ1477

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.01.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएन : 08086220

ह/–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुमोदित मातृत्व अवकाश पर
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
(पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड)

दिनांक 31 मार्च, 2024 को वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

1 क. कारपोरेट सूचना :

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक सहायक कम्पनी) का भारत में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है और इसका सीआईएन U63090DL2003PLC120790 है। कंपनी ने वित वर्श 2019–20 को अपना नाम एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड से बदल कर एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड कर दिया है। कम्पनी मुख्यतः भारतीय हवाईअड्डों पर भारतीय प्रचालकों को स्थल संचलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया कॉम्पलैक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्ड, नई दिल्ली–110037 में स्थित है।

(ii) इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अंतर्गत एमसीए द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों को वित्तीय विवरण के प्राधिकृत होने तक ध्यान में रखा गया है।

ख. महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां :

कंपनी द्वारा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को वर्श के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वर्श में समाप्त तिथि के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पश्टीकरण सूचना भाामिल की गई है (यहां एकसाथ ''वित्तीय विवरणों'' के नाम से संदर्भित)।

(i) **लेखे तैयार तथा प्रस्तुति करने का आधारः**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है, केवल रिपोर्टिंग वर्श के अंत में कुछ वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किए जाने को छोड़कर, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, चाहे उसकी कीमत सीधे समायोजन योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित की गई हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि मापन तिथि को परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार सहभागी उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

इंड एएस–116 के कार्यक्षेत्र के भीतर, इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/अथवा प्रकटीकरण उद्दे यों से उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया गया है, जो इंड एएस – 116 की व्यापकता के दायरे में आने वाले पट्टा संव्यवहारों के अलावा हैं , तथा उनका मापन उचित मूल्य की कुछ ऐसी समानताओं के अनुसार किया गया जो उचित मूल्य नहीं हैं, जेसे कि इंड एएस–2 में शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा इंड एएस 36 में प्रयुक्त मूल्य।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उचित मूल्य मापन को उनकी डिग्री के आधार पर 1, 2 तथा 3 के स्तर में उस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उचित मूल्य मापन की इनपुट प्रत्यक्ष हैं तथा उचित मूल्य मापन पर ऐसी इनपुट की सार्थकता सम्पूर्ण है, जो निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं:–

- स्तर 1 इनपुट उन समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन तक कोई इकाई मापन की तिथि को पहुंच स्थापित कर सकती है;
- स्तर 2 की इनपुट मूल्य उद्धृत उन इनपुटों के अलावा हैं जो स्तर 1 में भाामिल की गई हैं तथा जो परिसम्पति अथवा देयता के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष स्वरूप में, देखी जा सकती हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसम्पति अथवा देयता की वे इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हैं।

तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर स्वीकृत की गई परिसम्पतियों तथा देयताओं के बारे में कम्पनी द्वारा ये निर्धारण किए जाते हैं कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर की इनपुट पर आधारित जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) के पुनःमूल्यांकन द्वारा स्तरों के मध्य तारतम्यता में अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों तथा देयताओं की प्रकृति, विशिष्टता एवं परिसम्पति अथवा देयता से सम्बद्ध जोखिम के आधार पर तथा पर किए गए स्पश्टीकरण के अनुसार उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर के अनुसार उनके वर्गों का निर्धारण किया गया है।

(ii) कार्यात्मक मुद्रा :

कंपनी जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में अपने प्रचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है वह भारतीय रूपए (रू.) है, जिसकी प्रमुख उत्पति कम्पनी द्वारा करके रोकड़ के रूप में प्रसारित की जाती है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा भारतीय रूपए (रू.) को अपनी कार्यात्मक मुद्रा रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अपनी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए) में की गई है तथा वित्तीय विवरणों तथा नोटों में सभी राशियों के प्रकटीकरण कार्यात्मक मुद्रा में करते हुए उन्हीं निकटतम मिलियन (एक द   ामलव तक), यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तक राउंड–आफ किया गया है।

(iii) चालू तथा गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।
कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- वह सामान्य प्रचालन क्रम में बिक्री के लिए नियत हो। वह मुख्यतः सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- जिसका सामान्य प्रचालन क्रम में निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः सेवाओं के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो। जिसकी देयता के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपक्ष के विकल्प के अनुसार, समाधान के तौर पर इक्विटी उपकरण में परिणत होने से इसके वर्गीकरण प्रभावित न होते हों।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कम्पनी सेवा सेक्टर में कार्य करती है जिससे इसका कोई प्रचालन क्रम नहीं है; तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए ''प्रचालन क्रम'' के तौर पर 12 माह की अवधि को अंगीकार किया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं और चालू परिसम्पतियों में गैर–चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसम्पतियों का चालू भाग भाामिल किया गया है।

ग. हाल की घोषणाएं

कोई भी हालिया लेखांकन घोषणा/मानक/संशोधन नहीं है जो दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी हो।

घ. अनुमान और निर्णय का उपयोगः

इंड एएस के रूप में उपयोग की जाने वाली कई लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में निहित प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है, जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों का प्रकटन करती है और राजस्व तथा व्यय की मात्रा को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णयों, आकलनों और अनुमान अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत होते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्ति और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकता है, मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मूल्यह्रास/परिशोधन, कर्मचारी लाभ दायित्वों, प्रावधान, आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देयताएं आदि के निर्धारण के संबंध में।

ङ. सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई):

क) किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में परिसम्पतियों की प्राप्ति की ऋण लागतों तथा इनकी डिकमीशनिंग की संभावित लागतों सहित व्यावसायिक छूट तथा रियायतें, आयात भाुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकरणों से बाद में धनवापसी योग्य के अलावा), सम्पति को आशित उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यय भाामिल हैं। सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण को प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के दौरान मरम्मत तथा अनुरक्षण जैसे व्यय वहन किए जाने के वर्श के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राभि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्भाया जाता है।

सेवाओं, आपूर्ति अथवा प्रभाासनिक उद्देभयों से उपयोग के लिए धारित फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का उल्लेख तुलन पत्र में संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया गया है।

कंपनी द्वारा अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के वहन मूल्य को इंड एएस में पारगमन पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया गया था तथा इसके लिए पारगमन की तिथि को उनकी मानित लागत को उपयोग में लाया गया है।

परिसम्पतियों की मूल्यह्वास की राशि परिसम्पति की लागत अथवा लागत की प्रतिपूरक राभि है जिसमें से अनुमानित अवभिश्ट मूल्य घटाया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के उपयोग से परिसम्पति का मूल्यह्वास परिसम्पति की लागत में से उसके उपयोज्यता काल पर अवभिश्ट मूल्य घटाकर किया गया है। 10000 रूपए से कम मूल्य की परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक मामले में क्रय के वर्श में पूर्णतः स्वीकृत कर लिया जाता है। कंपनी ने पीपीई के लिए अपनी पूंजीकरण नीति को बदल दिया है जो चालू वित्त वर्ष से 10,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले छोटे मूल्य का लेखा अनुमान है, जिसका चालू वित्तीय वर्ष में शून्य वित्तीय प्रभाव है।

(वर्ष में)

परिंसपित्तयां	**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपयोगिता आयु**
कार्यालय उपकरण	5
रैंप उपकरण	15
फर्नीचर और फिक्सचर	10
इलैलक्ट्रिकल फिटिंग	10
कम्प्यूटर	3
कारकाना उपकरण और उपस्कर	10
संयंत्र और मभीनरी	15
वहन	8

अमूर्त संपत्ति **7***

* अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन सॉफ्टवेयर लाइसेंस की वैधता के आधार पर अनुमानित किया जाता है।

ख) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन रोटेभानल आधार पर किया जाता है जिससे प्रत्येक भौतिक परिसम्पति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्श में एक बार किया जा सके तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं रिपोर्ट किए जाने के वर्श में किया जा सके।

ग) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्श के अंत में कम्पनी मूर्त परिसम्पतियों की वहन लागत के संबंध में ऐसी परिसम्पतियों द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हानि का वहन करने के संकेत ज्ञात करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति से संबंधित वसूली योग्य राभि के अनुमान लगाकर क्षतिपूर्ति हानि (यदि कोई हो) के विस्तार का निर्धारण किया जाता है। जब किसी एक परिसम्पति की वसूली योग्य राभि के अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिसम्पति से सम्बद्ध रोकड़ उत्पति करने वाली यूनिट के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। जब निर्धारण के लिए किसी प्रकार का औचित्यपरक अथवा संगत आधार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनका विनियोजन रोकड़ उत्पति यूनिटों के सबसे छोटे समूह में कर दिया जाता है जिससे औचित्यपरक एवं संगत निर्धारण को ज्ञात किया जा सके।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के कर पूर्व छूट दर के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले धन के समय मूल्यों तथा परिसम्पति, जिनके संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमानों के समायोजन नहीं किए गए हैं, से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है।

यदि किसी परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) के अनुमान उसकी वहन राशि से कम होते हैं तो परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में से घटा दिया जाता है। ऐसा करके लाभ एवं हानि विवरण में अक्षमता हानि की स्वीकृति भीघ्र कर ली जाती है।

घ. मालसूचियां

विभिन्न भंडारों एवं कलपुर्जों से युक्त मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के अनुसार किया जाता है। मालसूचियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आव यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर आंके जाते हैं।

ङ राजस्व स्वीकृति

इंड एएस–115 : ग्राहक करारों से प्राप्त राजस्व तथा ऐसे राजस्व की राशियों एवं समय की स्वीकृति से संबंधित है। इसके मानक में राजस्व स्वीकृति के लिए पांच चरण की एप्रोच व्यवस्थित की गई है:–

– करार का अभिनिर्धारण करना;
– करार के निश्पादन दायित्वों का अभिनिर्धारण करना;
– संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करना
– संव्यवहार मूल्य के साथ निश्पादन दायित्व का निर्धारण करना; तथा
– अततः उन निष्पादन दायित्वों के प्रति राजस्व प्राप्ति का सुनि चय करना।

सेवाओं की प्रस्तुति

कंपनी अपने राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रदर्शित मूल्य पर प्रतिबद्ध सेवाओं की प्रस्तुति करके उस राशि के लिए करती है जिसके प्रति कम्पनी की हकदारी की प्रत्याशा ऐसी सेवाओं की प्रस्तुति के प्रति की गई है।

कंपनी द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति स्वीकृति उस समय के बिन्दु पर की जाती है जब ग्राहक को सेवाओं की प्राप्ति जाती है।

क) स्थल संचलन सेवाओं के प्रति स्वीकृति सेवाएं प्रदान करने के पश्चात की जाती है। वित्त वर्श के अंत में बिल न की गई सेवाओं के अनुमान, उपलब्ध डेटा के आधार पर, आंक कर राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ख) ब्याज से प्राप्त आय की स्वीकृति समय पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व की स्वीकृति, अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के प्रति की जाती है।

विविध निश्पादन दायित्वों की राजस्व व्यवस्था के लिए कम्पनी द्वारा एकल प्रकार की सेवाओं, यदि वे विशिष्ट प्रकार की हैं, को अलग अलग लेखाबद्ध किया जाता है अर्थात यदि कोई सेवा व्यवस्थित की गई मदों से अलग प्रकार की है तथा यदि ग्राहक को इससे लाभ प्राप्त होते हों। इस प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण उनके स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर आधारित व्यवस्थाओं में अलग सेवाओं के लिए किया जाता है।

संविदा शेष

i) संविदा परिसम्पति

संविदा परिसम्पति ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकार स्वरूप प्राप्त प्रतिफल है। यदि कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिफल प्राप्त करने अथवा भुगतान देय होने से पूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो व्यवसाय प्राप्य सहित उपार्जित प्रतिफल को संविदा प्रतिफल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii) संविदा देयताएं

संविदा देयताएं ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के वे दायित्व हैं जिनके लिए कम्पनी ने ग्राहक से प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) प्राप्त किया है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व ग्राहक प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा देयता के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब भुगतान देय (जो भी पहले हो) होता है। राजस्व में संविदा देयता की स्वीकृति तब होती है जब कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के अंतर्गत निश्पादन किया जाता है।

iii) धनवापसी देयताएं

धनवापसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल के कुछ अथवा पूर्ण भाग (अथवा प्राप्य) की धनवापसी का दायित्व है तथा इसका मापन उस राशि पर किया जाता है जिसकी धनवापसी अंततः ग्राहक को किए जाने के लिए कम्पनी से प्रत्याशित होती है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी धनवापसी देयताओं के अनुमान अद्यतन किए जाते हैं।

च. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्रमुख आर्थिक परिवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी अपने प्रचालन करती है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (मानक भारतीय रूपया) है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रति निम्नलिखित दरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क) आईएटीए (IATA) क्लीयरिंग हाउस (ICH) के साथ बिलों के समाधान के लिए किए गए इंटरलाइन समझौते के आधार पर इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) द्वारा संबंधित माह के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर।

ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों का अंतरण फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा वितरित विनिमय दरों पर किया जाता है तथा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के परिणामस्वरूप हुए लाभ/हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। हालाँकि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक एफईडीएआई दर की अनुपलब्धता के कारण, अंतिम उपलब्ध दर दिनांक 28 मार्च, 2024 को माना गया।

ग) गैर—मौद्रिक मदों का मापन अंतरित न की गई विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है।

छ. पट्टे

पट्टाधारक के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन कर लेती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। अर्थात अगर अनुबंध में किसी पहचानी गई संपत्ति के इस्तेमाल को किसी निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो बदले में प्रतिफल दिया जाता है। पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर ली गई संपत्ति) कंपनी सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों, कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों और ऐसे पट्टा अनुबंधों के, जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता में से प्रत्येक को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार होता है, जिसके लिए कोई मामूली जुर्माना देना पड़ता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध पहचानी गई संपत्ति के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः

(i) संविदा में चिह्नित संपत्ति का उपयोग शामिल है

(ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ विद्यमान हैं।

(iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्धारित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य के पट्टों और पट्टा संविदाओं, जिसमें पट्टाकर्ता और पट्टेदार को प्रत्येक पक्ष को बिना किसी अतिरिक्त दंड के किसी अन्य पर्क्ष से अनुमति लिए बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है और कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी–रेखा आधार पर प्रचालनिक व्यय पर स्वीकार करती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि के अंत से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प शामिल हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्आ देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि उनका उपयोग किया जाएगा।

कंपनी, पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे का विस्तार करने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के साथ, यदि यह यथोचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि यह यथोचित रूप से निश्चित है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के पास कई पट्टा अनुबंध हैं, जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। कंपनी यह मूल्यांकन करने में निर्णय लागू करती है कि क्या यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को नवीनीकृत करने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं।यह उन सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है जो इसके लिए नवीनीकरण या समाप्ति का प्रयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करते हैं। प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी लीज अवधि का पुनर्मूल्यांकन करती है और यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जो उसके नियंत्रण में है और नवीनीकरण या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टे की भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टा भुगतान की प्रारंभिक तिथि के साथ या उससे पहले ली गई भुगतान की राशि जमा कोई प्रत्यक्ष लागत घटा कोई पट्टा प्रोत्साहन पर समायोजित किया जाता है। तत्प चात, उन्हें कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान पर मापा जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रासित किया जाता है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलते हैं कि उनकी वहन मात्रा पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो आरओयू परिसंपत्त्यिों की वसूली के लिए मूल्यांकन किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात बेचने के लिए उचित मूल्य घटा लागत और उच्च मूल्य का उपयोग) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों से भिन्न है। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिसके पास संपत्ति विद्यमान है।

पट्टा देयता को आरंभ में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है तो रियायती विधि का उपयोग किया जाता है। पट्टे की देनदारियों को संबंधित आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ हटा दिया जाता है, यदि कंपनी अपना आकलन परिवर्तित करता है कि क्या वह समय विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

ज. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों के लिए तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है जब तक कम्पनी द्वारा ऐसे अनुदान के साथ सम्बद्ध भार्तों का अनुसरण किए जाने तथा अनुदान की प्राप्ति के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन नहीं होता है।

सरकारी अनुदानों को प्रक्रियाबद्ध आधार पर उन वर्शों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिन वर्शों में कम्पनी द्वारा उन सम्बद्ध लागतों को व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिनके व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुदान आशित है अथवा जब निश्पादन दायित्व पूर कर लिए जाते हैं।

परिसम्पतियों से सम्बद्ध सरकारी अनुदानों की तुलन पत्र में प्रस्तुति आस्थगित आय के रूप में की जाती है तथा लाभ एवं व्यय में इसकी स्वीकृति प्रक्रियाबद्ध आधार पर सम्बद्ध परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता के अनुसार की जाती है।

झ. कर्मचारी हितलाभ :

सेवानिवृत्ति हितलाभ लागतें तथा सेवा समाप्ति हितलाभ

परिभाशित अंशदायी सेवानिवृति हितलाभ योजनाओं के संबंध में व्यय की स्वीकृति कर्मचारियों द्वारा अंशदानों की योग्यता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने पर की जाती है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाशित अंशदायी योजनाएं तथा परिभाषित हितलाभ योजनाएं भाामिल हैं।

क) परिभाशित अंशदायी योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान शामिल है। कंपनी के पास दिनांक 01 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट हैं। उसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ को राशि स्थानांतरित कर दी गई है। निश्चित अवधि के संबंध में अनुबंध (एफटीसी) कर्मचारियों, भविष्य निधि (पीएफ) बकाया कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में जमा किया जाता है। वेतन संरचना के घटकों से संबंधित दिनांक 28 फरवरी, 2019 को उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय आया था, जिसे ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि में योगदान की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें आवेदन की प्रभावी तिथि सहित निर्णय से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू भाामिल हैं। प्रबंधन की दृष्टि से, पीएफ के लिए योगदान की गणना, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी उन सेवाओं का निश्पादन करते हैं, जिनमें भुगतान शामिल होता है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी में परिभाशित हितलाभ योजना है जिनका निधियन नहीं है तथा इनमें उपादान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभ भाामिल हैं। परिभाशित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के लिए हितलाभ प्रदान किए जाने की लागतों का निर्धारण परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्श के अंत में वार्शिक आधार पर किए जाते हैं।

दायित्वों का मापन अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। परिभाशित हितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र तिथि को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधियां सम्बद्ध दायित्वों के काल के लगभग अनुरूप होती हैं। समायोजनों के व्यवहारों तथा बीमांकित अनुमानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों का पुनःमापन को सीधे अन्य व्यापक आय में इनके घटित होने की अवधि में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन में ''अन्य इक्विटी'' के अंतर्गत तथा तुलन पत्र में भाामिल किया जाता है।

परिभाशित हितलाभ दायित्वों में समाधान अथवा कटौतियों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण का लेखांकन किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी के भाुद्ध दायित्व हितलाभों की उस राशि के लिए होते हैं जिनका समाधान कर्मचारियों द्वारा चालू एवं पूर्व वर्शों में सेवा के दौरान अर्जित लाभों के लिए भविश्य में किया जाना है। विद्यमान मूल्य ज्ञात करने के लिए ये लाभ घटा दिए जाते हैं। दायित्व का मापन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनःमापन को लाभ एवं हानि विवरण में उस वर्श के लिए स्वीकृति दी जाती है जिस वर्श में ये उत्पन्न हुए होते हैं।

अल्पकालिक हितलाभ
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ का लेखांकन उन वर्शों के लिए किया जाता है जिन वर्शों में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

अल्पकालिक एवं अन्य दीर्घ कालिक कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारियों को वर्ष के दौरान मजदूरी तथा वेतन, वार्शिक छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रति देयता की स्वीकृति प्रदान की गई सेवाओं के विनियम में चुकता किए जाने वाले संभावित लाभों अल्प–कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन बट्टा न की गई राशि पर सम्बद्ध सेवाओं के विनियम में चुक्ता किए जाने वाले संभावित लाभों के लिए देयताएं स्वीकृत की गई हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

ण. **आय पर कर**
आय कर व्यय से वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग की प्रस्तुति होती है।

चालू कर
चालू कर वह राशि है जो लागू कर दरों तथा आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्श के कर योग्य लाभ के आधार पर संभावित कर का भुगतान के योग्य है।

आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर की स्वीकृति परिसम्पति एवं देयताओं के मध्य अस्थाई अंतरों तथा कर योग्य लाभ के आकलन के लिए प्रयुक्त अनुवर्ती कर आधारों के लिए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति कटौति योग्य सभी अस्थाई अंतरों के लिए की जाती है जिनमें कर योग्य लाभ की प्राप्ति की ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों जिनके प्रति कटौति योग्य अस्थाई अंतरों को उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई कर परिसम्पतियों तथा देयताओं को तब स्वीकृति नहीं दी जाती है जब ऐसे अस्थई अंतर परिसम्पति तथा देयता के संव्यवहार में प्रारंभिक स्वीकृति (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से उत्पन्न हुए हों जिनका प्रभाव न तो कर योग्य पर और न ही लेखांकन लाभ पर पड़ा हो। इसके अलावा, साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उत्पन्न अस्थाई अंतरों के लिए भी आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। अस्थाई कर परिसम्पतियों की वहन राशि की समीक्षा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है तथा इन्हें उस सीमा तक न्यून कर दिया जाता है जिस सीमा तक परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग में पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना भोश नहीं रहती है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का मापन, प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मूलतः प्रवर्तित कर दरों (तथा कर कानूनों)के आधार पर, उन कर दरों पर किया जाता है जो उस वर्ष में उपयोग में लाए जाने संभावित थे जिस वर्श में देयता का समाधान अथवा परिसम्पति उपार्जित की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों को चालू कर देयताओं के साथ संमजन करने के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हों तथा आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई तथा समान कर योग्य प्राधिकरण से सम्बद्ध हों।

आस्थगित कर की स्वीकृति तथा उनका अग्रेशण तब किया जाता है जब प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना, राजस्व उत्पति एवं कम्पनी के लागत कटौति कार्यक्रम के आधार पर इन परिसम्पतियों से भविश्य में प्रतिफल प्राप्त होने की निश्चितता उपलब्ध होती है।

अवधि के दौरान चालू एवं आस्थगित कर

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है जो कि अन्य व्यापक अथवा इक्विटी में सीधे स्वीकृत की गई मदों की समबद्धता होने के अलावा है जिनके मामले में चालू एवं आस्थगित कर की स्वीकृति भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में सीधे की जाती है। किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होने पर कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में भाामिल कर लिया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का तब समंजन कर दिया जाता है जब वे समान आय कर प्राधिकरण द्वारा लगाए आय करों से सम्बद्ध होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समाधान निवल आधार पर करना चाहती है।

ट. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजी प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक परिसमपतियां

क) मापन के लिए पर्याप्त डिग्री के अनुमान लगाए जाने के प्रावधान तब स्वीकृत किए जाते हैं जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप विद्यमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हों तथा जिनसे संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है तो प्रावधानों को देयता के विशिश्ट जोखिम को स्पश्ट करने वाली, जहां उचित हो, चालू कर पूर्व दर पर घटा दिया जाता है। ऐसे अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती हे तथा प्रस्तुत चालू उत्तम अनुमानों का समायोजन कर लिया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय की प्रस्तुति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ख) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि तुलन पत्र तिथि के किसी विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित उत्तम अनुमान होते हैं जो दायित्व से सम्बद्ध जोखिम एवं अनिश्चितताओं को विचार में लेकर निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए जब किसी प्रावधान का मापन रोकड़ प्रवाह अनुमानों के उपयोग से किया जाता है तो उसकी वहन राशि ऐसे रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती हैं (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है)।

ग) जब किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों से ऐसे प्रावधान का समाधान किए जाने की अपेक्षा होती है जो किसी तृतीय पक्षकार से प्राप्त वसूली से किया जाना हे तो ऐसे प्राप्य को परिसम्पति की तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब पुनर्भुगतान की प्राप्ति नि चत हो तथा प्राप्यों का मापन वि वसनीय रूप में किया जाना संभव हो।

घ) आकस्मिक देयताओं, जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु जिनके आस्तित्व की पुश्टि ऐसी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृतियों अथवा गैर–आवृतियों से हो सकी है जो कम्पनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं हैं, का समाधान संभावित दायित्वों से संबंधित एक नोट में प्रकटीकरण करके किया जाता है।

ङ) आकस्मिक परिसम्पतियां वे संभावित परिसम्पतियों हैं जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुश्टि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृति अथवा गैर–आवृति से हो सकती है। जब इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो ऐसी आकस्मिक परिसम्पति का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

च) दुश्कर अनुबंध

किसी अनुबंध को दुश्कर तब माना जाता है जब कम्पनी के किसी अनुबंध को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। दुश्कर अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विद्यमान दायित्वों की स्वीकृति की जाती है तथा प्रावधानों के रूप में उनका मापन किया जाता है।

ठ. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में प्रस्तुत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य बैंक तथा उपलब्ध रोकड़ एवं तीन माह अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्प–कालिक जमा हैं जिनके प्रति मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।
रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन से पर दी गई परिभाशा के अनुसार रोकड़ एवं अल्प–कालिक जमा से युक्त रोकड़ एवं समतुल्य, बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट के निवल, को कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न भाग माना गया है।

ड. प्रति भोयर आय

प्रति भोयर मूल आय का आकलन वर्श के दौरान बकाया इक्विटी भोयरों की भारित औसत संख्या को कर उपरांत लाभ / (हानि) से विभाजित करके किया गया है। वर्श के दौरान बकाया इक्विटी भोयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन राजकोश, बोनस भोयरों विद्यमान भोयरधारकों के राइट इ यू के बोनस घटक, भोयर विखंडन तथा राजस्व भोयर विखंडन (शेयरों के समेकन) के साथ किया जाता है।

प्रति भोयर डायल्यूटिड आय का आकलन संभावित डायल्यूटिव इक्विटी भोयरों से सम्बद्ध लाभांश, ब्याज तथा व्यय एवं आय के अन्य प्रभारों (किन्हीं रोप्य करों का निवल) में समायोजित कर उपरांत लाभ/(हानि) को प्रति भोयर मूल आय उपार्जन के विचार धारित इक्विटी भोयरों की भारित औसत तथा उन इक्विटी भोयरों की भारित औसत से विभाजित किया जाता है जो डायल्यूटिव संभावना वाले इक्विटी भोयरो में परिवर्तन होने पर जारी किए गए हो सकते हैं तथा जिनमें कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के भोयर विकल्प की प्रक्रिया के लिए कोश भोयर शामिल हैं।

ढ. वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण एक प्रकार का अनुबंध होता है जिससे एक इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा वित्तीय उपकरण की उत्पति होती है। वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के लिए स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब इकाई उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहारों लागतों अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को जारी करने (लाभ एवं हानि विवरण के (FVTPL) माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से संबंधित संव्यवहार लागतों को प्रारंभिक स्वीकृति के समय आनुपातिक स्वरूप में वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के माध्यम से जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से लाभ एवं माध्यम से उचित मूल्य पर प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत संव्यवहारों को लाभ एवं हानि विवरण में भीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ण) वित्तीय परिसम्पतियां

क) वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण

प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान वित्तीय परिसम्पति का मापन व्यवसाय माडल के लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं संविदागत रोकड़ प्रवाह की विशिश्टताओं के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल पर किया गया है।

ख) स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

किसी वित्तीय परिसम्पति की प्रारंभिक स्वीकृति उसके उचित मूल्य पर की जाती है तथा एफवीटीपीएल, उसके अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों पर नहीं की जाती है। वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय एवं विक्रय के प्रति व्यवसाय की तिथि को की जाती है जो कि उपकरण के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी के पक्षकार बनने की तिथि है। यदि वित्तीय परिसम्पतियों को लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो उनकी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति के अधिग्रहण से समबद्ध कर दिया है।

इसके अलावा, प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऐसी वित्तीय परिसम्पति को पदनामित किया जाता है जो अन्यथा स्थिति में परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई पर मापन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा ऐसा करके ऐसे लेखांकन के अनुपयुक्त मेल समाप्त कर दिए जाते हैं अथवा कम कर दिए जाते हैं जो ऐसा न करने पर हो सकते थे।

ग) अनुवर्ती मापन

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने तथा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः–

- परिसम्पति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण करके संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।
- जिस सम्पति की संविदागत भार्तों में किन्हीं विशिश्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए है।

वित्तीय परिसम्पतियों का एफवीटीपीएल पर मापन प्रतयेक रिपोर्टिंग वर्श के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनःमापन के दौरान लाभ अथवा हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ किया जाता है। लाभ अथवा हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसम्पतियों पर प्राप्त किसी प्रकार के लाभांश एवं ब्याज भाामिल किए जाते हैं तथा इन्हें "अन्य आय" लाइन मद में भाामिल किया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों के लाभांश पर एफवीटीपीएल की स्वीकृति तब होती है जब :

- जब कम्पनी का लाभांशों की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो;
- जब ऐसी संभावना व्याप्त हो कि लाभांश से सम्बद्ध आर्थिक लाभों का लाभ इक्विटी को प्राप्त होगा;
- लाभांश से निवेश की लागत के भाग वसूली की प्रस्तुति न हो तथा लाभांश की राशि का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रति स्वीकृति समाप्त की जाती है जब परिसम्पति से संबद्ध रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा, जब वित्तीय परिसम्पति का अंतरण कर दिया जाता है तथा परिसम्पति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य पक्षों को अंतरित किए जाते हैं।

ड.) अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

कम्पनी द्वारा परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों, एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों, प्राप्य पट्टों, प्राप्य व्यवसाय, रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के अन्य संविदागत अधिकारों की अक्षमता हानि का संज्ञान करने के लिए संभावित ऋण हानि प्रारूप का उपयोग किया जाता है।

संभावित क्रेडिट हानियां भारित औसत पर भारिता के साथ–साथ उत्पन्न होने वाले संबद्ध चूक जोखिमों से युक्त क्रेडिट हानियां है।

क्रेडिट हानि कम्पनी को अनुबंध के अंतर्गत देय सभी संविदागत रोकड़ प्रवाहों तथा उन रोकड़ प्रवाहों के मध्य का अंतर है जिनकी, मूल प्रभावी ब्याज दर (अथवा मूल क्रेडिट क्षति युक्त वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय अथवा उससे उत्पन्न क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) को घटाकर, (अर्थात सभी रोकड़ न्यूनताएं) प्राप्त होने की होने की प्रत्याशा कम्पनी को होती है। कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम वित्तीय उपकरणों (उदाहरण के तौर पर पुनर्भुगतान, विस्तार एवं समान प्रकार के विकल्प) के सभी संविदागत उपबंधों पर विचार करके रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मूल्यांकन, यदि ऐसे वित्तीय उपकरण के ऋण जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से अत्यधिक वृद्धि हुई है, उपयोज्यता काल की संभावित ऋण हानियों की समान राशि पर किया जाता है। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से वित्तीय उपकरण ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है तो कम्पनी द्वारा ऐसे वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियां संभावित उपयोज्यता काल का भाग होती हैं तथा इनसे उपयोज्यता काल की वे रोकड़ न्यूनताएं प्राप्त होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह की अवधि में किसी प्रकार की चूक घटित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं तथा इस प्रकार ये वे रोकड़ न्यूनताएं नहीं हैं जो अगले 12 माह के लिए संभावित हैं।

यदि कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के हानि अंश के लिए पिछले वर्श की क्रेडिट हानि माडल के अनुसार मापन करके रिपोर्टिंग वर्श के अंत में, पिछले वर्श की तुलना में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आने के कारण, प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम न बढ़ने के निर्धारण किए गए हैं, तो कम्पनी द्वारा हानि अंश का पुनः मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों पर किया जाता है।

व्यवसाय प्राप्यों अथवा किन्हीं संविदागत अधिकारों के अंतर्गत इंड एएस 115 के प्रक्रिया क्षेत्र के दायरे में किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा सदैव क्रेडिट हानि के संभावित उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर हानि अंश का मापन किया जाता है।

इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्यों के प्रति संभावित उपयोज्यता काल क्रेडिट हानि भत्ते के मापन के उद्दे य से कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत्त व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस संभावित क्रेडिट हानि अंश का आकलन मैट्रिक्स प्रावधान पर आधारित है जिसके अंतर्गत खाते को ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव में लाकर प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

क्षति के अंतर्गत हानि अंश की स्वीकृति एवं मापन किया जाना अपेक्षित है जो हानि अंश की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में करने के अलावा समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के लिए उपयोग में लाया है तथा तुलन पत्र में इसे वहन राशि से कम नहीं किया जाता है।

च) प्रभावी ब्याज विधि

प्रभावी ब्याज विधि एक ऐसी विधि है जिससे ऋण उपकरण का परिशोधन लागत पर आकलन एवं सम्बद्ध वर्श में ब्याज का आय का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों (सभी शुल्को तथा चुकता अथवा प्राप्त ऐसे प्वांइटों सहित जो प्रभावी ब्याज दर, संव्यवहार लागतों तथा अन्य प्रीमियमों एवं रियायतों का अभिन्न अंग हैं) को ऋण उपकरणों के संभावित काल अथवा, जहां यथोचित हो, अपूर्ण वर्श, पर प्रारंभिक स्वीकृति की निवल वहन राशि में सटीक रूप में न्यूनता स्थापित करती हैं।

आय की स्वीकृति ऋण उपकरण पर प्रभावी ब्याज दर पर की जाती है जो एफवीटीपीएल में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पतियों के अलावा हैं। ब्याज आय की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है तथा इसे ''अन्य आय'' की लाइन मद में भाामिल किया जाता है।

छ) बट्टा खाता

वित्तीय परिसम्पति की सकल वहन राशि की वसूली का कोई उचित कारण न होने की स्थिति में उसे बट्टे खाते (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) में डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः ऐसे मामले में भी किया जाता है जब कम्पनी ऐसे निर्धारण करती हैं कि काउंटर पार्टी के पास परिसम्पतियां अथवा आय स्रोत नहीं हैं जिनसे बट्टा की जा रही राशि के भुगतान के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न हो सके। तथापि, बट्टा खाता में प्रभारित करने के बाद भी कम्पनी की धन की वसूली से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों के लिए प्रवर्तन क्रियाएं जारी रह सकती हैं।

(2) वित्तीय देयताएं

क) वर्गीकरण

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण ''एफवीटीपीएल'' अथवा ''अन्य वित्तीय देयताओं'' पर वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है।

ख) प्रारंभिक स्वीकृति तथा मापन

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। कम्पनी वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देय भाामिल करती है।

ग) अनुवर्ती मापन

अन्य वित्तीय देयताएं :
अन्य वित्तीय देयताओं (ऋण तथा व्यवसाय एवं अन्य देय सहित) का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं की स्वीकृति समाप्त किए जाने तथा ईआईआर परिशोधन के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की रियायत अथवा प्रीमियत तथा फीस अथवा ऐसी लागतों को विचार में लेकर किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न भाग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में भाामिल कर लिया जाता है।

घ) स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा अपने वित्त दायित्वों के निर्वाह कर लिए जाने, रद्द किए जाने अथवा समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी वित्त देयताओं के प्रति तब स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। वित्तीय देयताओं के मध्य वहन राशि के अंतर समाप्त करके चुकता अथवा देय भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है।

ड.) वित्तीय उपकरणों का समंजन

तुलन पत्र में प्रतिवेदित निवल राशि के प्रति चालू प्रवर्तनयोग्य स्वीकृत राशियों के समंजन का विधिक अधिकार होने तथा उन्हें निवल आधार बिक्री किए जाने की मंशा होने की स्थिति में परिसम्पतियों से प्रतिफल प्राप्त करने और साथ ही साथ देयताओं की बिक्री के लिए वित्तीय परिसम्पतियों तथा देयताओं का समंजन कर लिया जाता है।

त) अनिश्चितता के अनुमानों के प्रमुख स्रोत

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवनकाल:
प्रबंधन द्वारा वर्श में कम से कम एक बार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल की समीक्षा की जाती है। ऐसे उपयोज्यता काल सम्बद्ध कार्यकुशलता एवं प्रचालन लागतों सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों के आधार पर परिसम्पतियों की तकनीकी उपयोज्यता एवं आर्थिक उपयोज्यता के दोनों मूल्यांकनों पर आश्रित होते हैं। पुनःमूल्यांकन से भावी अवधियों के मूल्यह्रास एवं परिशोधन में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।

आकस्मिकताएं

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कम्पनी के कानूनी तथा अन्य दावों से अन्य देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी देयताएं संभावित होती हैं परन्तु उनसे फल प्राप्त होने अथवा आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार किए जाने के वि वसनीय कारण ज्ञात कर पाना कठिन होता है। ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण नोट के माध्यम से किया जाता तथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्पनी द्वारा अल्प संभावना के रूप में निर्धारित किए गए मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित नहीं है तो आकस्मिक परिसम्पतियों की न तो स्वीकृति की गई है तथा न ही वित्तीय विवरणों के लिए उनका प्रकटीकरण किया गया है।

उचित मूल्य मापनः

जब वित्तीय विवरणों में रिकार्ड या प्रकट वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रीय बाजारों में कोट किए गए मूल्यों पर नहीं किया जा सकता है तो उनका उचित मूल्य का मापन डीसीएफ नमूना सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन नमूनों के इनपुट संभव हो सकने वाले बाजारों से लिए गए हैं, किन्तु जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में एक स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल है।

करः

कॉर्पोरेट कर व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा के अनुसरण में, कंपनियों के पास यह विकल्प है कि वे नई कर व्यवस्था को अपनाएं या पुरानी व्यवस्था में बने रहें या उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के उपयोग सहित कंपनियों को उपलबध अन्य लाभों क साथ पुरानी कर संयरचना के अनुसार कर का भुगतान करते रहें। यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन की आवश्यकता होती है कि किस वर्ष में कंपनी नए कर व्यवस्था के आधार पर भविष्य के करयोग्य लाभ को स्थानांतरित करेगी, जिसमें कंपनी की चालू योजनाओं का प्रभाव और उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का परिणामी उपयोग शामिल है। तदनुसार, इंड एएस–12 आयकर के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाना आवश्यक है, जो उस वर्ष पर लागू होंगी, जब संपत्ति से लाभ प्राप्त हो या देयता का निपटान किया गया हो और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर होगा, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि में नियमित या अधिनियमित किया गया है।

2 (क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	कार्यालय उपकरण	रैम्प उपकण	फर्नीचर और फिक्सचर	विद्युतीय फिटनिगस	कम्प्यूटर	वर्कशाप उपकरण और उपस्कर	संयंत्र और मशीनरी	वाहन	कुल
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2022 को लागत	2.34	6,265.92	1.18	10.86	10.92	2.07	0.07	31.80	6,325.15
परिवर्धन	5.84	51.72	-	-	4.75	-	-	1.75	64.07
निपटान	-	270.61	-	-	-	-	-	-	(270.61)
समापन सकल वहन राशि	**8.18**	**6,047.02**	**1.18**	**10.86**	**15.67**	**2.07**	**0.07**	**33.56**	**6,118.61**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2022 को शेष	2.00	3,122.12	0.63	6.18	8.25	1.09	0.07	16.17	3,156.50
परिवर्धन	0.33	276.82	0.12	1.02	1.52	0.21	-	3.78	283.79
निपटान	-	256.15	-	-	-	-	-	-	(256.15)
समापन संचित मूल्यह्रास	**2.33**	**3,142.78**	**0.74**	**7.20**	**9.76**	**1.29**	**0.07**	**19.96**	**3,184.14**
31 मार्च, 2023 को शुद्ध वहन राशि	**5.84**	**2,904.24**	**0.43**	**3.66**	**5.91**	**0.78**	**0.00**	**13.60**	**2,934.47**
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2023 को लागत	8.18	6,047.02	1.18	10.86	15.67	2.07	0.07	33.56	6,118.61
परिवर्धन	1.32	411.18	0.50	-	7.22	0.97	-	19.79	440.98
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन सकल वहन राशि	**9.50**	**6,458.20**	**1.67**	**10.86**	**22.90**	**3.04**	**0.07**	**53.35**	**6,559.59**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2023 को शेष	2.33	3,142.78	0.74	7.20	9.76	1.29	0.07	19.96	3,184.14
परिवर्धन	1.38	276.13	0.15	0.99	4.16	0.26	(0.00)	5.89	288.96
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन संचित मूल्यह्रास बंद करना	**3.72**	**3,418.92**	**0.89**	**8.19**	**13.92**	**1.55**	**0.07**	**25.85**	**3,473.10**
31 मार्च 2024 को निवल वहन मूल्य *	**5.79**	**3,039.28**	**0.78**	**2.67**	**8.97**	**1.49**	**0.00**	**27.51**	**3,086.50**

*नोट 33 का संदर्भ लें

TLD
1181
054

FORÇA AÉREA BRASILEIRA
PT-ZNG
1180
TLD
13014
AI AIRPORT SERVICES

2 (ख) अमूर्त परिसंपत्तिया

विवरण अमूर्त	परिसंपत्तियां
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2023 को लागत	-
परिवर्धन	2.16
निपटान	-
समापन सकल वहन राशि	**2.16**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2023 को शेष	-
परिवर्धन	0.04
निपटान	-
31 मार्च, 2023 को शुद्ध वहन राशि	**0.04**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	**2.12**

2 ग. **विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां *	14.54	2.15
	14.54	**2.15**

* नई ईआरपी कार्यान्वयनाधीन है और भुगतान की गई लागत के अनुरूप, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में पूंजीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2024 तक विकास आयु अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

विवरण	**उक्त अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं में प्रगति	12.38	2.15	-	-	14.54
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 तक विकास आयु अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

विवरण	**उक्त अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि**				
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं में प्रगति	2.15	-	-	-	2.15
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

3. अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपतितयां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रतिभूति जमा राशि*	8.50	8.50
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशियां	1,056.97	1,290.00
कर्मचारियों से वसूली योग्य	-	0.66
	1,065.47	**1,299.16**

* सरकारी कंपनी को दी गई प्रतिभूति जमा राशि

4. आयकर संपत्ति (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अग्रिम कर और टीडीएस *	649.98	487.68
	649.98	**487.68**

*प्रावधानों के बाद शुद्ध ₹ 2,172.93 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1985.84 मिलियन)

5. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	(210.99)	(189.84)
कुल आस्थगित कर देयता	**(210.99)**	**(189.84)**
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति		
अन्य कर अस्वीकृति	1,001.78	1,160.32
कुल आस्थगित कर संपत्ति	**1,001.78**	**1,160.32**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	**790.79**	**970.48**

6. अन्य गैर–चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
स्टाफ से वसूली योग्य	16.71	23.74
	16.71	**23.74**

7. दरसूचियां

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
स्टोर और पुर्जे *	22.50	56.11
घटा : प्रावधान	(2.94)	(33.14)
	19.56	**22.97**

8. व्यापारिक प्राप्य

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अरक्षित		
वसूलीयोग्य माना गया*	4,060.85	2,662.98
निर्विवाद रूप से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं	1,232.02	1,759.42
	5,292.87	**4,422.40**
घटाः संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	1,232.02	1,759.42
	4,060.85	2,662.98
समूह कंपनियों से बकाया	1,377.08	1,408.46
	5,437.94	**4,071.44**

*कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों से अग्रिमों को पुनर्वर्गीकृत किया है और अलग से सकल के रूप में दिखाया गया है।

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची **(रूपए मिलियन में)**

31 मार्च, 2024 तक	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
विवरण	**बिना बिल**	**6 महीने से कम**	**6 माह – 1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2 – 3 वर्ष**	**तीन वर्ष से अधिक**	
अर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	1,191.89	2,564.58	584.29	905.14	379.17	612.20	6,237.25
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई		0.04	41.33	157.73	-	233.60	432.70
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसकी ऋण जोखिम में में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
घटा : संभावित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान (नोट 45 (ख) (i) देखें)	-	-	-	-	-	-	(1,232.02)
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**1,191.89**	**2,564.62**	**625.62**	**1,062.86**	**379.17**	**845.80**	**5,437.94**

- वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आयु को एफआईएफओ आधार पर निर्धारित किया गया है (संदर्भ नोट 52)

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च, 2023 तक	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						Total
विवरण	बिना बिल	6 महीने से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
अर्विवाद व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	1,103.62	1,679.01	677.54	424.75	186.51	-	4,071.43
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	223.50	139.80	99.16	43.54	1,253.43	1,759.42
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूलीयोग्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
घटा : संभावित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता (नोट 46 (ख) (i) देखें)	-	-	-	-	-	-	(1,759.42)
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**1,103.62**	**1,902.50**	**817.34**	**523.91**	**230.06**	**1,253.43**	**4,071.44**

सेवाओं की बिक्री पर क्रेडिट अवधि, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना 30 से 60 दिनों तक होती है।

किसी भी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पहले, कंपनी संभावित ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बाहरी क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करती है और ग्राहक द्वारा क्रेडिट सीमा को परिभाषित करती है। ग्राहकों को दी गई सीमाओं और स्कोरिंग की वर्ष साल में एक बार समीक्षा की जाती है।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन नोट 45 (ख) (i) में वर्णित किया गया है।

संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य का विवरण नोट 44 में वर्णित किया गया है।

व्यापार प्राप्य में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से कोई प्राप्य शामिल नहीं हैं।

व्यापार प्राप्य में विवादित कंपनियों से कोई प्राप्य शामिल नहीं हैं।

9. नकद और नकद समकक्ष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों के पास शेष राशि –चालू खाते में	71.59	520.23
उपलबध धन	-	-
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंकों में सावधि जमा*	0.21	0.20
	71.81	**520.43**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
* निर्धारित शेष राशि उपायुक्त (बिक्री कर) के पास सावधि जमा को दर्शाती है	**0.21**	**0.20**

10. नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंकों में सावधि जमा*	10.00	1.73
	10.00	**1.73**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
* निर्धारित शेष राशि उपायुक्त (माल अैर सेवाकर) के पास सावधि जमा को दर्शाती है	**1.84**	**1.73**

11. अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अन्य प्राप्य	48.74	32.75
- अरक्षित, वसूलीयोग्य		
भारत से सेवा निर्यात योजना की पात्रता	22.05	90.25
घटा : एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता के लिए प्रावधान	(22.05)	(22.25)
	48.73	**100.96**

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम*	174.71	79.98
घटा : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(25.28)	(15.28)
	149.43	**64.70**
पूर्व प्रदत्त व्यय	32.51	79.84
स्टाफ को अग्रिम	-	0.21
	181.94	**144.75**

13. इक्विटी शेयर पूंजी

क. प्राधिकृत, जारी और अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी का विवरण (रूपए मिलियन में)

विवरण	सं. मिलियन में	31 मार्च 2024 को	सं. मिलियन में	31 मार्च 2023 को
अधिकृत पूंजी प्रति 10/– के इक्विटी शेयर	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00
जारी की गई पूंजी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त प्रति 10/– के इक्विटी शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
		1,384.24		**1,384.24**

ख. शेयरों की संख्या का समाधान (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	138.42	1,384.24	138.42	1,384.24
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1,384.24**

ग. निबंधन और शर्तें

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

घ. 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक **(रूपए मिलियन में)**

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	138.42	100.00%

ङ. होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयर प्रतिशत : **(रूपए मिलियन में)**

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	138.42	1384.24
कुल	**138.42**	**1,384.24**	**138.42**	**1384.24**

च. प्रमोटर की शेयरधारिता **(रूपए मिलियन में)**

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
	संख्या	प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	138.42	100.00%	-	138.42	100%	-

नोट

धारित शेयरों की संख्या और धारण का प्रतिशत व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों को दर्शाता है।
यहां प्रमोटर का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित रूप में परिभाषित अनुसार है।

छ. नकदी के अलावा जारी किए गए शेयर

कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे और नकदी के अलावा अन्य प्रकार से शेयर जारी किए जाने का एक उदाहरण है और तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

14. अन्य इक्विटी **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय	कुल
	प्रतिधारित आमदनी		
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	**1,840.16**	**227.01**	**2,067.16**
वर्ष के लिए घाटा	623.27	-	623.27
राउंड ऑफ अंतर	0.07	-	0.07
कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन	-	(3.92)	(3.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष/पुनर्मापन	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
1 अप्रैल, 2023 तक शेष	**2,463.49**	**223.09**	**2,686.58**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	404.26	-	404.26
राउंड ऑफ अंतर	-	-	-
कर्मचारी लाभ दायित्वों पा पुनर्मापन	-	126.55	126.55
31 मार्च, 2024 तक शेष	**2,867.76**	**349.64**	**3,217.40**

भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी की अधिशेष/संचित आय का प्रतिनिधित्व करती है और शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध है

अन्य व्यापक आय

अन्य व्यापक आय में परिभाषित कर्मचारी लाभ दायित्वों पर पुनर्माप लाभ/(हानि) शामिल हैं।

15. अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	12.97	38.05
विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा	34.81	34.43
	47.78	**72.48**

16. प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
<u>कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:</u>		
छुट्टी का अधिकार	276.18	300.21
उपदान	696.80	701.88
चिकित्सा – नोट 42 का संदर्भ	1,411.45	1,411.45
	2,384.43	**2,413.54**

17. व्यापार देय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	10.56	2.30
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि*	2,328.28	1,619.33
	2,338.84	**1,621.64**

* कंपनी ने अग्रिमों को व्यापार देयताओं में पुनर्वर्गीकृत किया है तथा उन्हें अलग से दर्शाया है।

व्यापार देय अवधि अनुसूची

31 मार्च, 2024 तक **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	अदेय	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	10.56	-	-	-	10.56
(ii) अन्य	1,038.10	758.95	3.05	472.83	55.35	2,328.28
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**1,038.10**	**769.51**	**3.05**	**472.83**	**55.35**	**2,338.84**

– वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आयु निर्धारण एफआईएफओ के आधार पर किया गया है। (नोट 52 देखें)

31 मार्च, 2023 तक **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	अदेय	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	2.30	-	-	-	2.30
(ii) अन्य	292.12	700.15	557.45	9.53	60.09	1,619.33
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**292.12**	**702.45**	**557.45**	**9.53**	**60.09**	**1,621.64**

व्यापार देय में बंद कंपनियों को देय राशि शामिल नहीं है।

देय व्यापार सामान्य रूप से 30 से 60 दिनों के भीतर तय किया जाता है।

संबंधित पक्षों को देय व्यापार नोट 44 में प्रकट किया गया है।

18. अन्य चालू वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारियों को देय	710.29	1,185.56
	710.29	**1,185.56**

19. प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
<u>कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः</u>		
छुट्टी का अधिकार	45.96	67.61
उपदान	114.29	159.28
अन्य प्रावधान		
अन्य सांविधिक देयों हेतु प्रावधान	456.84	632.04
एमएसएमई वेंटरों पर ब्याज हेतु प्रावधान	0.50	0.10
	617.58	**859.04**

20. अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वैधानिक देनदारियां	134.30	72.56
ग्राहकों से अग्रिम	561.20	284.33
	695.50	**356.89**

21. संचालन से राजस्व **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क. सेवाओं को संभालने से राजस्व		
एअर इंडिया से राजस्व	2,428.81	2,708.50
समूह की कंपनियों से राजस्व	464.71	485.69
तृतीय पक्ष प्रबंधन से आय	3,796.05	4,417.59
सरकारी दलों से राजस्व	224.95	158.38
सामान्य हैंडलिंग से आय	458.97	371.84
कुल (क)	**7,373.49**	**8,142.00**
ख. कार्गो हैंडलिंग राजस्व		
एपीईडीए राजस्व	39.94	29.93
अन्य	786.01	581.43
कुल (ख)	**825.94**	**611.36**
ग. उपकरण ऋण	226.73	191.37
अन्य		
कुल (ग)	**226.73**	**191.37**
परिचालन से कुल राजस्व (क + ख + ग)	**8,426.17**	**8,944.73**

राजस्व स्वीकृति का समय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं का समकाल स्थानान्तरण	8,426.17	8,944.73
ग्राहकों के साथ संपर्क से कुल आय	**8,426.17**	**8,944.73**

22. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
भर्ती आवेदन राशि	7.76	5.37
समूह कंपनियों पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज	116.97	116.67
समूह कंपनियों के अलावा अन्य पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज	25.85	29.72
सावधि जमा पर ब्याज आय	81.08	47.48
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध)	-	25.16
एचएएल–जेडब्ल्यूजी का लाभ साझाकरण (नोट 31 देखें)	17.40	13.70
प्रावधान जिसके लिए बट्टे खाते की आवश्यकता नहीं	-	(0.59)
एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	39.46	68.21
विविध आय	45.09	72.54
कुल	**333.61**	**378.25**

23. कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और बोनस	5,221.26	4,604.70
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	514.02	395.48
कर्मचारी कल्याण व्यय	32.44	7.60
उपदान	74.35	59.20
अवकाश नकदीकरण	76.23	53.56
चिकित्सा लाभ व्यय	39.82	41.29
कुल	**5,958.11**	**5,161.82**

24. वित्त लागत

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वैधानिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	46.98	13.43
अन्य ब्याज लागत	34.78	135.78
कुल	**81.76**	**149.21**

25. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	288.96	283.79
उपयोग की संपत्ति पर मूल्यह्रास	0.04	-
कुल	**289.00**	**283.79**

26. अन्य व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
हैंडलिंग प्रभार	309.53	265.01
बीमा	54.74	23.44
मरम्मत और रखरखाव – अन्य	111.83	83.12
बिजली, हीटिंग और ईंधन	313.01	332.54
जल प्रभार	5.02	5.58
एसईएसएफ हैंडलिंग प्रभार	87.92	22.99
स्टोर और पुर्जों की खपत	131.08	136.13
परिवहन और उपकरणों का किराया	87.21	23.23
एसईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की बिक्री पर हानि	4.18	-
परिसंपत्तियों का बट्टा खाता	-	14.46
संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	10.00	5.54
दरसूची हेतु प्रावधान	-	33.14
मुद्रण और स्थिर	13.18	9.95
सामान्य कार्यालय व्यय	22.35	16.70
संभावित ऋण खाता प्रावधान/रिवर्सल	(527.40)	750.06
किराया व्यय	240.48	442.70
दरें और कर	25.45	474.80
यात्रा और परिवहन व्यय	74.92	60.22
विलंबित शुल्क और जुर्माने	581.34	34.76
कानूनी और पेशेवर खर्च	10.22	4.78
विदेशी मुद्रा हानि (शुद्ध)	24.39	-
सांविधिक लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक		
– लेखापरीक्षा शुल्क	0.75	1.00
– कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	0.08	0.10
विविध व्यय	79.58	14.94
कुल	**1,659.86**	**2,755.19**

27. आय/(हानि) प्रति इक्विटी शेयर :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रति शेयर मूल/विलयित आय		
इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ/(हानि) (मिलियन रूपए में)	**404.26**	**623.27**
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मिलियन में)	138.42	138.42
मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (रूपए में)	2.92	4.50
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपए में)	10	10

28. आकस्मिक देनदारियां, संपत्ति और प्रतिबद्धताएं

क) आकस्मिक देनदारियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गयाः		
– आयकर की मांग जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा अपील की गई (आदेश की तारीख तक ब्याज सहित)#	318.48	312.19
जीएसटी मांग और जीएसटी मांग पर ब्याज ##	637.30	296.22
अन्य ###	14.91	14.91
कुल	**970.68**	**623.32**

#कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जो अपील के अधीन हैं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	आकलन वर्ष	अपील की स्थिति	राशि
धारा 143(3) के तहत 04 मार्च, 2016 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2013-14	सीआईटी (अ) 07 अप्रैल, 2016 को	19.18
धारा 147 के तहत 22 मई, 2023 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2017-18	21 अगस्त 2020 को सीआईटी (अ)।	6.29
आयकर बकाया मांग आदेश 27 दिसंबर, 2019 को धारा 143(3) के तहत प्रस्तुत	2017-18	21 जनवरी, 2020 को सीआईटी (अ)।	6.60
धारा 143(3) के तहत 25 मई, 2021 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2017-18	09 जून, 2022 को आईटी विभाग को उत्तर दिया गया	5.40
धारा 143(3) के तहत 21 मई, 2021 को प्रस्तुत आयकर बकाया मांग आदेश	2018-19	4 अक्टूबर 2021 को सीआईटी (अ)	80.76
आयकर बकाया 23 दिसंबर, 2021 को धारा 143(1) के तहत प्रस्तत मांग आदेश। इसमें 16 अक्टूबर, 2021 को 82.65 मिलीयन रूपए की राशि कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।	2020-21	29 अक्टूबर 2022 को सीआईटी (अ)	200.25
कुल			**318.48**

कंपनी द्वारा प्राप्त नोटिस के विरुद्ध ब्याज सहित जीएसटी की मांग

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वित्त वर्ष	नोटिस की स्थिति	राशि
दिल्ली	2017-2021	जीएसटी नोटिस	7.96
पंजाब	2019-2020	जीएसटी नोटिस	29.48
तमिलनाडु	2019-2020	जीएसटी नोटिस	138.15
उतर प्रदेश	2019-2020	जीएसटी नोटिस	51.49
पश्चिम बंगाल	2019-2020	जीएसटी नोटिस	84.13
छत्तीसगढ	2019-2021	जीएसटी नोटिस	0.49
ओडिशा	2019-2020	जीएसटी नोटिस	11.50
महाराष्ट्र	2020-2022	जीएसटी नोटिस	6.73
कुल			**329.94**

जीएसटी मांग पर ब्याज जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील दायर की थी

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वित्त वर्ष	नोटिस की स्थिति	राशि
महाराष्ट्र	2017-2020	अपील फाइल की गई	240.72
गोवा	2019-2020	अपील फाइल की गई	32.56
राजस्थान	2017-2020	अपील फाइल की गई	0.78
बिहार	2017-2021	अपील फाइल की गई	12.34
कर्नाटक	2018-2019	अपील फाइल की गई	0.19
तमिलनाडु	2018-2019	फाइल आवेदन की शुद्ध हेदु आदेश	17.65
पश्चिम बंगाल	2018-2019	अपील फाइल की गई	0.53
असम	2018-2019	अपील फाइल की गई	2.58
कुल			**307.35**

अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरणः
अदालता म लाबत कर्मचारिया दावानी/मध्यस्थता मामला क कारण अन्य दावे

विवरण	पक्षों की संख्या	मामला संख्या	राशि
यह व्यवस्था, कंपनी को व्यापार के घाटे संबंधी कदाचार के लिए सेवा से निलंबित करने के दंड के विरूद्ध है। पार्टी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 31 दिसंबर, 2016 तक सेवाओं में पिछले वेतन के साथ बहाली की मांग की है।	एम एल शेट्टी	सीजीआईटी 2/12–2016 सुनवाई के लिए लंबित	0.21
कर्मकार, एआईएटीएसएल के अधिकारियों की मानहानि से संबंधित कदाचार के लिए सेवाओं से हटाने के संबंध में 01 मार्च, 2016 के आदेश को चुनौती दे रहा है। वह पिछले पूर्ण वेतन के साथ सेवाओं में निरंतरता की मांग कर रहे हैं।	एस टी काटकर	2016 का सीजीआईटी 2/13 सुनवाई के लिए लंबित	2.30
यह जानबूझकर अवज्ञा या अपने वरिष्ठ के किसी भी वैध और उचित आदेश की अवज्ञा और कार्य की उपेक्षा के लिए सेवा से निलंबित किए जाने की सजा के विरूद्ध है। यह पक्ष, पिछले पूरे वेतन और अन्य लाभों के साथ सेवा में फिर से बहाली की मांग कर रहा है।	पी एन पवार	2017 का सीजीआईटी 2/3 सुनवाई के लिए लंबित	2.30
यह संदर्भ कदाचार के लिए अनुबंध की समाप्ति के खिलाफ है। इस पक्ष ने 17 अक्टूबर, 2017, अर्थात अनुबंध की समाप्ति की तारीख से पूर्ण पिछले वेतन के साथ पुनः बहाली का दावा किया है।	एस बी अधव	2017 का सीजीआईटी 2/15 सुनवाई के लिए लंबित	0.20
इस पक्ष ने जयपुर हवाईअड्डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग और विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.90 मिलियन रूपए (दंडात्मक ब्याज और उस पर जीएसटी सहित) की मांग प्रस्तुत की थी। कंपनी ने उनके सभी बकाया बिलों की समीक्षा की और पाया कि वेंडर द्वारा जारी किए गए बिल सही नहीं थे। सही है और यहां तक कि एक सेवा के लिए भी, दोहरी सेवा बिल प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।	नेहा एविएशन मैनेजमेंट प्रा.लि	लागू नहीं	9.90
कुल			**14.91**

ख. पूंजी और अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएंः

31 मार्च, 2024 तक पूंजी अनुबंध प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं ₹ 83.80 मिलियन हैं (पिछले वर्ष ₹ 119.50 मिलीयन)। पूंजीगत प्रतिबद्धताओं का सारांश इस प्रकार हैः

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अमूर्त संपत्ति	54.08	66.08
रैंप उपकरण*	21.86	29.65
कंप्यूटर*	7.86	4.48
वाहनों	-	17.85
फनिर्चर व फिक्सचर	-	0.35
कार्यशाला उपकरण एवं उपकरण	-	0.31
कार्यालय उपकरण	-	0.79
कुल	**83.80**	**119.50**

* वित्त वर्ष 23–24 से संबंधित 31 मार्च, 2024 तक दर्शाई गई पूंजी प्रतिबद्धताएं

29. विनिवेश प्रक्रिया

एअर इंडिया लिमिटेड का दिनांक 27 जनवरी 2022 को विनिवेश किया गया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर दिनांक 13 जनवरी 2022 को एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए। उपरोक्त के आधार पर, 13 जनवरी 2022 से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

एआईएएचएल, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) चार सहायक कंपनियों एएएएल, एआईएएसएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर–प्रमुख संपत्ति पेंटिंग्स और आर्टिफिकैट्स और एअर इंडिया की अन्य गैर–परिचालन संपत्तियों के साथ–साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित संचित कार्यशील पूंजी ऋणों के भंडारण के लिए बनाया गया था।

इसके अलावा, इस संबंध में एआईएएसएल के विनिवेश के लिए रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) की बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले ही जारी किया जा चुका है और जिसका विवरण निम्नानुसार है :

एआईएएचएल ने एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री के लिए रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए दिनांक 12 फरवरी 2019 को पीआईएम जारी किया था, जिसके बाद 12 शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें अंतिम तिथि दिनांक 27 दिसंबर 2019 थी। एआई एएसएल को रद्द कर दिया गया है और एआईएएचएल उचित समय पर एआई एएसएल की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा।

30. इंड एएस–8 लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों का सुधार

वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रारंभिक शेष राशि की विस्तृत समीक्षा की है और पाया कि वित्तीय विवरणों के नीचे उल्लिखित मदों को पिछले वर्ष में त्रुटिपूर्ण रूप से लेखांकित/प्रकटीकरण किया गया था। इन त्रुटियों को अब पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन मद को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया गया है।

रूपए मिलियन में

	31 मार्च 2023 को		
तुलनपत्र (सार)	**पूर्व में रिपोर्टिड**	**वृद्धि/(कमी)**	**पुनववर्णित**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,130.35	(159.87)	970.48
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**2,693.82**	**(159.87)**	**2,533.95**
कुल परिसंपत्तियां	**2,693.82**	**(159.87)**	**2,533.95**
लाभ और हानि का विवरण (सार) #			
कर पूर्व हानि	972.97	-	972.97
चालू कर	235.77	-	235.77
आस्थगित कर	(45.94)	159.87	113.93
कर प चात लाभ /(हानि)	**783.14**	**(159.87)**	**623.27**

31. संयुक्त कार्य समूह के संबंध में प्रकटन

"एचएएल बैंगलोर हवाईअड्डा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अंतर्गत आता है। तत्कालीन एअर इंडिया और एचएएल के बीच दिनांक 24.03.1999 को एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था जो दिनांक 31.3.2014 तक प्रभावी था। दिनांक 01 अप्रैल 2014 से एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संचालन पर, एआईएएसएल ने बैंगलोर हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कंपनी की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एचएएल के साथ एचएएल–एआईएएसएल जेडब्ल्यूजी नामक एक संयुक्त कार्य समूह समझौता किया। इस व्यवस्था के अनुसार, कंपनी उस हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए एचएएल के सभी बुनियादी ढाँचे और एआईएएसएल की विशेषज्ञता का उपयोग करेगी और एआईएएसएल – एचएएल जेडब्ल्यूजी के शुद्ध लाभ के अनुसार, एचएएल और कंपनी के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए एआईएएसएल – एचएएल जेडब्ल्यूजी के शुद्ध लाभ का 50 प्रति ात भाग 17.40 मिलियन रूपए है, जिसे अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

रूपए मिलियन में

संयुक्त कार्य दल का नाम	**एआई संयुक्त उपक्रम समूह**	
	31 मार्च 2024 को	**31 मार्च 2023 को**
कंपनी का भाग/स्वामित्व हित	50%	50%
आय – कंपनी का भाग	78.60	62.50
व्यय – कंपनी का भाग	43.80	35.10
लाभ/(हानि) –कंपनी का शेयर	34.80	27.40
एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूह से आय का भागः	17.40	13.70
आकस्मिक देयता	-	-

32. समामलेन/पुष्टि

(क) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्तियों के लिए शेष राशि की पुष्टि हेतु मांग की है और कंपनी ने धारक कंपनी, धारक कंपनी की सहायक कंपनी और कुछ निजी पक्षों शेष राशि प्राप्तियों हेतु पुष्टि प्राप्त की है, जिसमें कंपनी को प्राप्य युक्तिसंगत राशि शामिल है और समायोजन का कार्य पूरा कर लिया गा है तथा शेष पुष्टियां प्राप्त हो रही हैं। व्यापार के भुगतान के मामले में कुछ पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और जहां भी पक्षों का शेष बहियों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतरों के लिए समायोजन किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

(ख) कुछ नियंत्रण बहियों सहित देय राशियों और कर्मचारियों से प्राप्य/वसूलीयोग्य मिलान रहित कतिपय राशियों का समायोनज और मिलान किया जा रहा है। इन समायोजनों से उत्पन्न प्रभाव, यदि कोई हो, तो समायोजन की प्रकिया को समायोजन के वर्ष के भीतर तथा समक्ष प्रधिकरण से अनुमोदन से पूरा किया जाएगा।

(ग) कंपनी द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ वैधानिक बकाया का मिलान कर लिया गया है। वर्ष के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हो, को वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के वर्ष में और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद निपटाया जाएगा।

33. परिसंपत्तियां, संयत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी की प्रमुख संपत्तियों का भौतिक सत्यापन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा ताकि हर दो साल में हर संपत्ति का सत्यापन किया है और कंपनी सत्यापद के दौरान पाई गई विसंगतियों का सत्यापन किया है और संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन लेने के बाद उस वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, प्रबंधन ने कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को टैग करने की आवश्यकता की पहचान की है और इसे पूरा करने के लिए, पूरे भारत में सभी स्टेशनों पर एक समायोजन प्रक्रिया शुरू किया गया है और समायोजन का प्रभाव उस वर्ष में लिया जाएगा, जिसमें प्रक्रिया पूरा हो जाएगा।

34. इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन आंतरिक रूप से चार स्थानों पर किया जाता है, जहां इन्वेंटरी का सत्यापन कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाता है और विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाता है। भौतिक सत्यापन दिनांक 31 मार्च 2024 को किया गया है। इनवेंटरी का उपयोग उपयोगकर्ता (तकनीकी) से प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर बहियों में ले जाने वाले मूल्य के बराबर होता है। दरसूची की खपत को निर्धारित राशि के आधार पर परिकलित किया गया हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने नीचे उल्लिखित दर के अनुसार इन्वेंट्री की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रावधान किया है:

क) तेजी से आगे बढ़ने वाली इन्वेंटरी – 0 %

बी) धीमी गति से चलने वाली इन्वेंटरी – 25%

ग) नॉन मूविंग इन्वेंट्री – 50%

घ) अप्रचलित इन्वेंटरी – 100%

35. नकद और बैंक शेष

वर्ष के अंत में, बैंक शेष की प्रक्रिया का पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है और सभी बैंक खातों के संबंध में बैंकों से पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई नकदी नहीं है, इसलिए वर्ष के अंत में कोई उपलब्ध नकदी नहीं है।

36. समूह कंपनियों पर अतिदेय भुगतान पर ब्याज

पिछली प्रक्रिया के अनुसार एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के संबंध में औसत शेष पद्धति पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया है।

एअर इंडिया समूह की कंपनियों के लिए प्रभारित ब्याज निम्नानुसार है: **मिलियन में रुपए**

विवरण	**राशि**
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	2.02
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	114.95
कुल	**116.97**

37. आंतरिक नियंत्रण:

कंपनी ने प्रणाली में सुधार, यदि अपेक्षित हो, के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। प्रबंधन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा समय समय पर की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोक्ता विभागों में भी कुशल आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित किया जा सके और संव्यवहार की समरूपी और सम पर लेखांकन प्रविष्टियों हेतु प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

38. ''भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसईआईएस) की पात्रता'' :

कंपनी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आधार पर भारतीय योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र है। लाइसेंस/स्क्रिप के रूप में उक्त लाभ विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को 8 फरवरी, 2024 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 41.11 मिलियन रुपये का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। कंपनी ने अन्य आय में जमा करने के बाद इस लाइसेंस को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त लाइसेंस सलाहकार मेसर्स शांगरीला कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिए हैं और इसलिए 31.03.2024 तक कंपनी के पास कोई लाइसेंस नहीं है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, वर्ष 2017–18 के लिए जारी एसईआईएस लाइसेंस संख्या 0319271362, जिसमें 22.06 मिलियन रूपए का पात्रता दावा था, दिनांक 19 जनवरी, 2022 को समाप्त हो गया था। कंपनी ने उपरोक्त लाइसेंस के लिए समाप्ति तिथि के विस्तार के लिए नीति छूट समिति (पीआरसी) को आवेदन किया था और तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य की सीमा तक प्रावधान बनाया था।

39. जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से दावेः

कंपनी ने मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल/रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 250.18 मिलियन रुपये (ब्याज सहित) का अपना दावा प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 166.1 मिलियन रुपए को स्वीकार कर लिया गया हैं। इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियम 2016 के विनियम 39 (5क) के संदर्भ में, अनुमोदित संकल्प योजना (जेट एयरवेज (आई) लिमिटेड) के तहत परिचालन लेनदारों (कर्मचारियों और कर्मचारियों और टिकट वापसी के अलावा) के लिए प्रस्तावित सिद्धांत या सूत्र) माननीय एनसीएलटी के दिनांक 25 जून 2021 को 22 जून 2021 के आदेश द्वारा, प्रत्येक संबंधित लेनदार को 15000/– रूपए (दावा राशि के बावजूद) की निश्चित राशि का भुगतान किया गया था। कंपनी ने निवेदन किया है कि 15,000/– रूपए की निश्चित राशि का भुगतान स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान ईसीएल में माना जाता है।

40. गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड के दावे

गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ने दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और तदनुसार, एनसीएलटी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 10 मई, 2023 के आदेश के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू कर दी है और, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 तक 220.35 मिलियन रुपये (ब्याज राशि 11. 27 मिलियन रुपये सहित) का दावा दायर किया है और तदनुसार कंपनी ने पिछले वर्श हेतु ईसीएल में ब्याज को छोड़कर प्राप्तियों का 100 प्रतिशत प्रावधान किया है।

41. सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006ः

अकाउंटिंग सिस्टम (ओडीओओ) में वेंडर मास्टर में एक फ़ील्ड, माइनॉरिटी इंडिकेटर है, जिसे वेंडर को एमएसएमई के रूप में पहचानने के लिए अपडेट किया जाता है। एमएसएमई वेंडरों के अधिक विवरण, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि को कैप्चर करने के लिए सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है।

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि,	10.56	2.30
मूल राशि 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है,	10.56	2.30
लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया और बकाया ब्याज,	0.50	0.10
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि,	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, अवधि (जहां मूलधन का भुगतान किया गया है लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है),	-	-
लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित और शेष अवैतनिक ब्याज की राशि तथा	0.50	0.10
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य हेतु, अगले वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त ब्याज देय वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान किया जाता है।	-	-

ऐसे वेंडर के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में पहचाने जाने की सीमा तक सूचना दी गई है।

42. **कर्मचारी लाभ योजनाः**

(क) **निर्धारित अंशदान योजना**

कर्मचारी भविष्य निधिः कंपनी में स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को शासित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों के अनुसार अंशदान करते हैं, जिनमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि के प्रति कंपनी का अंशदान 327.79 मिलियन रूपए (पिछले वर्षः 363.50 मिलियन रूपए)

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान का परिकलन करते समय समाहित किए जाने वाले वेतन संरचना के घटकों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय उपस्थित है। इसमें निर्णय के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि सहित वर्णनात्मक पहलु विद्यमान हैं। प्रबंधन के विचार से, भविष्य निधि के अंशदान का परिकलन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ख) **निर्धारित लाभ योजनाएः**

क. उपदानः उपदान अधिनियम के भुगतान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपदान अधिवर्षता, मृत्यु, या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को देय होगा। कंपनी के पास भारत में निर्धारित लाभ उपदान योजना (अनिधित) विद्यमान है। कंपनी द्वारा उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब वह देय होती है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है।

(i) **उपदान के लिए इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण** **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
लाभ का प्रकार	उपदान	उपदान
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.23	01.04.22
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.24	31.03.23
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

क. अनुमान (पूर्व अवधि) **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.41%	6.84%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	लागू अनुसार 10% व 2%	लागू अनुसार 10% व 2%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) भाहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) भाहरी
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अनुमान (वर्तमान अवधि) (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.19%	7.41%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	10% व 2% लागू अनुसार	10% व 2% लागू अनुसार
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) भाहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) भाहरी
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	लागू नहीं	लागू नहीं
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	861.16	953.19
ब्याज लागत	63.81	63.35
चालू सेवा लागत	74.35	59.2
पूर्व सेवा लागत	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ)	(125.17)	(218.50)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	-	
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि – वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	8.32	(20.16)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि– अनुभव के कारण	(71.38)	24.08
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**811.09**	**861.16**

ग. तुलन पत्र में लेखांकित राशि (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य)	(811.09)	(861.16)
वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/(घाटा))	(811.09)	(861.16)
तुलन पत्र में लेखांकित (दायित्व)/परिसंपत्ति	**(811.09)**	**(861.16)**

घ. चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	861.16	953.19
आरंभ में दायित्व/(परिसंपत्ति)	861.16	953.2
ब्याज लागत	63.81	63.35
चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	**63.81**	**63.35**

ङ. चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
चालू सेवा लागत	74.35	59.2
निवल ब्याज लागत	63.81	63.35
पूर्व सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान)	-	-
कटौतियों और निपटानों पर लाभ)/हानियां	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	**138.16**	**122.55**

च. चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां	(63.06)	3.92
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	0	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	0	-
ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	**(63.06)**	**3.92**

छ. तुलनपत्र समाधान **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आरंभिक निवल देयता	861.16	953.19
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	138.16	122.54
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	(63.06)	3.92
अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन	0	0
निवल (देयता)/परिसंपत्ति– आउट	0	0
(सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ)	(125.17)	(218.50)
(कमर्चारी अंशदान)		
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति)	**811.09**	**861.16**

ठ. लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण (रूपए मिलियन में)

रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय अनुमानित लाभ		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 आगामी वर्ष	119.53	159.28
2 आगामी वर्ष	39.21	95.61
3 आगामी वर्ष	131.33	128.78
4 आगामी वर्ष	152.14	137.06
5 आगामी वर्ष	122.16	116.13
वर्ष 6 से 10 का योग	668.70	335.76

ड. संवेदी विश्लेषणः वृद्धि/(कमी) (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 क	31 मार्च 2023 को
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	**811.09**	**861.16**
छूट की दर में +1% और 0.5+ परिवर्तन डेल्टा का प्रभाव	(18.65)	(32.87)
छूट की दर में 0.5 % और –1 परिवर्तन डेल्टा का प्रभाव	19.58	36.11
वेतन वद्धि की दर में +1% परिवर्तन डेल्टा का प्रभाव	38.57	34.81
वेतन वद्धि की दर में –1% परिवर्तन डेल्टा का प्रभाव	(36.15)	(32.77)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% और 5% परिवर्तन डेल्टा का प्रभाव	8.44	2.60
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –1% और 5% परिवर्तन डेल्ट का प्रभाव	(11.70)	(2.95)

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणियां :

उपदान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए अगले 10 वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है। औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व। परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि, नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है। किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि संचलन को दर्शाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

(ii) **सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभः** कंपनी में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारियों व उनके पति–पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इंड एस के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ संबंधी प्रकटन विवरण :

रूपए मिलियन में

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
लाभ का प्रकार	चिकित्सा	चिकित्सा
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.23	01.04.22
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.24	31.03.23
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

क. अनुमान (पूर्व अवधि)

रूपए मिलियन में

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.40%	6.91%
चिकित्सा लागत संवर्धन	4.00%	4.00%
कर्मचारी वृद्धि की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)

ख. अनुमान (वर्तमान अवधि)

रूपए मिलियन में

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.19%	7.40%
चिकित्सा लागत संवर्धन	5.50%	4.00%
कर्मचारी वृद्धि की दर	10 प्रतिशत व 2 प्रतिशत जो भी लागू हो	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी
रोजगार के पश्चात मृत्यु दर	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)	भारतीय व्यक्तिगत बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–15)

ग. परिभाशित लाभ दायित्व के वर्तमानप मूल्य में परिवर्तन **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1,411.45
ब्याज लागत	-	-
चालू सेवा लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत	-	-
ली गई अंतरित देयता/अधिग्रहण	-	-
(दी गई अंतरित देयता/विनिवेश)	-	-
(लाभ)/हानियों में कमी	-	-
(निपटान पर समाप्त देयताएं)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदात किए गए लाभ)	-	-
(निधियों के भुगतान किए गए लाभ)	-	-
विदेशी विनिमिय दर में परिवर्तनों के प्रभाव	-	-
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां : अनुभव के कारण	-	-
अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमानमूल्य	**1411.45**	**1411.45**

घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
कर्मचारी द्वारा संभावित अंशदान	-	-
ली गई अंतरित परिसंपत्तियां/अधिग्रहण	-	-
(दी गई अंतरित परिसंपत्तियां/विनिवेश)	-	-
(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
(निपटान पर संवितरित परिसंपत्तिया)	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	-	-
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-

ङ. तुलन पत्र में स्वीकृत राशि **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	(1411.45)	(1411.45)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल (देयता)/परिसंपत्ति	(1411.45)	(1411.45)

च. चालू वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,411.45	1,411.45
(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
आरंभ में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	1,411.45	1,411.45
ब्याज लागत	-	-
(ब्याज आय)	-	-
चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	-	-

छ. चालू वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में लेखांकित व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेत	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
चालू सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान)	-	-
कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	-	

ज. चालू वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेत	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां	-	-
ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	-	-

झ. तुलनपत्र समाधान **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेत	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु
आरंभिक निवल देयता	1,411.45	1,411.45
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	-	-
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	-	-
अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन	-	-
निवल (देयता)/परिसंपत्ति– आउट	-	-
(सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ)	-	-
(कमर्चारी अंशदान)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति)	**1411.45**	**1411.45**

ट. अन्य विवरण **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सक्रीय सदस्यों की संख्या	-	-
स्वानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	-	-
अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत अवधि	-	-
औसत भावी अवधि	-	-
अनुमानित लाभ दायित्व	1411.45	1411.45
अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने)	-	-

ठ. लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता द्वारा **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय		
1 आगामी वर्ष	-	64.63
2 आगामी वर्ष	-	64.54
3 आगामी वर्ष	-	71.59
4 आगामी वर्ष	-	79.09
5 आगामी वर्ष	-	88.26
वर्ष 6 से 10 का योग	-	431.80

ड. संवेदी विश्लेषणः वृद्धि/(कमी) में) **(रूपए मिलियन**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	1411.45	1411.45
छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
छूट की दर में –1% परिवर्तन डेल्टा का डेल्टा प्रभाव	-	-
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में –1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को संभवत प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणियां :

कंपनी, एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देय चिकित्सा व्यय प्रदान कर रही थी, हालांकि एअर इंडिया के विनिवेश के बाद, एआईएएचएल द्वारा एआईएएसएल की होल्डिंग कंपनी होने के नाते यह निर्णय लिया गया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सीजीएचएस को राशि का योगदान देगा और तदनुसार वे सीधे सीजीएचएस से चिकित्सा लाभ प्राप्त करेंगे और इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

वेतन वृद्धि और संघर्षण दर को इकाई द्वारा सलाह के अनुसार माना जाता है, वे पदोन्नति और कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति पर विचार करते हुए उद्योग प्रक्रिया के अनुरूप प्रतीत होते हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण अगले 10 वर्षों के निकट भविष्य के लिए उपर्युक्त वर्णित सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भविष्य के वेतन, संघर्षण और मृत्यु पर विचार करते हुए अघोषित नकदी प्रवाह है।

औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व।

परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है।

किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि को दर्शाने के लिए माना जाता है।

इस योजना में कटौती की गई थी, जहां अधिकांश कर्मचारियों की देनदारी सरकार द्वारा ले ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती हुई थी।

किया गया भुगतान वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकित योजना के अनुरूप नहीं है।

(ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूरक अनुपस्थिति

कंपनी में रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारी द्वारा संचयन और नकदीकरण के प्रावधान सहित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर नीति विद्यमान है। क्षतिपूरक अनुपस्थिति की संभावित लागत का निर्धारण प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

ii. बोनस

बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस देय होता है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

43. आयकर

(क.) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत आय कर (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर व्यय (क)		
चालू वर्ष	187.90	235.77
पिछले वर्षों का अल्प/(अधिक) प्रावधान (ख)		
पिछले वर्षों के लिए कर के लिए लघु प्रावधान	-	-
आस्थगित कर व्यय (ग)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	179.70	113.93
आय विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय (क + ख + ग)	**366.79**	**349.70**

(ख) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत आयकर (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		
	कर पूर्व	कर व्यय/लाभ	कर का निवल	कर पूर्व	कर व्यय/लाभ	कर का निवल
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्माप	126.55	-	126.55	(3.92)	-	(3.92)
	126.55	**-**	126.55	**(3.92)**	-	**(3.92)**

(ग.) दर्शाए गए वर्ष के लिए आयकर व्यय को स्वीकृत करने के लिए सांविधिक आयकर दर पर कर पूर्व लाभ के लेखांकन के लिए लागू आयकर व्यय का समाधा निम्नानुसार है:

रूपए मिलियन में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
करपूर्व लाभ	771.05	972.97
भारत में निर्धारित कर दर	25.168%	25.168%
सांविधिक कर दर पर संभावित कर व्यय (क)	187.09	235.77

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्न का कर प्रभाव:		
कर लाभों के निर्धारण में कटौती न किए गए व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर का अतिरेक प्रावधान	-	-
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर	187.09	235.77
आस्थगित कर का प्रभाव	179.70	113.93
लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत आयकर (आस्थगित कर सहित)	**366.79**	349.70

घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थिगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार हैः. **रूपए मिलियन में**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
.आस्थिगित कर देयताएं	(210.99)	(189.84)
आस्थिगित कर परिसंपत्तियां	1,001.78	1,160.32
कुल	**790.79**	**970.48**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) तथा संचलनों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

रूपए मिलियन में

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**		**31 मार्च 2024 को**
		लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत	**ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत**	
निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष				
परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण	(189.84)	(21.15)	-	(210.99)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	699.77	(20.72)	-	679.05
दरसूची हेतु प्रावधान	8.34	(7.60)	-	0.74
संभावित ऋण घाटा	452.21	(130.22)	-	321.99
कुल	**970.48**	**(179.70)**	-	**790.79**

विवरण	**1 अप्रेल 2022 को**	**31 मार्च 2023 को लाभ एवं हानि के माध्यम से स्वीकृत**	**ओसीआई के माध्यम से स्वीकृत**	**31 मार्च 2023 को**
निम्न के संबंध में आस्थिगत कर षेश				
परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण	(166.59)	(23.25)	-	(189.84)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	710.96	(11.19)	-	699.77
दरसूची हेतु प्रावधान	-	8.34		8.34
संभावित ऋण घाटा	262.04	190.17	-	452.21
गैर आशोधित घाटा	278.00	(278.00)	-	-
कुल	**1,084.41**	**(113.93)**	-	**970.48**

कंपनी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है कि कंपनी को भविष्य में बेहतर निष्पादन की आशा है और तदनुसार, इस बात की निश्चितता है कि मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्ति भविष्य के कर योग्य लाभों के प्रति वसूल की जाएगी।

44. संबंधित पक्ष प्रकटन

वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन।

क. संबंधित पक्षों की सूची:

i. इंड एएस–24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):

क्र.सं	**कंपनी का नाम**	**संबंध**
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (13 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	धारक कंपनी

ii. सहयोगी अनुशंगी कंपनियों की सूची:

क्र.सं	**कंपनी का नाम**	**संबंध**
1	भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी
2	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी
3	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	सहयोगी अनुशंगी कंपनी

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम	पदनाम
1	श्री. विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष (सीएमडी के रूप में 28 फरवरी, 2023 से कार्यमुक्त हुए)
2	श्री. सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	अध्यक्ष (01 मार्च, 2023 से सीएमडी के रूप में नियक्तऔर दिनांक 1 जनवरी, 2024 से सीएमडी के पद से कार्यमुक्त हुए)
3	श्री असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष (01 जनवरी, 2024 से सीएमडी के रूप में नियुक्त हुए)
4	श्री. रामबाबू सीएच	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
5	श्री सत्य नारायण पांडा	मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 दिसंबर, 2022 से सीएफओ और केएमपी के रूप में पदमुक्त हुए)
6	विंग कमांडर. संदीप मल्होत्रा (सेवानिवृत्त)	मुख्य वित्तीय अधिकारी (28 दिसंबर, 2022 से सीएफओ और 09 फरवरी 2023 से केएमपी के रूप में नियुक्त)
7	श्रीमती शशि भदूला	कंपनी सचिव

ग. समाप्त वर्ष के दौरान लेन–देन और संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि इस प्रकार है –

i. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

ii. इंड एएस 24 के संदर्भ में, सरकार से संबंधित कुछ संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और सरकार संबंधी पक्षों के अलावा अन्यः

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के संबंध में प्रकटीकरणः **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	**संचालन से राजस्व**		
	कार्मिक सेवाए/केबिन की सफाई	139.00	204.08
	बकाया वसूली योग्य पर ब्याज	2.02	21.87
	व्यय		
	विविध सेवाएं	34.53	12.42
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	**संचालन से राजस्व**		
	ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व	269.97	281.49
	कार्मिक सेवाओं की आपूर्ति	0.25	0.59
	बकाया वसूली योग्य पर ब्याज	114.95	94.80
	व्यय		
	ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का व्यय और अन्य व्यय	4.42	1.25
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल – सेंटोर)	**व्यय**		
	स्टाफ होटल व्यय	5.68	7.52
	त्यौहार व्यय	-	2.27
	आयोजन व्यय	-	1.93
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	**संचालन से राजस्व**		
	जनशक्ति सेवाएँ	1.02	1.52
	व्यय		
	लागत की प्रतिपूर्ति	5.63	6.38
	बकाया पर ब्याज देय	**39.07**	**35.69**

(ii) बकाया राशि **(रूपए मिलियन में)**

पक्ष का नाम	प्राप्य / देय	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	देय	(472.44)	(434.86)
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	प्राप्य	68.61	(6.62)
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	प्राप्य	1,378.91	1,290.47
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल – सेटोर)	देय	(4.30)	(5.58)

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति **(रूपए मिलियन में)**

पक्ष का नाम	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	8.10	7.48
रोजगार पश्चात लाभ	-	-
अन्य दीर्घकालीन लाभ	-	-
अंतिम लाभ	-	-
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को कुल क्षतिपूर्ति	**8.10**	**7.48**

सेवा पश्चात भावी देयताओं के रूप में अन्य दीर्घकालीन तथा अंतिम लाभों के लिए प्रावधान समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकक आधार पर किया जाता है और व्यक्तियों से संबंधित राशि निर्धारणीय नहीं है और इसलिए, इन्हें उपर शामिल नहीं किया गया है।

45. वित्तीय माध्यम – उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधकन

क. उचित मूल्यों का लेखांकन वर्गीकरण

निम्न तालिका, उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तरों सहित वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशियों और उचित मूल्य को दर्शाती है। इसमें वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है, जो उचित मूल्य पर नहीं मापी जाती है, यदि वहन राशि उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है।

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	नोट सं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और आनि माग द्वारा				ओसीआई मार्ग द्वारा				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय संपत्ति														
व्यापार प्राप्तियां	8	-	5,437.94	5,437.94	-	-	-	-	-	-	-	-	5,437.94	5,437.94
अन्य वित्तीय संपत्ति	3 और 11	1,065.47	48.73	1,114.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114.20	1,114.20
नकद और नकदी के समतुल्य	9	-	71.81	71.81	-	-	-	-	-	-	-	-	71.81	71.81
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00
कुल वित्तीय संपत्ति		**1,065.47**	**5,568.47**	**6,633.94**									**6,633.94**	**6,633.94**
वित्तीय देनदारियों														
व्यापार देनदारियां	17	-	2,338.84	2,338.84	-	-	-	-	-	-	-	-	2,338.84	2,338.84
अन्य वित्तीय देनदारियां	15 और 18	47.78	710.29	758.07	-	-	-	-	-	-	-	-	758.07	758.07
कुल वित्तीय देनदारियां		**47.78**	**3,049.13**	**3,096.91**									**3,096.91**	**3,096.91**

31 मार्च 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयतांएं	नोट सं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और आनि माग द्वारा				ओसीआई मार्ग द्वारा				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
					स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय संपत्ति														
व्यापार प्राप्तियां	8	-	4,071.44	4,071.44	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071.44	4,071.44
अन्य वित्तीय संपत्ति	3 और 11	1,299.16	100.96	1,400.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.12	1,400.12
नकद और नकदी के समतुल्य	9	-	520.43	520.43	-	-	-	-	-	-	-	-	520.43	520.43
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	1.73	1.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	1.73
कुल वित्तीय संपत्ति		**1,299.16**	**4,694.56**	**5,993.72**	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,993.72**	**5,993.72**
वित्तीय देनदारियों														
व्यापार देनदारियां	17	-	1,621.64	1,621.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,621.64	1,621.64
अन्य वित्तीय देनदारियां	15 और 18	72.48	1,185.56	1,258.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258.04	1,258.04
कुल वित्तीय देनदारियां		**72.48**	**2,807.20**	**2,879.68**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,879.68**	**2,879.68**

उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 स्तर शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता हैरू

i. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनो से उत्पन्न होता है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमो का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है और यह ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित स्थापना नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अध्याधीन है। आकलन के अनुसार परिभाषित व्यक्तिगत ऋण सीमाओं के आधार पर ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इस समूह कंपनियों से है (यथा 60 प्रतिशत) और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्य राशियां पूर्ण रूप से वसूलीयोग्य मानी गई हैं और इसलिए ऐसी प्राप्य राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोमि का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है।

नीति के अनुसार प्राप्य राशियों को ओवरड्यू अवधि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकत्रत किया जाता है यथा 6 माह : एक वर्ष से एक वर्ष से अधिक और एक से दो वर्ष।

कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता हैः

समूह	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सरकारी कंपनी और समूह कंपनी सहित सभी पक्ष		
(क) पिछला देय जो 6 महीने से अधिक नहीं है	1.64%	4.73%
(ख) पिछला देय जो 6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं है	3.27%	9.46%
(ग) पिछला देय 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं है	9.82%	18.93%
(घ) पिछला देय 3 वर्ष से अधिक है	100%	100%
सरकारी कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
समूह कम्पनी	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य पक्षकारों का तीन वर्ष तक का बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य पक्षों का तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम हानि	100%	100%

संभावित ऋण घाटे के लिए स्वीकृति संचलन निम्नानुसार हैः

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के आरंभ में शेष	1,759.43	1,009.37
जमा : ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्यों को स्वीकृति	(527.40)	750.06
घटा : युक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा		-
वर्ष के अंत में शेष	**1,232.02**	**1,759.43**

कंपनी ने इंड एएस–109 ''वित्तीय इंस्ट्रूमेंट'' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1232.02 मिलियन रूपए (पिछले वर्श 1759.43 मिलियन रूपए) की राशि के समूह कंपनियों से इतर के पक्षों से व्यापार एवं अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके 31 मार्च 2023 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभावों का परिकलन किया है।

(ii) **नकदी जोखिम प्रबंधन**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (01 अप्रैल 2023 शून्य रूपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओं, भारमुक्त परिसंपत्तियो के मूल्य प्राप्त करके चालू पूंजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ होगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

- भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।
- विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकदी प्रवाह राशि सकल डिस्काउंट रहित है तथा इसमें भारित ब्याज जो देय नही है, शामिल है।

नकदी जोखिम प्रभाव

31 मार्च 2024 को **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	प्रतिधारण राशि	संविदागत नकदी प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वित्तीय संपत्ति					
गैर चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,065.47	1,065.47	-	-	1,065.47
चालू					
व्यापार प्राप्य	5,437.94	5,437.94	-	-	5,437.94
नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	81.81	81.81	-	-	81.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	48.73	48.73	-	-	48.73

31 मार्च 2023 को **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	प्रतिधारण राशि	संविदागत नकदी प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
वित्तीय संपत्ति					
गैर चालू					
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,299.16	1,299.16	-	-	1,299.16
चालू					
व्यापार प्राप्य	4,071.44	4,071.44	-	-	4,071.44
नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	522.17	522.17	-	-	522.17
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	100.96	100.96	-	-	100.96

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रभाव

दिनााक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपए में नीचे दिया गया है:

(यूएसडी और रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को**		**31 मार्च 2023 को**	
	यूएसडी	**भारतीय रू.**	**यूएसडी**	**भारतीय रू.**
वित्तीय परिसंपत्ति				
चालू				
व्यापार प्राप्य	5.31	442.73	3.94	323.50
नकद और नकद समकक्ष और बैंक शेष	0.01	1.17	-	0.00
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**5.32**	**443.90**	**3.94**	**323.50**
वित्तीय देनदारियों				
चलू				
व्यापार देनदारियां	0.01	1.16	0.02	1.84
अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**0.01**	**1.16**	**0.02**	**1.84**

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका संगत विदेशी मुद्राओं के प्रति भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए कंपनी की संवेदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। 5 प्रतिशत की संवेदी दर का प्रयोग तब किया जाता है, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी विनिमय दरों में युक्तिसंगत स्तर तक संभव परिवर्तन के प्रबंधन आकलन को दर्शाते हैं। संवेदी विश्लेषण में केवल वे बकाया विदेशी मुद्रा शामिल हैं जो मौद्रिक मदों को दर्शाती हैं और सभी अन्य परिवर्ती कारकों के स्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा दरों में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए वर्ष के अंत में उनके अंतरण को समायोजित करते हैं। एक घनात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में वृद्धि को दर्शाती है, जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में 5 प्रतिशत कम हो जाता है। संगत मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत की कमी के लिए, लाभ या इक्विटी में तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे कम शेष ऋणात्मक होता है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**वृद्धि**		**(कमी)**	
	31 मार्च 2024 को	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
प्राप्य राशि	22.20	16.17	(22.20)	(16.17)
यूएसडी / रू.				
देय राशि				
यूएसडी / रू	(0.06)	(0.09)	0.06	0.09

46. अनुपात

वर्तमान अनुपात

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कुल मौजूदा परिसंपत्तियां	5,769.97	4,862.28
कुल मौजूदा देनदारियाँ	4,362.22	4,023.12
अनुपात	1.32	1.21
प्रतिशत परिवर्तन	**9.44%**	**-12.19%**
कारण	पिछले वर्श की तुलना में चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण	

ऋण इक्विटी अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कुल ऋण	-	-
शेयरधारकों की इक्विटी	4,601.64	4,070.82
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-

ऋण सेवा कवरेज अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
ईबीआईटी	-	-
कुल ऋण	-	-
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-

इक्विटी पर प्रतिफल का अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	404.26	623.27
औसत हितधारकों की इक्विटी	4,601.64	4,070.82
अनुपात	8.79%	15.31%
प्रतिशत परिवर्तन	-42.62%	-291.33%
कारण	परिचालन से राजस्व में कमी के कारण वर्ष के दौरान लाभ में कमी के कारण	

इक्विटी पर प्रतिफल का अनुपात (रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	134.49	172.29
औसत हितधारकों की इक्विटी	21.26	41.06
अनुपात	632.49	419.66
प्रतिशत परिवर्तन	**50.71%**	**240.94%**
कारण	वर्ष के दौरान इन्वेंटरी में कमी के कारण	

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
संचालन से राजस्व	8,426.17	8,944.73
व्यापार प्राप्तियों को बंद करना	4,754.69	3,785.38
अनुपात	1.77	2.36
प्रतिशत परिवर्तन	**-25.00%**	**22.23%**

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
अन्य व्यय	1,659.86	2,755.19
औसत व्यापार प्राप्य	990.12	1,026.63
अनुपात	**1.68**	**2.68**
प्रतिशत परिवर्तन	**-37.53%**	**89.34%**
कारण	**वर्ष के दौरान औसत व्यापार देयताओं में कमी के कारण**	

शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
संचालन से राजस्व	8,426.17	8,944.73
कार्यशील पूंजी	1,407.75	839.16
अनुपात	5.99	10.66
प्रतिशत परिवर्तन	**-43.85%**	**85.00%**
कारण	**पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में कमी के कारण**	

शुद्ध लाभ अनुपात **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
वर्ष के लिए लाभ	404.26	623.27
संचालन से राजस्व	8,426.17	8,944.73
अनुपात	4.80%	6.97%
प्रतिशत परिवर्तन	**-31.15%**	**-293.79%**
कारण	**वर्ष के दौरान अर्जित लाभ में कमी के कारण**	

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
असाधारण मद और कर जमा वित लागत से पूर्व लाभ	852.82	1,122.18
नियोजित पूंजी	7,033.85	6,556.84
अनुपात	12.12%	17.11%
प्रतिशत परिवर्तन	**-29.16%**	**269.71%**
कारण	**वित्तीय लागत और कर से पूर्व लाभ में कमी के कारण**	

निवेश पर प्रतिफल **(राशि मिलियन में, अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)**

विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
निवेश से आय	शून्य	शून्य
निवेश का समापन संतुलन	शून्य	शून्य
अनुपात	शून्य	शून्य
प्रतिशत परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**

1. **कुल ऋण** = गैर–वर्तमान उधार + वर्तमान उधार
2. **ब्याज और कर पूर्व आय (ईबीआईटी)** = असाधारण मद और कर पूर्व लाभ + वित्त लागत
3. **बेचे गए माल की लागत** = उपभोग की गई सामग्री की लागत + स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद + तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगतिरत कार्य
4. **कार्यशील पूंजी** = कुल वर्तमान संपत्ति – कुल वर्तमान देनदारियां
5. **लगाई गई पूंजी** = कुल इक्विटी + कुल गैर चालू देनदारियां
6. **कुल इक्विटी** = गैर–नियंत्रित ब्याज (कम) को छोड़कर कुल इक्विटी/जमा (आस्थगित कर परिसंपत्तियां)/आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

47. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**
विदेशी मुद्रा आय	2,174.56	1,960.48
खर्च की गई विदेशी मुद्रा (आयात भुगतान के लिए)	(150.97)	(3.03)
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	**2,023.59**	**1,957.45**

48. निगमित कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति का प्राथमिक कार्य सीएसआर नीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना और समय–समय पर उसके कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना है। सीएसआर नीति उच्च प्रभाव वाले सतत कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने पर केंद्रित है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	-	-
किए गए व्यय की राशि	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृतिः		
क) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ख) उपरोक्त 1 के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-
वर्ष/अवधि के अंत में कमी	-	-
पिछले वर्षों की कुल कमी	-	-
कमी का कारण	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : पीएम केयर फंड में योगदान		

सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी पर लागू नहीं हैं।

49. कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पीएलआई के कारण कर्मचारियों को 137.80 मिलियन रुपये देय दिखा रही है, जिसमें सक्रिय कर्मचारियों और निष्क्रिय कर्मचारियों को क्रमशः आवास कॉलोनियों को खाली न करने और बैंक विवरण उपलब्ध न होने के कारण 66.73 मिलियन रुपये देय हैं। इसके अलावा, 71.08 मिलियन रुपये देय के रूप में दिखाए गए हैं जो एयर इंडिया या एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से धन प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए एआईएएसएल दोनों कंपनियों के साथ संपर्क कर रहा है। एयर इंडिया पीएफ ट्रस्ट ने हमारे खाते में राशि जमा की और उसी के अनुसार उनके पीएफ खाते में वितरित किया गया। हालांकि, 41.19 मिलियन रुपये की राशि के कुछ मामलों के संबंध में जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं और संपर्क करने योग्य नहीं हैं, उनके यूएएन नंबर को उनके संबंधित पीएफ खातों में राशि स्थानांतरित करने के लिए नहीं बनाया जा सका। ष्यदि हम पता लगाने योग्य/संपर्क योग्य हैं, तो हमारे पास उपलब्ध धनराशि को बरकरार रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

50. सेगमेंट रिपोर्टिंग

राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक वाले ग्राहकों का प्रकटनः

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्श हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्श हेतु
एअर इंडिया लिमिटेड	2786.79	2845.63

कंपनी के अध्यक्ष को इंड एएस 108, प्रचालन सेगमेंटों द्वारा मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में निर्धारित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथापि, कंपनी प्राथमिक रूप से केवल एक सेगमेंट से संबंधित है यथा ''ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं'' और इसके सभी प्रचालन भारत के अंतर होते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मान 108 ''प्रचालन सेगमेंट'' के अनुसार कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है।

51. इंड एएस–116 : पट्टा देयता के लिए हवाईअड्डे स्थानों पर विचार न किए जाने पर स्पष्टीकरण नोट।

इंड एएस 116 के तहत उपलब्ध स्वीकृति छूट के अनुसरण में, अल्प अवधि के पट्टे, कम मूल्य की संपत्ति और उन परिसंपत्तियों, जो पिछले इंड एएस 17 के तहत कवर नहीं किए गए थे, कंपनी ने इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट का लाभ प्राप्त किया है।

विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों के लिए अन्य पट्टों के संबंध में, (खरीद/नवीनीकरण के विकल्प के साथ, लेकिन उसके टाइटल को अंततः स्थानांतरित किया या नहीं किया जा सकता हैं) जो कि विभिन्न स्थानों/स्टेशनों/क्षेत्रों में फैले हुए हैं, के संबंध में समयपूर्व समापन का प्रावधान है, जहां किसी भी पक्ष द्वारा 90 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान करके इसे रद्द किया जा सकता है।

इनका मूल्यांकन लंबित रहने पर कंपनी ने अल्पावधि के पट्टों, कम मूल्य की परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों के संबंध में इंड एएस 116 के तहत आरओयू के रूप में विचार नहीं किया है, जो पिछली इंडएएस–17 के तहत कवर नहीं की गई थीं। कंपनी ने नई इंडएएस 116 के कार्यान्वयन के लिए समान छूट प्राप्त की है।

52. सॉफ्टवेयर कार्यान्वयनकर्ता द्वारा लेखांकन ईआरपी सॉफ्टवेयर का निलंबन

लेखा ईआरपी सॉफ्टवेयर (ओडीओओ) के कार्यान्वयनकर्ता मेसर्स यूनिक डेटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूडीएसपीएल) ने 15 जून, 2024 को एकतरफा रूप से सॉफ्टवेयर को निलंबित कर दिया है (जो अनुबंध की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन है) जिसके खिलाफ कंपनी ने यूडीएसपीएल के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार मेसर्स यूडीएसपीएल के विरूद्ध मुकदमा दायर किया है (मामला विचाराधीन है)।

सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता (कंपनी के नियंत्रण में नहीं) के कारण, कंपनी ने ट्रायल बैलेंस को अंतिम बनाने के लिए कुछ समापन प्रविष्टियों को मैन्युअल रूप से पारित करने के बाद अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसे 8 जून, 2024 को आडीओओ से पूर्ण खाता बही के साथ डाउनलोड किया गया था।

53. अनुसूची– III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियामक जानकारी

(i) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) स्वैच्छिक चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iii) कंपनियों के अनेक क्रमों का अनुपालन

कंपनी द्वारा कंपनियों के अनेक क्रमों का अनुपालन किया गया है।

(iv) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

कंपनी ने व्यवस्था की ऐसी किसी योजना में प्रवेश नहीं किया है, जिसका वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।

(v) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(1) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को इस आशय के साथ अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है कि, मध्यस्थः

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पक्ष प्रदान करे।

(2) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोशण पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई वित नहीं मिला है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि, कंपनी :

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें, या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पक्ष प्रदान करे।

(vi) अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई आय समर्पित या प्रकट नहीं की गई है, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

(vii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(viii) अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

अचल संपत्तियों के सभी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर हैं।

(ix) अटकी हुई कंपनियों के साथ लेन–देन

स्टक ऑफ कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

(x) कोई शुल्क

कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

54. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो कंपनी द्वारा भविष्य निधि और ग्रेच्युटी उपदान के लिए योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 13 नवंबर, 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। विषय के नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद कंपनी प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें संहिता प्रभावी हो जाती है और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने के लिए संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

55. पिछले वर्षों के आंकड़े

तुलनात्मकता के उद्देश्य से वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप होने के लिए, जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्नक समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 001113N/N500079

ह/–
अमित कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या : 532180
यूडीआईएनः 25532180BMIYVJ1477

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.01.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष
डीआईएन : 08086220

ह/–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

ह/–
संदीप मल्होत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/–
रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुमोदित मातृत्व अवकाश पर
श्रीमती शशि भदूला
कंपनी सचिव

12 साल
की उत्कृष्टता

एआई एअरपोर्ट सर्विसेज़
AI AIRPORT SERVICES